राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ३५वां दिवस [संख्या २३

बुधवार, दिनांक २९ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, आबकारी तथा करा-वित्त, रोपण सिचाई, पंचायत, कृषि, आयुर्वेद, श्रम चिकित्सा व जीवन-बीमा-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६०८

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०९

श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१०

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

तनसिंह (बाडमेर) : प्रश्न संख्या ६११

(अल्प विराम के अनन्तर)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अभी आ रहे हैं।

प्रश्न संख्या ६१२

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह : मेरे प्रश्न का क्या हुआ अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय अभी नहीं आये हैं।

श्री तनसिंह ; माननीय अध्यक्ष महोदय यह तो दरअसल में दुःख की बात है। यह संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध है कि अपनी टर्न हो और मन्त्री महोदय समय पर उपस्थित न हों। यह तो मेरा ख्याल है सरकार सदन का एक तरह से....यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : He is just Coming रास्ते में कहीं डिटेन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : वे नहीं आयें तो आप जवाब दे दें।

श्री तनसिंह : उनके लिये असेम्बली ठहरेगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(प्रश्नोत्तर ६११ के लिये कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१३

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

पंचायत समिति पाली द्वारा हेमावास बान्ध के पानी का विराम

६१४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि हेमावास बान्ध से गत साल नहरी जमीन के अलावा बारानी जमीन में भी पानी दिया गया ? यदि हां, तो किन किन को कितनी कितनी जमीन में और किस आधार पर ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उस साल नहरी जमीन को भी पानी नहीं मिला था और कई काश्तकारान की नहरी जमीन खिल्की हुई पड़ी रही ?

(३) क्या सिंचाई विभाग द्वारा पंचायत समिति पाली को पानी वितरण करने का गत साल अधिकार दिया गया था ? यदि नहीं, तो पंचायत समिति पाली ने पानी का वितरण क्यों किया ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, ग्रामवार जमीन की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। रबी फसल शुरू होने के पहले सिंचित रकबे में जितनी जमीन जोती गई है। उसका ग्रामवार एक तख्मीना बनाया जाता है इस तख्मीने पर जल वितरण कमेटी द्वारा सिंचाई का प्रोग्राम निश्चित किया जाता है।

(२) जी नहीं। जितनी नहरी जमीन फसल के पहले जोत ली गई थी उन सब में पानी दिया गया था।

(३) जल वितरण के लिये जिलाधीश पाली के कार्यालय में दिनांक १७-११-५६ को एक बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय

Page No.3

(श्री दौलतराम सारण)

किया गया था कि हेमावास का जल–वितरण पंचायत समिति पाली द्वारा किया जाय और उसी के अनुसार यह जल–वितरण किया गया था।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको सूचना देता हूं कि जो भूमि नहरी थी सिंचित नहीं हुई और बारानी जमीन थी, वह सिंचित की गई और हजारों बीघा जमीन जो नहरी थी यह पड़ी रही।

श्री दौलतराम : मैं आपको इसके सम्बन्ध में उत्तर दे चुका हूँ और सूची भी मैंने प्रस्तुत कर दी है।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी बारानी जमीन इससे सिंचित की गई ?

श्री दौलतराम : कितनी बारानी और कितनी नहरी, बापी और गैरबापी सबकी सूचना मैंने (२) के उत्तर में दे दी है कि जितनी नहरी जमीन फसल में पहले जोत ली गई थी उसमें पानी दे दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : मान्डिया में जो जमीन थी वह नहरी थी, पर उसको सिंचित नहीं किया गया...........

श्री दौलतराम : आप मुझे निश्चित बता दीजिए, मैं और जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह नीति का प्रश्न है कि जो आपका कमान्डेड एरिया है उसको सिंचाई के लिए पैसा मिलता है और उस कमान्डेड एरिया को पानी न देकर उसको एक्सटेन्ड करें तो एक्सटेन्ड भी आपको सोच-समझ कर करना चाहिए। अगली साल पानी नहीं देंगे तो झगड़ा होगा। इसलिए आप जितना एरिया भी एक्सटेन्ड करें तो पहले सूचना ले लें कि पानी है या नहीं।

प्रश्न संख्या ६१५

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री लक्ष्मीचंद।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

पैकेज कार्यक्रम (प्रोग्राम)

६१७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

1. Is the Government aware of 'Package Programme' of Central Ministry of Community Development & Cooperation ?

2, If yes, what steps have been taken so far by the Government to work out the details of this programme ?

Page No.4

उप मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) इस योजना को पाली जिले में ४ नवम्बर, १९६० से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जाकर उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है जिससे वे सुचारु रूप से कार्य कर सकें। गत रबी में इस जिले के कृषकों को उन्नत बीज, खाद कृषि औजार तथा ऋण का प्रबन्ध किया गया। हाल ही में जिला स्तर पर कर्मचारियों ने जिले के समस्त विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, सहकारी प्रसार अधिकारी एवं ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया है जिससे कि वे सघन खेती सम्बन्धी कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर सकें।

श्री भीमसेन : इस प्रोगाम में कुल टोटल एक्सपेन्डीचर कितना होगा ?

श्री दौलतराम सारण : सारी स्कीम में १ करोड़ १० लाख के करीब होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार

६१८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : Will the Panchayat Minister be pleased to state :—

1. Is the Government aware that the former State of Bombay was giving 33% of land revenue realised in the penultimate yearin a Panchayat area to the concerned Panchayat in addition to meeting full expenditure on the salary of Panchayat Secretary ?

2. If so, what steps have been taken by the Government of Rajasthan so far in this direction ?

3. What steps the State Government is taking so that village panchayats may stand on sound financial footing to serve the public in better way ?

उप–मन्त्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) यह सत्य नहीं है कि भूतपूर्व बॉम्बे स्टेट लगान का ३३ प्रतिशत जो कि प्रत्येक आर्थिक वर्ष में एक पंचायत क्षेत्र से एकत्रित हो पंचायतों को देती थी। बॉम्बे विलेज पंचायतस क्लासीफिकेशन (पेमेन्ट ऑफ ग्रान्ट) रूल, १९५९ के अन्तर्गत 'ए' श्रेणी की पंचायतों को उस पंचायत क्षेत्र से प्रत्येक आर्थिक वर्ष में एकत्रित लगान के ३० प्रतिशत के बराबर रकम दी जाती थी और 'बी' श्रेणी की पंचायतों को लगान के २५ प्रतिशत के बराबर रकम दी जाती थी। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के लिए नियुक्त सचिवों के वेतन (जो सरकारी कोष से दिया जाता था) के अतिरिक्त था।

(२) राजस्थान सरकार ने पंचायत सचिवों का केडर पृथक नहीं बनाने का निश्चय किया है। पंचायतों को अपने साधन के अनुसार कर्मचारी रखने होते हैं। पूर्व में सरकार भू–राजस्व जो उस पंचायत क्षेत्र से एक आर्थिक वर्ष में एकत्रित होता था उसका

Page No.5

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

३-८ हिस्सा देती थी। परन्तु राजस्थान में सब ही स्थानों पर स्थानीय स्थिति एक सी न होने से यानी पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में बहुत सूक्ष्म लगान वसूल होने से यह तरीका पंचायतों के आय के साधन उपलब्ध करने का उपयुक्त तथा न्यायसंगत प्रतीत नहीं हुआ। अतएव राज्य सरकार ने सरकारी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति पर २० नये पैसे प्रतिवर्ष के हिसाब से अनुदान देना निश्चित किया।

(३) राज्य सरकार लगान की राशि के अतिरिक्त पंचायतों के साधन बढ़ाने हेतु कर-आरोपण के लक्ष्य पंचायत के अधीनस्थ रिज़र्व कर चुकी है। पंचायत निम्न कर आरोपण कर सकती है :—

(१) गृह कर,

(२) चुंगी-कर,

(३) कैश क्रॉप कर,

(४) यात्री-कर,

राज्य सरकार पंचायतों को आबादी भूमि फरोख्त करने के लिए भी अधिकृत कर चुकी है। यह यथार्थ में पंचायतों की आमदनी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त आमदनी के जरिये भी पंचायतों को उपलब्ध हैं।

(१) प्राकृतिक उपज, गोचर भूमि द्वारा।

(२) ५० एकड़ तक ग्राम के तालाबों से मछलियों के धन्धे द्वारा आय।

(३) जो गोचर भूमि पर पूर्व में फीस राजस्व विभाग द्वारा ली जाती थी वह पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई है।

(४) सिंचाई की दरों से आमदनी जो कि ५० एकड़ भूमि तक सिंचाई करने पर पंचायत ही वसूल कर सकती है।

(५) सिंचाई के तालाबों में सिंघाड़ा की उपज पर जो आमदनी प्राप्त होती है वह भी पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई है। यह जो पंचायत को पर्याप्त आमदनी के साधन हैं इनके अतिरिक्त पंचायत समिति भी पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिए अनुदान देती है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि पंचायतों को सेवायें सौंपी गई हैं उनके पास ट्रेण्ड सेक्रेटरी नहीं होने की वजह से अपने कार्य को वह ठीक तरह से नहीं कर सकती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह ऐसी बात नहीं है और यह तो आवश्यक है ही कि पंचायतों में सेक्रेटरी होने चाहिए। लेकिन यह सब अधिकार अभी दिये गये हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह जो कुछ हो रहा है सेक्रेटरी नहीं होने की वजह से पूरा फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है; यह बात अभी हमारे सामने नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार विचार कर सकती है कि पंचायतों को ट्रेण्ड सेक्रेटरी दिये जायें और उसके लिए उनको सब्सिडी दी जाये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सेक्रेटरी के प्रशिक्षण केन्द्र हैं और वे हर डिविज़न के मुख्य कस्बों में हैं।

श्री भीमसेन : पर पंचायतों की फाइनेन्शिल कन्डीशन ऐसी नहीं है कि वह उनको पे दे सकें इसलिए कुछ पर्सेन्टेज पे का सरकार दे सकती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार दे रही है। ट्रेनिंग के पीरियड में ४० रुपये माहवार मिलता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : यह ट्रेनिंग कितने दिन की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ११ सप्ताह की है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसमें ट्रेनिंग पाने वालों को सेक्रेटरी बनाया जायेगा या खत्म कर दिया जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ट्रेनिंग देने के बाद कोई घर थोड़े ही बैठाया जायेगा, वह तो पंचायतों में रखे जायेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : ट्रेनिंग पाने के बाद पर्मानेन्ट पोस्ट हो जायेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह तो पंचायत का नौकर है और अगर वह पंचायत में अच्छा काम करेगा तो पर्मानेन्ट रहेगा और अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो पंचायत उसको निकाल भी सकती है।

प्रश्न संख्या ६१६

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

आबावास (सीकर) में औषधालय खोलने की मांग

६२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, सीकर ने अपने प्रस्ताव पत्रांक ३३०७, दिनांक १—८—६० के अनुसार ग्राम आबावास, तहसील सीकार में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सुझाव संचालक, आयुर्वेदिक विभाग को भेजा था ?

(ख) क्या यह सही है कि इस वर्ष (६०-६१) में सीकर जिले में औषधालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(ग) क्या यह सही है कि आबावास में औषधालय नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, सीकर जिले में वर्ष ६०—६१ में अभी तक निम्न औषधालय खोले गये हैं:—

१. गणेसर

Page No.7

(श्री भीखाभाई)

२. फतहपुर

३. फतहपुरा

४. मुदोली

(ग) जी हां, जिला परिषद् सीकर से प्राप्त प्रस्तावों में यह नाम पांचवें स्थान पर उल्लिखित किया गया था जिनमें प्राथमिकता की दृष्टि से एवं १४ हजार की जन बस्ती के लक्ष्य को दृष्टिगत रहते हुए औषधालय खोला जाना उपयुक्त न समझा गया।

श्री भैरोंसिंह : ये जो ४ औषधालय खोले गये हैं ये चारों प्राथमिकता की दृष्टि से खोले गये हैं ?

श्री भीखाभाई : जी हां, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि प्राथमिकता की दृष्टि से खोले गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस ऑर्डर के अन्दर आबावास का नाम कौनसी जगह लिखा हुआ था ?

श्री भीखाभाई : पांचवें स्थान पर।

प्रश्न संख्या ६२१

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२२

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री तनसिंह।

एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टर्स

६२३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) गत तीन वर्षों में हर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज सेन्टर में कितने व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध किये गये ?

(२) इनमें से कितने लोगों को नौकरियां दी गईं ?

(३) कितना वार्षिक खर्च प्रति सेन्टर पर किया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सन् १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० (अप्रेल से मार्च) में राजस्थान के प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्जों द्वारा पंजीबद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न तालिका के कॉलम नं० ३ में दी गई है।

(२) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्तियां दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या संलग्न तालिका के कालम नं० ४ में दी गई है।

(३) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज पर किये गये खर्च का विवरण भी संलग्न तालिका के कालम नं० ५ में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री तनसिंह : भिन्न २ सेन्टर्स पर

Page No.8

(श्री तनसिंह)

जो खर्चा किया जाता है वह खर्चा जो है उसकी मिकदार कितने रजिस्टर्ड हुए, इन बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है या और कोई सिद्धान्त है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो पैसा खर्च किया जाता है वह कुछ डिवीजनल ऑफिसेज़ हैं और एम्प्लॉयमेंट के ऑर्डिनरी ऑफिसेज़ हैं उस दृष्टि से खर्च होता है: जैसा कि अजमेर का है, जयपुर का है, इन दोनों ऑफिसेज़ में ज्यादा खर्चा है लेकिन वे डिविजनल ऑफिसेज़ हैं।

श्री तनसिंह : इसके खर्चे की मात्रा में अजमेर और जयपुर में बहुत फर्क है और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट सेन्टर्स हैं उनमें भी काफी फर्क है, तो वह मेरी समझ में नहीं आया कि वह इस प्रकार से रखा जाता है क्या किसी आधार, किसी स्टेण्डर्ड और किसी सिद्धान्त पर रखा जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि दो जगह खर्चा ज्यादा है । अजमेर और जयपुर दोनों डिवीजनल ऑफिसेज हैं, बड़े ऑफिसेज हैं, वहां पर स्टाफ ज्यादा है इसलिए खर्चा ज्यादा है।

श्री तनसिंह : यह तो ठीक है कि डिविज़न में हैं लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है वहां पर डिविज़न से काफी फर्क है । वहां पर ५४,००) और इधर ४५,०००); खैर, ८—१० हजार की कोई बात नहीं है । लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर १५,०००), किसी जगह पर ६,०००), किसी जगह ६०००) और किसी जगह १,०००) हैं, और किसी जगह ५०३) ही बताया है ; यह मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह स्टाफ का खर्चा है। उस सेन्टर को रन करने का खर्चा दिया हुआ है, और कोई विशेषता नहीं है।

प्रश्न संख्या ६२४

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

कोटा सिंचाई बांध से सिंचित भूमि

६२५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा सिंचाई बांध से अक्टूबर सन् १९६० से अब तक कितने एकड़ भूमि में पानी दिया जा चुका है ?

(२) सरकार को कितने एकड़ भूमि में पानी दिया जाने की पूर्वाशा थी ?

(३) इतनी कम भूमि सिंचित होने का क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की ओर से यह समय पर रेखांकित करके नहीं बताया जा रहा है कि काश्तकार अपने खेतों पर कहां कहां धोरे खोदें ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) कोटा सिंचाई बांध से अक्टूबर, सन् १९६० से अब तक ३१,४०१ एकड़ भूमि में रबी फसल के लिए पानी दिया जा चुका है।

(२) प्रोग्राम के अनुसार खरीफ व रबी फसलों में कुल ६० हजार एकड़ भूमि को पानी दिये जाने की पूर्वाशा थी।

(३) पानी सिर्फ रबी फसल में दिये जाने की वजह से कम भूमि सिंचित हुई है।

बरसात से पहले गांधी सागर बांध से पानी न मिलने की वजह से खरीफ फसल में सिंचाई नहीं हो सकी।

(४) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : लेकिन यह जो पहले अन्दाज लगाया था कि ६०,००० एकड़ भूमि सिंचित हो जायगी उसके नहीं होने का कारण गांधी सागर बन्धे से पानी नहीं मिलना है या नहरें नहीं बनने का है ?

श्री दौलतराम सारण : जो कारण हैं वे मैं निवेदन कर चुका हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जितने एकड़ में या जितनी दूर तक उससे भूमि सिंचित हुई है उससे और भी काफी दूर तक सिंचाई होने की आशा थी ?

श्री दौलतराम सारण : आशा तो अब भी है। ज्यों ज्यों प्रोग्राम आगे बढ़ेगा सिंचाई बढ़ती जायगी, प्रोग्राम के मुताबिक। लेकिन निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक जो सिंचाई होने को थी उसमें से केवल रबी की फसल में ही पानी दिया गया है। खरीफ की फसल में गांधी सागर के पानी तैयार नहीं होने के कारण पानी नहीं दिया जा सका। इसलिए एक फसल की सिंचाई नहीं होने के कारण यह कम हुआ है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जितनी जमीन को पानी देते हैं उतने एकड़ होते हैं चाहे रबी या खरीफ के हों। मेरा मतलब इससे है। यहां पर मैं समझता हूँ कि आपका मतलब भी उससे है न कि रबी और खरीफ की फसल को पानी देने से है।

श्री दौलतराम सारण : फसल पानी, जमीन से होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने प्रश्न चौथे के उत्तर में बताया है, 'जी नहीं'; लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आज भी जो धोरे खोदने के लिए काश्तकारों से कहा है तो आपके इन्जीनियरों और ओवरसियरों ने उनको कोई रेखा नहीं बताई है कि इस तरह से धोरे खोदो, और धोरे नहीं खोदने के कारण पानी समय पर नहीं मिला है।

श्री दौलतराम सारण : फेज्ड प्रोग्राम से अधिक धोरे बना दिये गये हैं और आगे के कार्यक्रम के धोरे भी पूरे कर लिये गये हैं। जनता ने बहुत थोड़ा काम किया है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से काम अधिकांश में हुआ है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जनता का काम कम करने का कारण यह है कि जनता को बताया नहीं जा रहा है कि धोरे कहां खोदने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हैं। डिपार्टमेंट वाले अपने आप खोदते चले जा रहे हैं और इसका वे जबरदस्ती पैसा वसूल करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : जनता को बताया नहीं गया है, यह बात ठीक नहीं है। उनको बताने का प्रयत्न किया गया है। बताने के कार्यक्रम के लिए बाकायदा पंचायत, समिति पंचायत और सिंचाई विभाग की ओर से बराबर सम्मेलन और शिविर करके बारम्बर बताया गया है। २५ मील में धोरे बनाये भी हैं, लेकिन जनता में उत्साह की कमी है। माननीय सदस्य उसमें सहयोग करें तो और भी शीघ्र कार्य हो सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं तो सहयोग करने को तैयार हूं उनको शिविर में समझाने से चीज नहीं होगी, लेकिन कहां जाना चाहिए, वहां रेखा डालने से काम चलेगा।

श्री दौलतराम सारण : वह सब किया गया है और किया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

केन्द्र एवं राज्य कर्मचारियों के समानुकूल वेतन की अपेक्षा

६२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने केन्द्र एवं राज्य कर्मचारियों के बीच वेतन के अन्तर को कम करने के लिये कोई विचार किया है? यदि हाँ, तो क्यों?

(ख) केन्द्रीय सरकार ने जो केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का निश्चय किया है, क्या वही राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिये लागू करेगी। यदि हाँ तो कब से तथा नहीं, तो क्यों?

उप मन्त्री, वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) जी नहीं, सरकार केन्द्र एवं राज्य कर्मचारियों के बीच वेतन के अन्तर को कम करने में असमर्थ है।

(ख) जी नहीं। पे कमीशन की सिफारिशों को राजस्थान के कर्मचारियों के लिए लागू करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : असमर्थता जो प्रकट की गई है वह किन कारणों से है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फाइनेन्शियल कारणों से।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार की सिफारिश की है कि केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों के वेतनों के अन्तर को कम करने के लिए राज्य सरकारों को कोई कदम उठाना चाहिए?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके लिए हमने कदम उठाये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कदम उठाये हैं जिससे कि यह अन्तर कम हो।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमने एक कमेटी का गठन किया था। उसने अपनी एक अन्तरिम रिपोर्ट दी थी १. ७. ६० को, उसके अनुसार ३१५) रु० तक जिनका वेतन है उनका ५) रु० मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो आपने इस प्रकार से किया है, परन्तु क्या यह कमीशन की इस प्रकार की रिकमन्डेशन थी कि जो मंहगाई भत्ता मिलता है उस मंहगाई भत्ते को पे में जोड़कर अन्तर को कम किया जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कमेटी का गठन किया है उसकी रिपोर्ट जब फाइनल हो जायगी तो उस पर विचार किया जायगा। क्या सिफारिश होती है, राजस्थान की परिस्थितियों के मुताबिक यह देखा जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : वह ठीक है, परन्तु सवाल यह होता है कि राजस्थान सरकार की क्या नीति होनी चाहिये, वाकई में, इस प्रकार की जो विषमता है जब देश के अन्दर, जब कि मंहगाई आदि अन्य स्थितियों में कोई फर्क नहीं है ऐसी हालत में सारी स्टेटों और केन्द्रीय कर्मचारियों के बीच अन्तर है उस अन्तर को कम करने के लिए सिफारिश केन्द्रीय सरकार की है। वह चाहती है। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार इस नीति को क्रियान्वित करने में किस प्रकार के कदम उठा रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया है कि इस पूरे मामले को डिस्कस करके रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उसने अन्तरिम रिपोर्ट उस स्थिति को देखते हुए दी है। उसके बाद में पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद में सरकार विचार करने के बाद में निर्णय देगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : कम से कम राज्य सरकार क्या यह महसूस करती है कि जिन लोगों का वेतन बहुत कम है उनके वेतन में बढ़ोतरी करके अन्तर कम किया जाय, इस प्रकार वह क्या विचार रखती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हाँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो रिकमन्डेशन की थी कमेटी ने उस पर तत्कालीन क्या माना ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया है कि ५) रु० माहवार मंहगाई भत्ते में, जिनकी तनख्वाह ३१५ रु० महावार से कम थी बढ़ा दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जानी चाहिए सरकार के सामने ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है।

Page No.12

डॉ० चन्द्रकला : कमेटी जब नियुक्त की थी तो कमेटी का टर्म ऑफ रेफरेन्स दिया गया था; वह अवधि देकर दिया गया था कि अमुक अवधि के अन्दर अन्दर रिपोर्ट आ जानी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू स०) : क्या यह सत्य है कि ५) रु० बढ़ाये गये हैं वे पर्याप्त हैं और उनसे यह समस्या मिट जायगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६२७

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२८

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

डा० चन्द्रकला।

चौकड़ी तोपखाना देश व मोदीखाना में पक्की सड़कों का निर्माण एवं प्रकाश की व्यवस्था करना

६२६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चौकड़ी तोपखाना देश व मोदीखाना में कितनी और कौन कौन सी सड़कें हैं जो अब तक भी कच्ची हैं ? क्या उन्हें जल्दी ही पक्की कराने का विचार है ?

(२) क्या यह सच है कि जो सड़कें पक्की बनी हुई थीं वे भी मिट्टी कूड़े आदि से ऐसी ढक गयी है कि कच्ची के समान हो गई हैं ? क्या उनकी सफाई कराकर ठीक करा दिया जायगा ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त चौकड़ियों में कई सड़कें टूटी फूटी और मरम्मत के लायक हैं ? उनकी मरम्मत कब तक करा दी जायगी ?

(४) क्या उक्त चौकड़ियों की सब सड़कों एवं रास्तों पर सार्वजनिक प्रकाश की पर्याप्त सुविधा है ? यदि नहीं, तो जहां पर प्रकाश का अभाव है उसे कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री सम्पतराम): (१) चौकड़ी तोपखाना देश में १५ तथा मोदीखाना में ७ गलियां व सड़कें कच्ची हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन्हें पक्की कराने की योजना बनाई जा रही है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। उनकी मरम्मत के लिए भी तखमीना बनाया जा रहा है।

(४) जी नहीं। कुछ काम चलाऊ व्यवस्था है और कई जगह कमी भी है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : यह जो योजना बनाई जा चुकी है सड़क पक्की कराने के लिए, तो उसके अनुसार यह सड़क पक्की कब तक हो जायगी ?

श्री सम्पत्तराम : मैं यह निवेदन कर दूं कि पहले सड़कें म्युनिसिपेलिटी के तहत थीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीज़न के मुताबिक इन पक्की सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर कर दिया गया है। उनके तखमीने वगैरह बन रहे हैं। उनके बनने के बाद फण्ड प्रोवाइड करने के बाद में ठीक करने की व्यवस्था कर दी जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय ने बताया था प्रश्न के भाग (क) में कि पक्की कराने की योजना बनाई जा चुकी है तो मेरा मतलब यह है कि योजना जो बन चुकी है उसके अनुसार इन सड़कों को पक्की कब तक बना दिया जायगा। कोई न कोई योजना बन चुकी है तो क्या असम्भव है ?

श्री सम्पत्तराम : इसमें तारीख देना असंभव है, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा बनाने की कोशिश करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : कुछ गलियां ऐसी हैं जिनकी टूट फूट को मरम्मत का तखमीना बनाया जा रहा है लेकिन यह कब तक बन जायगा ?

श्री सम्पत्तराम: पी० डब्ल्यू० डी० को दो तीन बार रिमाइन्ड कर चुके हैं। उनका तखमीना आने के बाद फंड एलॉट होगा और फिर काम होगा।

डॉ० चन्द्रकला : आपने प्रश्न के भाग (४) के उत्तर में बताया कि जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं वहां व्यवस्था की जा रही है तो क्या मंत्रीजी यह बतलाने की स्थिति में हैं कि कितनी दूर तक सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था है और कितनी दूर में नहीं है ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है, आपने लाइट की गिनती की है, मैंने नहीं की। लेकिन तोपखाना देश में ३५ और मोदीखाना में ६० लाइट की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न संख्या ६३०

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

कस्बा दौसा में कम्पाउन्डर्स नर्सेज का अभाव

६३१. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील दौसा में कुल कितने अस्पताल व डिस्पेन्सरीज किस किस ग्राम में हैं और अब नये कितने कब तक कौन कौन से ग्रामों में खोले जाने का सरकार का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) कस्बा दौसा में सरकारी डिस्पेन्सरी में प्रतिदिन कितने मरीजों की औसतन संख्या है ?

Page No.14

(श्री रामधन)

(ग) क्या मरीजों की संख्या के हिसाब से कम्पाउन्डर व नर्स वगैरह की कमी है ? अगर हां, तो यह कमी कब तक पूरी होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) तहसील दौसा में एक डिस्पेन्सरी व एक प्रसूतिगृह एवं शिशु कल्याण केन्द्र है जो दौसा में स्थित है। अभी हाल में और कोई नये अस्पताल खोलने का विचार नहीं है।

(ख) कस्बा दौसा की सरकारी डिस्पेन्सरी में रोगियों की औसतन संख्या ७८.६ आउट-डोर तथा ०.३६ इनडोर है। रोगियों का इलाज अच्छी प्रकार से किया जाता है।

(ग) जी नहीं। अतः आगे का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रामधन : क्या यह सही है कि वहां पर एक्सरे की मशीन नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्सरे की मशीन हर जगह नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स पर होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर !

बीमा विभाग में ड्रामा करने वाले कर्मचारी

६३२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीमा विभाग में ड्रामा करने वालों की भी एक संस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि इस संस्था के सदस्यों से विभाग में या तो कुछ भी नहीं या बहुत कम काम लिया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि यह मंडली अभी पिलानी में डॉ० केसकर के आने पर वहां भी ड्रामा करने गई थीं ?

(४) यदि हां, तो विभाग के कितने कर्मचारी वहां गये तथा उनमें से कितनों ने विभाग से छुट्टी ली ?

(५) क्या यह सही है कि इस मौज करने वालों के कारण विभाग के बाकी कर्मचारियों को तकलीफ उठानी पड़ती है तथा उनसे रात्रि में भी कार्य कराया जाता है ?

उप-मंत्री वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) बीमा विभाग में "इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंन्ट रिक्रियेशन क्लब" नाम से एक क्लब है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों में मित्रता की भावना जाग्रत करना, मनोरंजन की सुविधायें उपलब्ध करना, साहित्यिक तथा सामाजिक कल्याणकारी कार्य करना तथा सांस्कृतिक कार्य करना है। ड्रामा सांस्कृतिक कार्य का एक अंग है।

(२) यह सही नहीं है, चूंकि प्रत्येक कर्मचारी का कार्य निर्धारित है जिसके अनुसार प्रत्येक को अपना २ कार्य करना पड़ता है।

(३) इस क्लब के कुछ सदस्य सरकार के पंच वर्षीय योजना प्रचार विभाग की प्रार्थना पर डॉ० केसकर के झुंझुनू आने के अवसर पर पिलानी गये थे। सदस्यों ने अल्प बचत योजना के बारे में एक प्रचारात्मक सांस्कृतिक

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

कार्यक्रम किया था।

(४) करीब २० सदस्य वहां पर गये थे तथा सबने विभाग से छुट्टी ली थी।

(५) जैसा कि स्पष्टीकरण प्रश्न नं० २ में कर दिया गया है, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का कोटा निर्धारित है तथा वह कार्य उसको ही सम्पन्न करना पड़ता है इसलिये अन्य कर्मचारी पर कार्यभार पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि बीमा विभाग में मेन्युअल के आधार पर कार्य का किसी प्रकार से विभाजन नहीं हुआ है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां पर काम का बंटवारा बाकायदा किया हुआ है। विभाजन है और सबको अपना कार्य करना पड़ता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जो आपने बताया कि कर्मचारियों को रात में काम नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या यह सही है कि नाचने—गाने वालों के अतिरिक्त दूसरे लोगों को रात में भी काम करना पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : काम ज्यादा हो तो रात में भी करना पड़ता है; जैसे असेम्बली का सेशन होता है तो बहुत से लोगों को रात में भी काम करना पड़ता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : असेम्बली में काम करने का सवाल नहीं है, वहां के कुछ लोग ड्रामा में काम करते हैं इसलिये दूसरे लोगों को रात में काम करना पड़ता है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस कारण से नहीं, बल्कि और कारण से करना पड़ता होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली शहर में ड्रेनेज स्कीम की क्रियान्विति

६३३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि पाली शहर में फिल्टर हाउस (हैडवर्क्स) के इर्द-गिर्द शहर की सभी जगहों का गन्दा पानी आकर फैलता है और विशेषकर वर्षा के दिनों में गन्दे पानी का एक तालाब सा बन जाता है ? यदि हां, तो क्या इसके कारण जनता को फिल्टर हाउस बनने पर भी शुद्ध जल उपलब्ध होना संभव नहीं है ?

(२) क्या सरकार का इस गन्दे पानी को सदा के लिये हटाने हेतु ड्रेनेज स्कीम शीघ्र ही लागू करने का विचार है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इसके लिये पाली कलेक्टर व नगर पालिका पाली ने सरकार से ड्रेनेज स्कीम लागू करवाने की सम्बन्धित अधिकारियों से लिखा-पढ़ी की? यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): पाली शहर के फिल्टर हाउस (हैड वर्क्स) का स्थान ऊँची लेवल पर है। बरसाती पानी

(श्री सम्पतराम)

हैड वर्क्स के पूर्व की ओर बह कर जाता है और हैड वर्क्स से दूरी पर पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी का फिल्टर हाउस पर कोई असर नहीं पड़ता और शुद्ध जल उपलब्ध होने में बाधा नहीं आती।

(२) सभी शहरों में जहाँ कि नगरपालिकाएं ऋण लेकर ड्रेनेज स्कीम चालू कराना चाहती हैं उनकी सर्वे कराने के पश्चात् कार्य किया जावेगा।

(३) जी हाँ। कलेक्टर पाली को इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सम्पतराम : सभी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर यह स्कीम लागू करना चाहते हैं। इस बारे में एडीशनल चीफ इंजीनियर (हैल्थ) को लिखा है। उन्होंने सर्वे करके सबकी रिक्वायरमेन्ट्स को देखते हुए उसकी डिटेल्ड स्कीम सरकार के पास भेजी है जो विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कितने डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स को उस स्कीम से कवर किया गया है ?

श्री सम्पतराम : अभी कुछ नहीं कह सकते।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कितने डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स को ड्रेनेज से कवर किया गया है ?

श्री सम्पतराम : कम्पलीटली किसी को नहीं किया, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हिस्सा किया गया है।

बीमा विभाग के अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

६३४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीमा विभाग में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या इनमें कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको कार्य करते हुए तो दो से तीन वर्ष तक हो गये हैं, परन्तु उनको हमेशा ३ माह तक कार्य करने का आदेश मिलता है तथा मियाद समाप्त होने पर यह आदेश ही पुनः जारी हो जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों को स्थाई बना दिया गया है जिनका सेवा-काल ६ महीने से अधिक नहीं है जिनमें से एक का नाम मनोहरसिंह है तथा उसकी केवल यही योग्यता है कि वह बीमा विभाग के अधिकारी के घर पर कार्य करता है ?

उप मंत्री वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) राज्य बीमा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के ६ कर्मचारी अस्थाई हैं।

(२) इनमें से चार चतुर्थ श्रेणी कर्म-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

चारियों का कार्य पूर्ण सन्तोषजनक नहीं है तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्थाई पद पर कार्य कर रहे हैं, अतः उनको स्थाई बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(३) जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कार्य सन्तोषजनक पाया गया उनको स्थाई बना दिया गया है। श्री मनोहरसिंह का कार्य सन्तोषजनक था, अतः उसे भी अन्य कर्मचारियों की तरह स्थाई बनाया गया था। श्री मनोहरसिंह ने पदाधिकारी के घर पर न तो कभी कार्य किया है, न अब कर रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन चार कर्मचारियों का कार्य असन्तोषजनक बताया है उनको पिछले चार साल से हर ३ महीनों में एक्सटेन्शन कैसे देते रहे है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्या आपकी यह मंशा है कि उनको एक साथ निकाल दिया जाय ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हर तीसरे महीने में मयाद बढ़ाते रहते हैं, तो या तो उनको नौकरी से निकालिये या परमानेन्ट करिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपकी यही मंशा है क्या कि उनको निकाल दिया जाय ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं यह चाहता हूँ कि हर तीसरे महीने मयाद बढ़ाने के बजाय उनको परमानेन्ट कर दिया जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनको अपना कार्य सुधारने का मौका देते हैं। उनका कार्य इतना असंतोषजनक नहीं है कि नौकरी से निकाल दिया जाय और इतना संतोषजनक भी नहीं है कि परमानेन्ट किया जाय। इस बीच में अगर उनका काम संतोषजनक हुआ तो परमानेन्ट करने के बारे में विचार किया जा सकता है। आपका यदि यह विचार हो कि निकाल दिया जाय तो विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि आर. एस. आर. के अनुसार ६ महीनों से ज्यादा अरसे के लिए किसी को रखना हो तो पी० एस० सी० से पूछना पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पी० एस० सी० लागू नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

अजमेर शहर में थड़ी मालिकों को पक्का निर्मित करने सम्बन्धी अनुमति

६३५. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : Will the Local Self Government Minister be pleased to state:-

1. Did the Ajmer Municipal Council resolve that the cabin holders at some places in the city of Ajmer be allowed to put up pucca constructions and for that purpose the plot of the cabin be leased out to them for a term of 30 years ?

(श्री अर्जनदास)

2. Did the Ajmer Municipal Council send the resolution to the Government for approval ?

3. If so, when were the said papers received by the Government.

4. When the Government approval is likely to be granted ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पत राम) : I would like to have adjournment of this question, Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह !

बाड़मेर नगरपालिका का चुनाव

६३६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर नगरपालिका का कार्य-काल कब समाप्त हुआ है ?

(२) आगामी चुनाव कब कराए जा रहे हैं ?

(३) चुनाव की कार्यवाही अब तक पूरी क्यों नहीं की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पत-राम) : (१) दिनांक २७–११–५६ को ।

(२) चुनाव शीघ्र ही कराये जावेंगे।

(३) नगरपालिका अधिनियम, १६५६ के प्रभावित हो जाने से अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव कराने से पूर्व वार्डों का विभाजन आवश्यक था, इसलिये चुनाव अभी तक नहीं हो सके ।

श्री तनसिंह : ये वार्ड्स कब तक बनकर आपके पास आ गये ?

श्री सम्पतराम : हमारे पास आ भी गये और इनकी स्क्रुटिनी कर ली है और एक–दो दिन में पब्लिश हो जायेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब ये वार्ड्स पब्लिश हो जायेंगे, दो तीन दिन में ही हो जायेंगे, तो मंत्रीजी यह क्यों कहते हैं कि चुनाव शीघ्र ही करा देंगे । उसकी तिथि मुकर्रर होनी चाहिये । आपके पास सब चीज़ तैयार है तो ठीक बात है, आपके पास निश्चित तारीख होनी चाहिये ।

श्री सम्पतराम : तारीख पूछना चाहते हैं वह मेरे पास नहीं है । वार्ड्स का फाइनल पब्लिकेशन करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ की बात है इसलिये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : महीना तो बता सकते हैं, यह तो बता सकते हैं कि तीन महीनों में या चार महीनों में चुनाव करा दिये जायेंगे ।

श्री सम्पतराम : जनरल स्टेटमेंट मैंने सदन के सामने दे दिया है । उससे आगे देने की स्थिति में नहीं हूँ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : आपने फर्माया कि रिटर्निंग ऑफिसर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तारीख मुकर्रर करता है। लेकिन दरअसल में कलेक्टर मुकर्रर करके रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजता है?

श्री सम्पतराम : कलेक्टर ही रिटर्निंग ऑफिसर होगा?

रावराजा श्री सरदारसिंह : कलेक्टर नहीं, बल्कि तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर है। मैंने उनसे कहा कि तारीख मुकर्रर करो तो कहा कि कलेक्टर का आदेश होने पर करेंगे।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य की प्राइवेट में बात क्या हुई, इसका मुझे पता नहीं है लेकिन जो तारीख गजट में आया होगी वह रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से होगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह मेरा सवाल नहीं है, आम सवाल है, ऐसा होगा तो अब मैं आपके नोटिस में लाऊंगा।

श्री तनसिंह : आपने २७-३-५६ को कार्यकाल समाप्त हुआ बताया। क्या यह रूल्स के मुताबिक है कि ६ महीनों के पहले पहले म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराने की कार्यवाही करानी चाहिये थी वहां अब तक वार्ड्स भी फाइनल नहीं हो पाये?

श्री सम्पतराम : नहीं, म्युनिसिपैलिटी जो कुछ काम कर रही है कायदे कानून के मुताबिक कर रही है।

श्री तनसिंह : इसका मतलब क्या यह है कि १९५६ में उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले, छः महीने पहले वार्ड्स बना कर भेज दिये थे आपके पास?

श्री सम्पतराम : इसका कुछ भी आप प्रिज़म्शन कर लें। मैंने स्पेसिफिक तरीके से जवाब दिया है कि वार्ड्स बन कर आ गये हैं। अब कौनसी तारीख को वार्ड्स बनाये, कौनसी तारीख को भेजे, ये डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री तनसिंह : आपके पास डिटेल्स नहीं हैं। आप कहते हैं कि बाकायदा ढंग से कानूनी कार्यवाही की है, तो क्या १९५६ में वार्ड्स बनाकर भेज दिये और उसकी स्क्रुटिनी में दो साल लगते हैं तो गल्ती उनकी है या सरकार की है?

श्री सम्पतराम : गल्ती किसकी है, यह सवाल नहीं है। गल्ती समझने की है।

श्री तनसिंह : मेरे ख्याल में आपकी भी उतनी की उतनी है।

श्री सम्पतराम : इसमें कई प्रकार की बातें हैं। रीसेंट सेन्सस के आंकड़े होते हैं, वे नहीं थे। अगर वह काम १९५६ में भी हुआ तो कोई फर्क नहीं है।

श्री तनसिंह : दो साल आप ले सकते हैं और कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि हमारे पास यह कमी थी, इसलिए यह कार्यवाही होनी थी, इसमें इतना टाइम लग गया। दो साल हुए म्युनिसिपैलिटी का टाइम एक्सपायर हो गया और आप इतना टाइम लगा देते हैं, फिर इसमें क्या बात है?

Page No.20

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, १७–१०–५६ को नया कानून एग्जिस्टेन्स में आया है, उसके अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स की पोपुलेशन मालूम करनी है। जो पहले सेन्सस हुआ था उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स की अलग पोपुलेशन नहीं थी। उनकी पोपुलेशन के अनुसार जो पहले कई एक वार्ड थे, उसकी एक कॉन्स्टीट्युएन्सी होती थी उसको अलग अलग बना कर नम्बर ऑफ सीटस डिक्लेअर करनी थी, रिजर्व सीट्स बनानी थी, इसमें काफी टाइम लगना था। इसलिए कहा कि जिस समय विधान सभा में यह कानून पास हुआ उस समय जो इश्यू डिस्कस हुए, उनके अनुसार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : म्युनिसिपैलिटी का टाइम एक्सपायर हो गया, १७–१०–५६ को कानून लागू हो गया, फिर आपने रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त क्यों नहीं किया ?

श्री तनसिंह : क्या मैं यह समझूं कि म्युनिसिपैलिटी का टाइम एक्सटेन्ड नहीं किया जायगा ?

श्री सम्पतराम : आप कुछ भी समझें, लेकिन जब तक नया बोर्ड चार्ज नहीं ले लेगा, तब तक एक्ज़िस्टिंग बोर्ड एक्ज़िस्ट करेगा।

श्री तनसिंह : क्या मैं यह समझूं कि यदि आवश्यकता समझी गई तो जो एक्जिस्टिंग बोर्ड है, उसको और एक्स्टेन्शन दे दिया जायगा ?

श्री सम्पतराम : आप प्रिज्यूम कुछ भी कर लें, मेरा आन्सर बहुत स्पष्ट है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह स्पष्ट है कि उस बोर्ड का टाइम एक्स्टेन्ड किया जायगा। आप कह चुके हैं कि जुलाई के पहले चुनाव करवा दिये जायें। यह बात आपने जिस दृढ़ता से कही, उसी दृढ़ता से कहें कि चुनाव हो जायेंगे !

श्री सम्पतराम : जब प्रश्न का जवाब दिया था तब उसी दृढ़ता से रिपीट किया था। वैसे जब तक इलेक्टेड बॉडी चार्ज नहीं लेगी तब तक एक्ज़िस्टिंग बोर्ड का टाइम बढ़ाया जायगा। इस बीच इस बोर्ड से कोई गल्ती होती है और गवर्नमेंट समझती है कि बोर्ड इन्काम्पीटेन्ट है तो उसको सुपरसीड किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सदन में आपने कहा कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जुलाई के पहले हो जायेंगे निश्चित रूप से। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि जुलाई के पहले चुनाव हो जायेंगे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : उस दिन कहा था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह माना जाय कि क्वेश्चन्स के इस प्रकार मनमाने ढंग से जबाब दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

जोधपुर म्युनिसिपल कौंसिल में झाडू लगाने का कार्य करने वाला मैट्रिक पास वाल्मीकी व्यक्ति

६०६. श्री लादूराम सुलाणिया (दूधू-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि एक वाल्मीकि व्यक्ति जो मैट्रिक पास है, जोधपुर म्युनिसिपल कौंसिल में झाडू लगाने के स्थान पर कार्य कर रहा है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उस व्यक्ति ने क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) गत तीन वर्षों में क्लर्क्स के कितने रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई ?

(४) क्या नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों के साथ सहृदयता बर्ती गई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति नियुक्त किये ?

(५) क्या सरकार ऐसे वाल्मीकियों को जो पढ़े लिखे हैं या मैट्रिक पास हैं, उचित पदों पर नियुक्त करेगी ?

मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री सम्पतराम): (१) जी नहीं । कुछ समय पहले अवश्य करता था ।

(२) जी हां, उसे क्लर्क पद पर नियुक्त किया जा चुका है ।

(३) केवल ५ रिक्त पदों पर ।

(४) जी हां, एक व्यक्ति जो क्लर्क के पद की योग्यता रखता था उसकी पदोन्नति की जा चुकी है ।

(५) जी हां ।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसकी कब नियुक्ति की गई ?

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन यह निश्चित बात है कि उसको एल. डी. सी. के पद पर लगा दिया गया है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : यह निश्चित नहीं है । मैं कहना चाहूँगा कि उसको सर्विस नहीं मिली है और इसलिए सर्विस नहीं मिलती है क्योंकि वह मेहतर जाति का है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय स्पष्ट कह चुके हैं कि सर्विस पर लगा दिया जा चुका है । आप किस आधार कहते हैं कि उसको सर्विस नहीं मिली है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : कौनसी तारीख को नियुक्ति की है ?

श्री अध्यक्ष : तारीख का पता मन्त्री महोदय को नहीं है, पर वे निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि नौकरी पर लगा दिया जा चुका है । आप कहते हैं कि नहीं लगाया है । वे आपको अधिकृत रूप से सूचना दे रहे हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मेरे पास कल तक की सूचना है कि नियुक्ति नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६११.

श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

चने के व्यापारियों से नियम विरुद्ध वसूल की गई धनराशि की अदायगी

६१३. *श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ५ फरवरी व १८ मार्च, १६५३ के बीच राजस्थान से चने की निकासी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा २) रु० प्रति मन के हिसाब से बाहर जाने वाले माल पर वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये इस प्रकार से वसूल किए गये ?

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ पार्टीज़ को बाद में यह रकम वापिस लौटाई ? यदि हां, तो किन किन को ? जिसको नहीं लौटाई उसका क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार बाकी बचे हुए व्यापारियों को भी गैर कानूनी ढंग से वसूल किया हुआ रुपया लौटाने का इरादा रखती है ? यदि, नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या यह सही है कि इस रकम को लौटाने के बाबत सिविल सप्लाइज़ विभाग के प्रशासनिक अधिकारी ने सिफारिश की है ? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मेसर्स श्रीराम अयोध्याप्रसाद, गंगानगर को लिखे गए पत्र संख्या ५००३। एफ, दिनांक १६—६—५६ की प्रतिलिपि सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ङ) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में गंगानगर की कुछ पार्टीज़ ने सरकार पर दावे भी किये हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने दावों में डिग्री हुई ?

(च) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस प्रकार के मामले में बम्बई सरकार ने सभी व्यापारियों को इस प्रकार की रकम बावजूद मयाद गुजरने के भी लौटा दी है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार भी ऐसा करना उचित नहीं समझती ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) हां । भारत सरकार ने आदेश नम्बर एस० आर० आ० २७८ दिनांक ५—२—५३ के द्वारा चने के निर्यात पर से प्रतिबन्ध उठा दिया था । २ रुपये प्रति मन से बाहर जाने वाले माल पर कितनी रकम वसूल की गई, इसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस आमदनी की रकमों का अलग लेखा नहीं रखा जाता ।

(ख) हां । कुछ व्यापारियों को कोर्ट में

Page No.23

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

डिग्री हो जाने के पश्चात् इस प्रकार की रकमें लौटाई गई और कुछ बिना डिग्री के भी लौटाई गई। अब ऐसी रकमें कालातीत हो गई हैं। यह भी विदित हुआ कि व्यापारियों ने इन रकमों को अनाज की बिक्री की कीमत में शामिल करके उपभोक्ताओं से वसूल कर ली हैं। इसलिए ऐसी रकमें अब किसी को भी लौटाई नहीं जा रही हैं। जिनको लौटाई गई हैं उनकी एक सूची इसके साथ संलग्न है।

(ग) क्योंकि इस प्रकार की वसूल की हुई रकमें व्यापारियों ने उपभोक्ताओं से वसूल कर ली हैं और अब ऐसी रकमें कालातीत हो गई हैं अतः उनको इन रकमों के लौटाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(घ) इस रकम के लौटाने के बाबत सिविल सप्लाईज़ विभाग के प्रशासनिक अधिकारी ने कोई सिफारिश नहीं की है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मेसर्स श्रीराम अयोध्याप्रसाद को लिखे गये पत्र संख्या ५००३। एफ दिनांक १९–६–५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने के लिए इसके साथ संलग्न है।

(ङ) हां, गंगानगर की कुछ पार्टीज़ ने सरकार पर दावे किये हैं। परन्तु किसी भी दावे में अभी राज्य सरकार के विरुद्ध डिक्री नहीं हुई है, बल्कि एक दावे में नीचे की कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला किया है।

(च) इस सम्बन्ध में कोई सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।'

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सरकार ने यह निर्णय कब दिया कि जिन व्यापारियों ने उपभोक्ताओं से वसूल कर ली है उनको इस रकम को वापिस देने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब टाइम बार हो गया यह मामला, जब हमारे पास सूचना आई कि उन लोगों ने वसूल कर लिया है दूसरे लोगों से बेचते वक्त, तो हमने निर्णय ले लिया।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने यह निर्णय कब लिया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप वर्ष बता दीजिये, कौन से वर्ष में निर्णय लिया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिन व्यापारियों को यह रकम लौटाई है, उनको लौटाने के पहले निर्णय लिया था या बाद में।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बाद में।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि सरकार ने निर्णय लिया उसके अनुसार जिन व्यापारियों ने उपभोक्ताओं से

(श्री भैरोंसिंह)

रकम वसूल कर ली है, वे सरकार के निर्णय के अनुसार रुपये के लेनदार नहीं थे, तो जिन व्यापारियों को रकम लौटाई है, उन लोगों से रकम वापिस लेने की कार्यवाही की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह रकम सरकार वापिस ले नहीं सकती कानून के अनुसार ।

श्री भैरोंसिंह : किस कानून के अधीन सरकार वापिस नहीं ले सकती, सरकार को किस तरह रोक सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि दो जगह अगर व्यापारी वसूल कर लेते हैं, सरकार से वसूल कर लेते हैं और जनता से वसूल कर लेते हैं तो यह इक्वीटेबल नहीं होता । क्योंकि यह टाइम बार हो गया इसलिए रकम वापिस नहीं ले सकती सरकार ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के सामने टाइम बार का प्रश्न पैदा नहीं होता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई जी हां, होता है, विशेष परिस्थिति में कोई खास जेनुआइन रकम हो, उसमें सरकार का प्ली नहीं है, सरकार लिमिटेशन्स का ध्यान रखती है । खास तौर पर यह मामला....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जुडिशियल कोर्ट के द्वारा कई प्रकार के निर्णय हुए हैं कि सरकार को लिमिटेशन की प्ली नहीं लेनी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ये पर्टीक्यूलर केसेज़ में हुए हैं; जनरल केसेज़ में प्ली नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने किसी किसी केस में लिमिटेशन की प्ली ली है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप कहते हैं कि सरकार यह प्ली ले लेती है, तो आप कोई केस बतावें, मैं उसको देख कर कह सकता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह जांच की है कि जिन लोगों को सरकार ने रकम वापिस दे दी है उन्होंने उपभोक्ताओं से रकम वसूल कर ली थी ?

श्री पूमनचन्द बिश्नोई : उस वक्त यह मामला नहीं आया था, इसलिए हमने यह रकम लौटा दी । अब कानून के अनुसार वह रकम वापिस वसूल नहीं कर सकते । हो सकता है कोई केस ऐसा हो, जिसमें हमारे पास शिकायत आने से पहले रकम वसूल कर ली हो ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के सामने कौनसी कानूनी बाधा आ रही है जिसके अनुसार सरकार रकम वसूल नहीं कर सकती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सरकारी रकम नहीं है । यह कानूनी मसला है । कृपया

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

वकील को कन्सल्ट करके हमें बतायें। मैं जानता हूँ, मैं वकील रहा हुआ हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी वकालत नहीं चली है, मुझे मालूम है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि उनसे कानून की नॉलेज ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह : आप अच्छे एडवोकेट रहे हैं, यह सुन लीजिये। मेरे कहने का मतलब है कि जिन व्यापारियों ने उपभोक्ताओं से रकम वसूल कर ली है उनको रकम वापिस नहीं दी जानी चाहिए थी। जिन्होंने रकम ले ली है, उनसे रकम वापिस लेनी चाहिए। सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए और एक सा निर्णय लेकर एक से वापिस रकम न लेना चाहे तो दूसरों को देनी चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून जानते हैं वे ही समझ सकते हैं, मिडल पास इस मामले को नहीं समझ सकता।

श्री भैरोंसिंह : इतना मैं कह सकता हूँ कि मिडल पास हूँ या कुछ भी हूँ, सेटलमेंट में आपकी ५) रु० की प्रेक्टिस चलती थी, उससे ज्यादा कमा सकता हूँ। यह अच्छी तरह मालूम है कि सेटलमेंट में आपकी ५) रु० की प्रेक्टिस चलती थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपकी प्राइवेट प्रेक्टिस चलती हो तो कह नहीं सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार ने चने की निकासी बन्द कर दी उस समय में दो रुपये मन के हिसाब से वसूल किया है वह तो अवैध है, वह तो लौटाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : It is a legal question. We cannot give an opinion about it.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोर्ट में दावा कर दें, यदि डिक्री हो गई तो मय खर्च के लौटा देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोर्ट का सवाल नहीं, सवाल यह है कि राज्य सरकार ने ५-२-५३ से १८-३-५३ तक चने की निकासी बन्द कर दी तो उस वक्त २) रु० मन के हिसाब से वसूल किया वह गैर कानूनी है वह लौटा देना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया न कि कोर्ट में दावा कर दें, अगर जीत गये, डिग्री हो गई तो मय खर्च के पूरा दे देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह माना है कि इस प्रकार की वसूल की हुई रकम को कइयों को आपने लौटाया है तो इन लोगों को क्यों नहीं लौटाया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर में मना किया है कि ऐसी रकमें लिमिटेशन के बाहर चली गई हैं और व्यापारियों ने उपभोक्ताओं से बिक्री की कीमत में शामिल कर के वसूल कर लिया है, इसलिये उनको लौटाया नहीं जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इस बात को माना है, कि ५ फरवरी १६५३ से १८ मार्च, ५३ तक आपने चने की निकासी को बन्द कर दिया, दूसरे यह कहा कि जिन लोगों ने डिक्री हासिल कर ली उनको २ रुपये मन के हिसाब से जो वसूल किया था वह लौटा दिया और यह भी कहा कि बिना डिक्री के भी कई लोगों को लौटा दिया और तीसरी बात आपने यह कही कि लिमिटेशन खत्म हो गई इसलिये बाकी के लोगों को नहीं लौटाने वाले हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब सरकार मानती है कि यह रकम अवैधानिक रूप से वसूल की है तो उसे क्यों नहीं लौटाती ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन और पूछना है। यह कहा गया कि जिन केसेज की मयाद निकल गई है उनको, लिमिटेशन के बाहर होने के कारण, सरकार रकम नहीं लौटाने वाली है। तो फिर १६५६ में एक पत्र विशेष पार्टी को लिखा है It is dated 19th June, 1956. मयाद निकलने के बाद यह लेटर क्यों लिखा है?

"The Government have decided to consider your claims for refund of S. A. C. deposited during the free movement period, i. e. from 5. 2. 53 to 18. 3. 53. In connection with the above, you are directed to please send your duly authorised representative to this office to meet the undersigned on any working day with all documents or informations in support of your claims with particular reference to the following points.

1. Original receipt of the amounts deposited.

2. Original permits issued to your favour bearing relevancy with the amount deposited.

3. When the goods against the permits were exported outside Rajasthan.

4. Any other information."

फिर इस पार्टी को इन्डिविज्युअल केसेज़ में कैसे लिखा कि आप तो आकर रुपया ले जाइये !

Page No.27

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मयाद निकलने के बाद में हमने कहां कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, यह मामला बहुत सीरियस है, जिनको फेवर करना है उनको मयाद निकल जाने के बाद भी लेटर लिख कर कहते हैं कि तुम तो आकर अपनी रकम ले जाओ....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय यह स्वीकार नहीं करते कि मयाद निकलने के बाद यह पत्र लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो लिखा है साहब, पत्र मौजूद है; उस पर डेट मौजूद है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लिमिटेशन कब खत्म होता है, यह अलग अलग केसेज़ में अलग है। मैंने अर्ज किया न कि कोर्ट में जांय, डिग्री हो जायगी तो पूरा रुपया लौटायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : या तो सारे केसेज़ में कह दीजिये कि कोर्ट में जाइये, पर कुछ केसेज़ में लिमिटेशन की प्ली लेते हैं और कुछ में लिमिटेशन की प्ली नहीं लेते, यह तो फेवर करने की ही बात हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

नशाबन्दी

६११. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या आबकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) सन् १६५८ से अब तक प्रतिवर्ष गांजा, भांग, शराब और अफीम की कितनी बिक्री हुई ?

(२) नशाबन्दी को नीति की दिशा में क्या प्रगति हो रही है ?

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) अफीम, गांजा की बिक्री बन्द कर दी गई है। शराब की कुछ दुकानें हर वर्ष कम की जाती हैं। शराब की दर हर वर्ष बढ़ाई जाती है तथा होटलों, रेस्टोरेंटों, सिनेमाघरों इत्यादि के शराब के बार सिवाय विदेशियों के लिये कुछ छूट के बन्द कर दिये गये हैं। वर्ष में नौ ड्राई डेज भी रखे गये हैं। गुजरात व राजस्थान की हद पर हमारे यहां १० मील का ड्राई एरिया इस साल से घोषित करने का फैसला हो चुका है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री तनसिंह : गैलन्स में जो शराब का प्रोडक्शन कर रहे हैं वह तो बढ़ रहा है। ५८-५६ में ८,२०,००० गैलन शराब का प्रोडक्शन किया, ५६-६० में ६,०२,००० गैलन प्रोडक्शन किया और ६०-६१ में अप टू जनवरी ७,२७,५७१ गैलन प्रोडक्शन किया। दो महीने बाकी हैं जिनका ब्यौरा आ जाने पर यह तो प्रोडक्शन इतना ही हो जायगा। फिर आपने कहा कि दुकानें कम कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो resfricted

Page No.28

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

मेज़र्स लिये हैं उनसे इल्लिसिट डिस्टिलिशन रुका है, इस वजह से यह जायज शराब ज्यादा बिकती है ।

श्री तनसिंह : इल्लिसिट डिस्टिलिशन के रोकने के कारण ज्यादा बनती है तो दुकानों की संख्या कम करने से नशाबन्दी नहीं हो सकती । नशाबन्दी तो प्रोडक्शन कम करने से हो सकती है । वह आपका बढ़ रहा है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां जहां, माननीय सदस्य या और कोई ध्यान दिलाते हैं कि दुकान इस जगह रखना उचित नहीं, वहां उस लोकेलिटी को देखने के बाद, उचित होता है वहां बन्द कर देते हैं ।

श्री तनसिंह : पर आपका शराब तो उतना ही बिक रहा है । दुकानों की संख्या कम करते हैं तो इससे यही फर्क पड़ता है कि पहले नजदीक से खरीद लेते थे अब थोड़ा दूर जाकर खरीदते हैं । खरीद और बिक्री बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है । दुकानें कम करने से क्या फायदा ? प्रोडक्शन कम करना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या पुराने पीने वाले ज्यादा पीने लग गये हैं इसलिये प्रोडक्शन बढ़ रहा है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या जो लोग पहले नहीं पीते थे वे पीने लगे हैं, इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिक्री बढ़ रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रोडक्शन बढ़ कहां रहा है ? ५८ से ज्यादा शराब नहीं बनी है, उतनी ही बन रही है । पोपुलेशन हर साल बढ़ रही है ।

श्री तनसिंह : आंकड़े जो आपने दिये हैं, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया उनसे तो साफ जाहिर होता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पिछले साल से कम है ।

श्री तनसिंह : भांग के सम्बन्ध में आपके क्या विचार है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : घोट-घोट कर पीओ ।

श्री तनसिंह : अफीम और गांजा बन्द कर दिया, शराब पर सरकार की महरबानी है, शराब बन्द नहीं करती पर भंग को सरकार क्यों नहीं बन्द कर रही है ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपको बड़ी मुश्किल मालूम होती है ।

श्री तनसिंह : ऐसे काम नहीं चलेगा; जवाब दीजिये, कुछ न कुछ कहिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : भांग जैसे दूसरे इलाकों में बन्द नहीं हुई है, उसी तरह हमारे यहां पर भी बन्द करने का विचार नहीं है ।

श्री तनसिंह : तो फिर इसके प्रचार के लिये प्रचार के वैज्ञानिक तरीकों का प्रबन्ध कीजिये ।

.....

Page No.29

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : शराब बन्दी करने के लिये जहां जहां मजदूरों की कोलोनीज़ हैं उन बस्तियों में शराब की दुकाने नहीं हों, इस प्रकार की व्यवस्था तो कर सकते हैं

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां जहां माननीय सदस्य ध्यान दिलायेंगे और उचित होगा तो बन्द करेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : ध्यान दिलाने का सवाल नहीं, पॉलिसी का प्रश्न है । अधिकांश ऐसी बस्तियों में शराब के कारण बहुत बरबादी होती है । तो क्या सरकार इस प्रकार की नीति मानती है कि इस प्रकार की मजदूर कॉलोनीज में शराब की दुकानें बन्द की जायं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह जनरल स्टेटमेंट है, किसी जगह का ध्यान दिलायें तो कुछ कहा जा सकता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जितने शराब पीने वाले हैं उनके नामों का पंजीकरण किया जाय ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह संभव नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : बाथ रूम ड्रिंकाड्स के कारण शराब की इतनी बिक्री बढ़ गई है, इसको सरकार बन्द करे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : शराब पीने वालों के नाम का पंजीकरण किया जा सकता है, बिक्री के समय नाम लिख लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष : जवाब मिल चुका है, मंत्री महोदय ने कहा न कि यह संभव नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो लोग घरों में जा–जा कर छुप–छुप कर शराब पीते हैं, क्या सरकार उनकी लिस्ट बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

सरपंच, पंचायत नगर, द्वारा खरीदे गये एन्जिन और मशीनें

६१५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरपंच, पंचायत नगर, तहसील देवली जिला टोंक ने पंचायत कोष से कोई एंजिन खरीदा है ? यदि हां, तो कब और कितने में ? क्या दीगर मशीनें उसके साथ खरीदी गई हैं ? अगर हां, तो कितने कितने में ?

(२) क्या उक्त एंजिन और मशीनें चल रही हैं ? अगर हां, तो अब तक उससे कितनी आमदनी हुई और मासिक आमदनी की क्या औसत है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मशीनें खरीदने से पहले कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट, जिला परिषद् या पंचायत समिति से मंजूरी ली गई थी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) उपरोक्त सामान खरीदने से पहले

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

किन किन शर्तों पर किस किस फर्म्स से कोटेशन्स मांगे गये थे? हाईएस्ट और लोएस्ट किस फर्म के कोटेशन्स थे?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, दिनांक २०-१-६० को ८६४२) रु० में खरीदा। दीगर मशीनें ३६०१) रु० में खरीदी गई।

(२) जी नहीं, एंजिन की सुरक्षा के लिये निर्माण कार्य चलने से एंजिन व मशीनें नहीं चल रही हैं। मशीनें नहीं चलने से आमदनी का प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं। पंचायत ने अपने कोष से ही यह एंजिन आदि खरीदने के कारण एवं नियम की जानकारी के अभाव में स्वीकृति नहीं ली।

(४) सामान खरीद की कोई शर्त नहीं ठहरी-कोटेशन इंजिनियरिंग वर्क्स कं० देहली, विजय एण्ड कं० नया बाजार देहली, क्राउन फिस्टन मेन्युफेक्चरिंग कं० देहली, दी ओरियेन्टल एण्ड निरेन्ड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, कोपर एंजीनियरिंग लिमिटेड से मांगे थे। हाइयेस्ट कोटेशन विजय एण्ड कम्पनी का था और लोएस्ट कोटेशन ग्लोब एन्जीनियरिंग वर्क्स का था।

(१२ मध्यान्ह)

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि २०००) से ज्यादा रकम पंच खर्च कर सकता है और अगर करे तो उसको डिपार्टमेंट से इजाजत लेना अनिवार्य नहीं है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि उनको नियमों की जानकारी नहीं थी, इसलिये ऐसा नहीं किया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप यह कहते हैं कि उनको कानून की जानकारी नहीं थी, मैं यह कहूँगा कि सरपंच वहां पर १० वर्षों से है, फिर क्या कानून की जानकारी नहीं थी? बजट आता है और ऑडिट से एतराज होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलाया जाना चाहिये। उधर से कोई सरपंच होता है तो उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती और अगर इधर वालों के कोई सरपंच होते हैं तो उनको सस्पेन्ड कर देते हैं। उधर से ५ या ६ हजार रुपयों को खर्च कर देते हैं तो कहा जाता है कि मंजूरी नहीं ली, तो उनको जानकारी कानून की नहीं थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनको भी नोटिस दिया गया है और अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो एक्शन लिया जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि गड़बड़ी हुई है और अदालत में चालान भी हो चुका है?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

(अध्यक्ष)

श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल ।

बूसी ग्राम पंचायत के सरपंच, जसवन्तसिंह की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही

६२२. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले के बूसी ग्राम पंचायत के सरपंच जसवन्तसिंह ने पंचायत के पंच, श्री हस्तीमल को राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा १७ (४) (क) (ख) के अधिकारों का प्रयोग कर पंचायत से पृथक् कर दिया है और उसकी सूचना पंचायत समिति रानी, जिला परिषद् पाली, कलेक्टर पाली को दी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ख) क्या पंचायत नियम के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले सरपंच के विरुद्ध सरकार धारा १७ (४) की कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जी हां, यह सही है कि सरपंच ने पंच श्री हस्तीमल को दिनांक १४-८-६० को पारित प्रस्ताव के अनुसार पृथक् कर सूचना उच्चाधिकारियों को दी। सरपंच को राज्य सरकार के अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है और फलतः विकास अधिकारी पंचयात समिति रानी में दिनांक २९-१०-६० को आदेश दिया गया है कि सरपंच पंचायत के इस प्रस्ताव को कार्यान्वित न करे और पंचायत द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए श्री हस्तीमल को नियमानुसार पंच मानने का आदेश देते हुए श्री हस्तीमल को भी सूचना दे दी गई, चूंकि पंचायतों के पुनर्निर्वाचन निकट भविष्य में होने जा रहे थे और सरपंच के विरुद्ध उक्त आदेश की अवहेलना करने की कोई शिकायत प्राप्त न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया ।

जोधपुर म्युनिसिपल कौंसिल के स्वच्छकार

६२५. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर म्युनिसिपल कौंसिल में कुल कितने स्थान स्वच्छकारों के हैं ?

(ख) क्या इन समस्त स्थानों पर अनुसूचित जातियों के ही कर्मचारी हैं या अन्य जातियों के भी हैं ? अलग २ संख्या बताई जाए ।

(ग) स्वीपर जाति के अतिरिक्त जो अन्य जातियों के व्यक्ति हैं , क्या यह सफाई

(श्री लादुराम सुलाणिया)

कार्य जैसे सड़क–गली झाड़ना, कूड़ा उठाना व नाली–संडास साफ करना आदि कार्य करते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) कुल स्थान ८६० हैं।

(ख) अन्य जातियों के भी हैं जिनमें ८२९ कर्मचारी अनुसूचित जाति के व शेष ३१ अन्य जाति के हैं।

(ग) जी नहीं।

श्री लादूराम सुलाणिया : यह आपने (ग) के उत्तर में कहा है कि कोई भी कर्मचारी नहीं है; हरिजनों के स्थान पर हो और वे काम नहीं करते हैं।

(ग) में आपने बताया है 'जी नहीं'। हरिजनों के स्थान पर व्यक्ति हैं जो हरिजनों का काम नहीं करते और दूसरे काम करते हैं।

श्री सम्पतराम : हरिजनों के अलावा अन्य लोग थे जो कूड़ा–कर्कट लोग डालते हैं उनको रोकने के लिये रखा गया जो हरिजन काम नहीं कर सकते और उसको रोक नहीं सकते थे इसलिये उनको लिया गया।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैंने (ग) में पूछा है; "क्या यह सच है कि वे लोग सफाई का काम नहीं करते हैं। मेरा (ग) यह है कि स्वीपर जाति के अतिरिक्त जो अन्य जातियों के व्यक्ति हैं क्या वे सफाई–कार्य; जैसे सड़क गली झाड़ना, कूड़ा उठाना व नाली–संडास साफ करना आदि कार्य करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

आपने इस (ग) के उत्तर में कहा है, "जी नहीं"। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जोधपुर म्युनिसिपैलिटी में काफी ऐसे लोग हैं जो हरिजनों के स्थान पर लिये गये हैं मगर वे सरकारी अधिकारियों के बंगलों पर काम करने जाते हैं और टट्टी नहीं झाड़ते, क्या यह सच है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि वहाँ पर कई प्राइवेट लोग कूड़ा–कर्कट डाल देते हैं। उनको चैक करने के लिये स्वीपरों के अलावा ७० आदमियों को नियुक्त किया गया जो कूड़ा कर्कट डालने वालों को पकड़ने का काम करते हैं। इसमें से कुछ हरिजन हैं और कुछ अन्य गैर हरिजन हैं। लेकिन अब उनको आदेश दे दिया है कि या तो वे भी झाड़ू लगाने का काम करें या उनको नौकरी से अलग कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री लादूराम सुलाणिया : एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर उनको रहना है तो सारा काम करना होगा।

श्री लादूराम सुलाणिया : अगर वे काम नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो बाद में पैदा होगा।

श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, चुनावों का समय आ रहा है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये किस प्रश्न पर बोल रहे हैं।

(१२.०७ म. प.)

कार्य–सलाहकार समिति का २१ वां प्रतिवेदन

(उपस्थापन एवं सहमति)

श्री अध्यक्ष : श्री गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के २१ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष :Next motion.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २१ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(१२.०६ म० प०)

विनियोग एवं वित्त लेखे १६५६–६० एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखना एवं उनके प्रेषण सम्बन्धी आपत्ति

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप–मन्त्री, वित्त): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के निम्नांकित लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ :

(१) विनियोग लेखे १६५६-६० एवं उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६६१ ।

(२) वित्त लेखे १६५६-६० एवं उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६६० ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अंकेक्षा प्रतिवेदन के विनियोग लेखे व वित्त लेखे सदन में प्रस्तुत किये गये हैं । ये लेखे दो महीनों पहले से सरकार के विचाराधीन पड़े हुए हैं । इनको, बजट जिस समय प्रस्तुत हुआ उस समय प्रस्तुत करना चाहिये था ताकि बजट के समय सदन इन पर विचार कर सकता । देरी किस कारण से हुई, इसके लिये तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अब भी माननीय सदस्यों को इनकी प्रतिलिपि मिल जाए तो एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : जितनी प्रतिलिपियें आई हैं वे आपको अभी दे दी जावेंगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हाउस में ये लेखे जब कभी नेक्स्ट ईयर का बजट पेश होता है उससे पहले ये पब्लिक एकाउन्टस के लेखे भी मिल

Page No.34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाने चहिये। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय बतावें कि ये राज्य सरकार को कब मिले और अब इतनी देर तक उनको रोके रखने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने कहा, यह उचित बात है। जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाय उतना ही अच्छा है और इसके बारे में दो-चार दफे राज्य सरकार को रिमाइन्ड किया और आशा करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट और ए. जी. से जो रिपोर्ट आती है वे बहस के दौरान में माननीय सदस्यों को मिल जावें: ताकि बहस के दौरान में वे कुछ कहना चाहें तो कह सकें। इसलिए उनको रिपोर्ट जल्दी मिल जानी चाहिए।

विनियोग विधेयक सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल, १९६१।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : I have a point of order, Sir. The Appropriation Bill marked 'Confidential' was delivered to me on the 27th of this month. This was delivered along with a letter in which we had been asked to keep this Bill as secret until it was intrndoced in the House. This Bill was received along with other loose papers and I submit that correct procedure of sending documents to the members of the House has not been followed.

श्री अध्यक्ष : There is no special procedure laid down for this type of documents. If the papers are of such nature certainly we can take special measures for that.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : A special letter is addressed to the Hon'ble members to keep the document secret, and on the other hand the document is received in un-folded condition and without a cover. If in the member's absence somebody looks at these documents, how is it the responsibility of the member ? If they were intended to be kept secret, correct procedure should have been followed in sending them, but it has been treated very lightly. Even the Supplementary Demands were received in the same manner.

श्री अध्यक्ष : The facts and figures of supplementary demands were not meant for publication prior to their introduction. Therefore, they had been marked 'confidential' so that the members may not pass them on as if they were public property.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : And who would be responsible if anyone looks at those papers before they reach the Hon'ble members ? Even the peon can show it to anyone.

श्री अध्यक्ष : That is hypothetical. We will see as and when it arises.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Then the members should not be asked to keep

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

it secret. It should be sent in a cover if it is intended to be kept secret.

श्री अध्यक्ष : It is marked 'confidential' in the sense that the members may not pass it on for publication or for any other purpose so that no one can say that a certain Hon'ble member passed on the information to him.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : A reasonable procedure has to be prescribed for despatching of such papers. A certain procedure, certain practices have to be enolved .....

श्री अध्यक्ष : I cannot understand what rule or practice is being flouted. I have explained to you why they are marked 'confidential'. It is not confidential in the sense that no one knows about it, because it has to pass through so many stages. Everyone know about it when the demands are passed by the House. But it cannot be published or used as public papers.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : In that case, Sir, according to your honour's decision, these papers can be sent in an open way ?

श्री अध्यक्ष : There is no decision, nor is there any need for any decision.

श्री पी. के. चौधरी : I think, Sir, all such papers should be sent in a cover. That will serve the purpose.

(१२.१२ म० प०)

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय सम्बन्धी

श्री भैंरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, सर, ग्रध्यक्ष महोदय जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया था । जिस प्रिविलेज मोशन का उत्तर माननीय सचिव महोदय की ग्रोर से मिला ग्रौर उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि विधान सभा सचिवालय में जितनी कार्यवाही की जाती है वह माननीय ग्रध्यक्ष की ग्रॉथोरिटी से की जाती है ग्रौर इस प्रकार के कन्वेन्शन्स भी हैं पार्लियामेन्ट में या देश की ग्रन्य विधान सभाग्रों में कि सचिवालय की ग्रोर से जो कार्यवाही की जाती है उस पर माननीय ग्रध्यक्ष की ग्रॉथोरिटी है ग्रौर उस ग्राधार पर की जाती है कि माननीय ग्रध्यक्ष की स्वीकृति है । कल विधान सभा में माननीय उपाध्यक्ष महोदय की ग्रोर से एक रूलिंग दी गई थी जिसके ग्राधार पर यह स्पष्ट हुग्रा कि उन्होंने जो माननीय ग्रध्यक्ष की मान्यतायें थीं उनके विपरीत विधान सभा सचिवालय की जो कार्यवाही थी उसको कन्डेम किया ग्रौर इस प्रकार के कन्डेम्नेशन (Condemnation) से सचिवालय में जो ग्राज दिन तक कन्वेन्शन फोलो किये जाते रहे हैं उस रूलिंग के द्वारा उन कन्वेन्शन्स को ग्रौर स्पीकर को एक प्रकार का सेन्सर किया गया है ग्रौर जो विकल्प है कि ग्रध्यक्ष महोदय की ग्रॉथोरिटी

श्री भैरोंसिंह)

को स्वीकार किया जाय या उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रूलिंग देकर जो ऑथोरिटी कायम की गई है उसको फोलो किया जाय। विधान सभा के जो रूल्स हैं उनमें प्रावधान है कि जो प्रस्ताव, कट मोशन्स आदि ३ बजे तक दिये जायं उनकी छंटनी कर सर्कुलेट किया जाय और ३ बजे बाद चूंकि ड्यू नोटिस नहीं रहता है, उनको सर्कुलेट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आठ वर्ष के कार्यकाल में इस प्रकार से ड्यू नोटिस के अभाव में जितने अमेन्डमेन्ट्स, कट मोशन्स, प्रस्ताव आदि सर्कुलेट नहीं कराये गये, इसलिए मूव नहीं कराये गये कि ड्यू नोटिस के लिए २४ घन्टे की आवश्यकता होती है। इसके उपरान्त भी उन मेम्बरों को यह अधिकार है कि वे हाउस में मूव कर सकते हैं और कोई माननीय सदस्य आपत्ति करें तो उस स्थिति में माननीय अध्यक्ष यदि स्वीकृति प्रदान करें तो वे मूव किये जा सकते हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : On a point of information, is the Hon'ble member canvassing the ruling given in the House ?

श्री भैरोंसिंह : There is no question of canvassing the ruling. This is a queetion of a convention which has been followed and the principles la down...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : You are challenging the ruling and authority of the Hon'ble Deputy Speaker. Under which rule you can...

श्री अध्यक्ष : There will be no debate at this stage. I have taken note of the observations made by the Hon'ble member.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर दूं कि रूल ३०८ है : "Interpretation and removal of difficulties-If any doubt arises as to the interpretation of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final. "

हमारे सामने एक प्रकार की डिफिकल्टी है ....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a point of order, Sir...

श्री भैरोंसिंह : जिसका रिमूवल निश्चित रूप से होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : As I have said, I appreciate and follow what the Hon'ble member wants to say and I would not like to give any ruling or decision at this stage. I will take note of what the Hon'ble member has said and, if necessary, shall issue necessary instructions in due course.

(विराम)

Appropriation Bill.

(१२. १८. म० प०)

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, सोरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है और उस पर विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा सरकारी बेन्चेज़ से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस विधेयक के महत्व को देखते हुए यह अच्छा होता कि माननीय वित्त मन्त्री सदन में उपस्थित होते। लेकिन जैसी मुझे सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पर माननीय वित्त मन्त्री अस्वस्थ हैं। यह जानकारी मिली है और वैसी स्थिति में यह और भी अच्छा होता कि इस विनियोग विधेयक की बहस को सुनने के लिए या तो माननीय मन्त्री महोदय इस विधेयक को खुद सदन में प्रस्तुत करते, और वे स्वयम् मौजूद नहीं हैं तो किसी मन्त्री महोदय से इस विधेयक को प्रस्तुत कराया जाता और माननीय मुख्य मन्त्री भी सदन में उपस्थित होते। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि सदन के इम्पोर्टेन्ट मसलों पर माननीय मन्त्री जितनी जिस प्रकार की तवज्जोह उनको देनी चाहिये उतनी उस प्रकार की तवज्जोह नहीं देते और विशेष तौर पर हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री विधान सभा की कार्यप्रणाली और तिथियों को देखा जाय तो वे उन मंत्रियों में से होंगे जो सदन की कार्यवाही में सबसे कम भाग लेते हैं। यह हो सकता है कि सदन के बाहर किसी प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन उनके द्वारा हो और सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रह कर यह उनके लिए कहीं अच्छा हो। लेकिन सदन की स्वीकृत परम्पराओं के अनुसार जब सदन के अन्दर सदन के माननीय सदस्य और खास कर विनियोग बिल पर अपने विचार व्यक्त करें तो निश्चित रूप से वित्त मन्त्री की अनुपस्थिति में मुख्य मन्त्री को उपस्थित रहना चाहिये। यह उनके खुद के देखने का प्रश्न है, मैं उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, जब कट मोशन्स पर विचार हो रहा था, बजट की जनरल डिबेट पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे, उस समय हमारी सरकार की ओर से आश्वासन दिलाये गये, सरकार की ओर से आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये और भी कई मसले सदन में प्रस्तुत हुए माननीय सदस्यों को कन्विन्स कराने की चेष्टा की गई कि हमारी सरकार जो बजट के फीगर्स लेकर आयी है उनमें किसी प्रकार की तरमीम नहीं हो सकती थी, सरकार के सामने कोई सुझाव नहीं थे जिन पर विचार कर रद्दोबदल कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन विषयों की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिनका सम्बन्ध आज राजस्थान की आम जनता से है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें हमारी राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन में कुछ कटौती बतायी थी। इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ है और उससे पहले जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स प्रस्तुत की गई थीं उसके लिये सरकार ने बताया कि इसमें हमारे ये एन्टीसिपेटेड प्रस्ताव थे वे कई कारणों से पूरे नहीं किये जा सके। इस वर्ष के जो बजट आंकड़े दिये गये उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया जिस आधार पर यह कहा जा सके कि सरकार जिस प्रकार की कटौती करना चाहती है वह कटौती अगले

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

वर्ष में की जायगी। यहां यह प्रश्न आता है, पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में जितनी भी मांग, पुलिस पर होने वाले खर्चे के लिए, उसके द्वारा की जाने वाली पर्चेजेज़ आदि मीट करने के लिये रख रहे हैं इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उसके लिये मैं यह कह सकता हूँ कि पुलिस का आज का जो महकमा है जिसमें कई व्यक्ति काम करते हैं उसमें उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके ऊपर और भी अन्य प्रकार के खर्चे किये जाते हैं, उन सब का मतलब जनता की धन की सुरक्षा होता है।

जनता की सुरक्षा पुलिस का सब से महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन पिछले वर्षों से जिस प्रकार की घटनायें हमारे सामने आयी हैं उनसे कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी चाहे किसी भी प्रकार के आंकड़े बतायें, चोरी, डकैती, डाकुओं के या अन्य अपराधों के कितने ही मामलों के आंकड़े सदन में प्रस्तुत करें, वे इस बात का संकेत करते हैं कि हमारे राज्य की सुरक्षा स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले वर्ष राज्य के गृह मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये थे उन पर यह निर्णय निकाला था कि हमारे राज्य में १०० मुकदमों के पीछे दस के अन्दर हमारी राज्य सरकार को सफलता मिली है। इस सफलता का मुख्य कारण मैं और नहीं मानता, मैं केवल यह मानता हूं कि पुलिस की जो प्रोसीक्यूशन ब्रान्च है आज केपेबल नहीं है। उनके पास इतने एक्सपर्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स नहीं जो बड़े बड़े वकीलों और एडवोकेट्स के सामने खड़े रह कर बहस कर सकें और यही कारण है कि हमारे मुकदमे ज्यादा अनसक्सेसफुल रहते हैं। बाकी अन्य घटनाओं का मैं जिक्र करना नहीं चाहता। एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इन बातों से सबक लेकर जल्दी से जल्दी निर्णय कर लेना चाहिये जिसके आधार पर हमारी प्रोसीक्यूटिंग ब्रान्च सुदृढ़ बन सके और वह उसी समय सुदृढ़ हो सकती है जब कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स योग्य रखे जाय। केवल एस० आई० के रेंक के व्यक्ति को लाकर रख देते हैं, इससे भी ऊंचे उठकर इस प्रकार की व्यवस्था लायें जिससे अच्छे अच्छे एड्वोकेट्स से वे टक्कर ले सकें और मुकदमों में जीत सकें और राज्य में अच्छी स्थिति पैदा कर सकें। पुलिस का काम केवल चोर पकड़ कर उससे माल बरामद करवाने तक ही सीमित नहीं है, उस चोर को सजा मिले और जिसका माल गया है वह माल उसको वापिस दिलवा दें। आज इस प्रकार की स्थिति है कि चोरी के माल की चिन्ता नहीं, जहां उस चोर से चोरी का माल बरामद किया वह चोर को वापिस दे दिया जाता है और वह सजा से भी बरी हो जाता है, यह इसलिये कि पुलिस उसको साबित नहीं कर सकती कि जिस व्यक्ति का माल चोरी गया है वाकई वह माल उसका है या नहीं। इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त पुलिस की इस प्रोसीक्यूटिंग ब्रान्च को इस तरह से सुदृढ़ बनाया जाय ताकि वहां वह अपनी योग्यता का परिचय दे सके। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि इस ब्रान्च को पुलिस विभाग से बिल्कुल अलग कर दिया जाय ताकि वे स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में आकर काम न करें, केवल कानून सम्मत, विधि सम्मत पैरवी कर सकें।

अब पुलिस विभाग के प्रशासन का

(श्री भैरोंसिंह)

सवाल आता है, अध्यक्ष महोदय। मैं यह कह सकता हूं कि पुलिस प्रशासन में हमारे यहां निश्चित रूप से गिरावट आयी है। पुलिस के कर्मचारी वर्ग में असन्तोष व्याप्त है। पुलिस के सिपाही से लेकर एस० पी० तक के दर्जे के लोगों में प्रशासन के प्रति असन्तोष है, यह मैं कहता हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुलिस के कर्मचारियों का जहां प्रश्न आता है, उनके डिअरनेस अलाउन्स का सवाल आता है, मेस अलाउन्स का सवाल आता है और अन्य सुविधायें जो अन्य राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं, वे इन पुलिस के कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं तो असन्तोष होना स्वाभाविक है। आज एक पुलिस का कॉन्स्टेबल जो जयपुर का रहने वाला है उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है कोटा में और कोटा के रहने वाले का स्थानान्तरण उदयपुर कर दिया जाता है और उदयपुर के रहने वाले का स्थानान्तरण बीकानेर कर दिया जाता है, यह उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालता है। मेरे पास आंकड़े हैं, माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे, उन्होंने इस प्रकार से लो पेड एम्प्लॉईज़ का स्थानान्तरण किया है या नहीं, यह उनका जिम्मा है।

अब खरीद–फरोख्त का सवाल आता है, जिस प्रकार से खरीद-फरोख्त करने की परिपाटी चल पड़ी है उसको रोका नहीं जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस लाइन में एक हजार बन्दूकें बेची गईं और लोकल लोगों को जिनके पास लाइसेन्स हैं उनको नोटिस दिया गया, वे बन्दूकें ६०० रुपये की कीमत में बेच दी गईं। अगर उनको ओपन ऑक्शन द्वारा बेचा जाता तो उनके कई हजार रुपये मिलते। एक व्यक्ति ने उसी समय आवेदन पत्र दिया था, मैं इसकी ६०० रुपये से भी ज्यादा कीमत देने के लिये तैयार हूँ, लेकिन उसकी कीमत को स्वीकार नहीं किया गया। सेट्स का मामला था उसके बारे में मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि वे सारे के सारे रिक्वीज़िशन के अनुसार थे, फायर प्रूफ थे, उनकी जानकारी के लिये कह दूं। सारे के सारे फायर प्रूफ नहीं थे। किसी अधिकारी ने शिकायत की ही नहीं। यदि आप इस बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ कि एक अधिकारी ने शिकायत की थी। जिस इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसी के अधिकारी ने टैक्निकल राय दी थी और कहा था कि जब तक सारे की जांच नहीं कर ली जाती सारे के सारे फायर प्रूफ हों, यह कह नहीं सकते। माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं थी, फायर प्रूफ से कागज जलने का मतलब नहीं था। कागज जलने का नहीं, उससे स्मेल्ट नहीं हो सकता।

आज–कल पुलिस विभाग के अफसरों ने एक नया तरीका निकाल रखा है सरकारी खजाने से पैसा निकालने का। सरकार के नियमानुसार पुलिस विभाग के अधिकारी मेडिकल रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी उनकी दवा पर खर्च होता है वह सब सरकारी खजाने से दिया जाता है। जितने भी आज पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनके टी. ए., डी. ए. और मेडिकल अलाउन्स के बिल उठाकर देख लीजिये, एक तरफ तो वे हार्ड ड्यूटी देते हैं, पहरा लगाते हैं डाकुओं के साथ एन्काउन्टर के लिये जाते

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

हैं उस तारीख के मेडिकल के बिल लेकर सरकारी खजाने से पैसा उठाते हैं। इस तरह से २००)२००) रुपया उठाया जाता है। कोई डेढ़ सौ लेता है, कोई पचास लेता है। इस पुलिस विभाग का जो मेडिकल का बजट है वह सब इन उच्च कर्मचारियों के मेडिकल बिल्स के चुकाने में ही खर्च हो जाता है। इस तरह से मेरे पास वे रसीदें मौजूद हैं। मैं उनके नाम भी बताऊंगा रकम भी बताऊंगा। अगर आप जानकारी लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ। इस तरह से फिक्टीशिस बिल पेश कर रकम का दुरुपयोग करते हैं।

आज-कल सभी विभागों में डेट ऑफ बर्थ के बदलने की बीमारी चल पड़ी है। जन्म पत्री के आधार पर गलत सर्टिफिकेट दे दिये जाते हैं या अधिकारियों से सर्टिफिकेट प्राप्त कर डेट ऑफ बर्थ बदलते हैं, लेकिन आज यह तरीका चला है इसका फायदा पुलिस विभाग में भी लोग उठा रहे हैं। पुलिस विभाग के एक सी. आई. हैं जिनको अपनी एज के लिहाज से सन् १९५८ में ही चला जाना चाहिये था लेकिन उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलवा ली। माननीय मंत्री महोदय चाहें तो उन सी. आई. की ओरीजिनल एप्लीकेशन जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति हुई। ओरिजिनल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की रिपोर्ट, सर्विस शीट की कॉपी, इनको सब की फोटो-स्टेस्ट कॉपीज़ मेरे पास हैं उनके आधार पर कह सकता हूं कि जहां पर उनको १९५८ में रिटायर हो जाना चाहिये था वहां उन्होंने दो साल ज्यादा वेतन लिया। इस मसले पर सदन में काफी प्रश्न पूछे गये, सरकार को काफी जानकारी दी गई, इन सबके बावजूद भी इस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ ४२०, फोर्जरी और धोखादेही के जितने भी मुकदमे बन सकते हों, बनाकर सरकार को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये जिससे आगे से ऐसे कामों को करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

इन अधिकारियों के नाम पूछना चाहें तो नाम बता सकता हूं। इस अधिकारी का नाम है श्री जलाल खांजी, सी. आई.।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज ऐसी स्थिति के अन्दर जहां पुलिस के कर्मचारियों में असन्तोष है, उस असन्तोष के प्रति हमारी सरकार का आज अजीब रवैया है। जिस पर वह आज खुश है उसको प्रोमोशन मिलता है और जिस पर नाखुश है उसे सस्पेन्ड कर देते हैं। गृह मन्त्रीजी से कई बार प्रश्न पूछे, सदन को कई बार जानकारी दी कि हमारी सरकार के पुलिस प्रशासन में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो दो-दो वर्ष से और साल-साल, छः-छः महीनों से सस्पेन्डेड हैं पर उनको चार्ज शीट नहीं दी। सामान्य नियम है कि प्राथमिक जांच के आधार पर तथ्य सामने आवें तो सस्पेन्ड कर दीजिये, पर चार्ज शीट सस्पेन्शन के तुरन्त बाद दे दें। पर आज पुलिस लाइन में आप जाकर देखें कि वहां कई कई महीनों और साल दो साल से सस्पेन्शन में पड़े हैं, उनमें कइयों को चार्ज शीट नहीं मिला, किन्हीं को मिला तो उस पर कोई एक्शन काफी अर्से से नहीं लिया जा रहा है। वहां कोई कॉन्स्टेबल

(श्री भैरोंसिंह)

एक साल से, कोई सब इन्सपेक्टर दो साल से कोई हैड कॉन्स्टेबल साल–छः महीने से स्सपेन्शन में पड़े हैं। वे कहते हैं हमें चार्ज शीट दी जावे, यह मांग करते हैं वे। पहले तो चार्ज शीट नहीं दी जाती, दी जाती है तो फिर उस पर कार्यवाही नहीं होती। फिर जब वे रीइन्स्टेट होते हैं तो सारा पैसा उनको देना पड़ता है और बिना सर्विस के पैसा देना पड़ता है, सरकार की गलती के आधार पर। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि जिन अधिकारियों का इसमें कुसूर हो उनके खिलाफ आप एक्शन लें।

आज राजस्थान के वातावरण में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिससे आये दिन समाचार–पत्रों में समाचार आते हैं कि आज बांसवाड़ा में शिवजी की मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया, आज भीलवाड़ा में शिवजी की मूर्ति खण्डित हो गई, आज जयपुर में गणेश जी की मूर्ति को तोड़ दिया। इस प्रकार के समाचार आये दिन आ रहे हैं। मेरी इस इन्फोर्मेशन के अनुसार ११ स्थानों पर मूर्तियों को तोड़ा गया है। इन ग्यारह स्थानों पर मूर्तियां तोड़ने के साथ कई बार हिन्दू अबलाओं के साथ बलात्कार भी किया गया है। इन सारी घटनाओं पर जिस समय प्रश्न विधान सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं तो हमारी सरकार एक बात कह कर बचने की कोशिश करती है कि यह साम्प्रदायिक भावना नहीं फैलाई जावे। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं अगर साम्प्रदायिकता के आधार पर होती हैं तो निश्चित रूप से वे नहीं होनी चाहिये। पर इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं? अब जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप किसी प्रकार का एक्शन नहीं लें, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करें और कार्यवाही आपके द्वारा न किये जाने की स्थिति में यदि हिन्दू इस प्रकार की मांग करें कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे तो यह कह कर बचने की कोशिश की है कि साम्प्रदायिकता नहीं फैलाई जावे। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दू यहीं रहेंगे, हिन्दुओं की मूर्तियों को कोई नहीं तोड़ सकता, हिन्दू अबलाओं के साथ कोई बलात्कार नहीं कर सकता। अगर कोई करता है और आप इस प्रकार की घटनाओं की जांच न करके यह कहने की कोशिश करें कि साम्प्रदायिकता न फैलाई जावे तो मैं कह सकता हूं वह दिन भी आ जावेगा कि जिस दिन अपने मन्दिरों की और महिलाओं की इज्जत बचाने के लिये वे सरकार से कोई मांग न करें और अपने आप अपने हकों की रक्षा करने की व्यवस्था करें।

मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों के अन्दर आप किसी प्रकार के प्रोवोकेशन में न आवें, पर जब घटनाएं हो जाती हैं तो उनके बाद के रिएक्शन्स भी होते हैं, जो ऐसे भी होते हैं कि पाकिस्तान का रेडियो राजस्थान की घटनाओं के बारे में बोलता है। इन सारी बातों को लेकर एक दूसरी कॉम्युनिटी माइनोरिटी कॉम्युनिटी के आधार पर इस स्टेटमेंट को मन्जूर कर सकती है और कह सकती है कि यह घटना नहीं हुई। ऐसा है तो सरकार गल्ती कर रही है। हमारी सरकार इस सारी स्थिति को वोटों के नाम से दबाना चाहे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस को भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। देश में राष्ट्रीय

(श्री भैरोंसिंह)

भावनाएं किस प्रकार से पनप सकें इस प्रकार की उसको चेष्टा करनी चाहिये और रिएक्शन माइनोरिटी कॉम्यूनिटी में होते हैं, उनको इस प्रकार से डील करें कि उनका फोरिन कन्ट्री से सम्बन्ध न रहे और उनसे सम्बन्ध में रह कर किसी प्रकार का उनसे इन्सपायरेशन न ले सकें। अगर इस सम्बन्ध में सरकार ने उनको एनकरेजमेंट दिया तो मैं कहता हूं हमारी सरकार निश्चित रूप से एक घातक स्थिति पैदा कर देगी।

मैं इस विभाग के बारे में इतना ही कह कर नियुक्तियों के सम्बन्ध में जनरल पॉलिसी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां भिन्न भिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाती हैं और उनके सब विभागों में नियम बने हुए हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर नियुक्तियां होती हैं और प्रोमोशन भी दिये जाते हैं। पर कुछ विभाग इस बात के लिये मशहूर हैं कि उनमें किसी नियम का पालन नहीं होता, वे किसी नियम की परवाह नहीं करते। इस बारे में कुछ प्रश्न भी पूछे गये थे इन्श्योरेन्स विभाग के बारे में और जो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिये उससे ऐसा लगा कि कानून की अवहेलना भी होती है तो चिन्ता की आवश्यकता नहीं। मैं जानकारी के लिये बता दूं कि जिस विभाग के सम्बन्ध में आप इस सदन में अभी इवेजिव रिप्लाई दे रहे थे उस विभाग के कर्मचारियों की हालत क्या है ? उस विभाग का किस प्रकार का काम है ? मैं अध्यक्ष महोदय, एक लिस्ट बनाकर लाया हूँ और इसके आधार पर नौकरियों के अन्दर जातीयता किस प्रकार पनपती है इसका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे यहां इस विभाग में दो डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, एक गोयल जाति के अग्रवाल, दूसरे जो हैं वे बसवा के रहने वाले हैं मूलचन्द पालीवाल और पहले श्री रमेशचन्द्र गोयल। इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट में ये हैं। जिस समय से उनकी नियुक्ति हुई है राजस्थान का ऐसा कोई डिपार्टमेन्ट नहीं, शायद सुखाड़ियाजी को भी कहा जावे कि उदयपुर के पर्टीक्युलर डिपार्टमेन्ट में नियुक्तियां ऐसी हुई हों तो बता दें, तो वे भी नहीं बता सकेंगे। इसमें जिस जगह के असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हैं उस गांव बसवा के ३२ आदमी इसमें नौकरी कर रहे हैं। छोटे से डिपार्टमेन्ट में एक गांव के ३२ आदमी। आप लिस्ट लेना चाहें तो लिस्ट मेरे पास है। दूसरे अग्रवाल डिप्टी डाइरेक्टर हैं। उनकी चली तो अपने विभाग में ४६ अग्रवालों को नियुक्त कर लिया। यह संकेत है कि किस प्रकार से जाति प्रथा को नौकरियों में प्रोत्साहित किया जा रहा है। नियमों के किस प्रकार विपरीत ये अधिकारी आचरण कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहूँगा इस विभाग के सम्बन्ध में....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : ४६ आदमी उन्होंने नियुक्त कर लिये तो ये क्या इस वक्त हैं ? पहले से भी हो सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : उनके वहां रहने के बाद में उनके द्वारा नियुक्त किये गये हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक सदन में कहीं चर्चा नहीं हुई इसकी, मैं इस विचार से निवेदन करना चाहूँगा....

श्री चन्दनमल वैद : ये सतीशचन्द्रजी अग्रवाल की रिकमन्डेशन पर तो नहीं हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य की तरह से वे कभी सिफारिश करने को नहीं जाते हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस विभाग में अध्यक्ष महोदय, इस समय ८ लाख रुपया अन्डर सस्पेन्शन है। इस विभाग को इस रकम का पता नहीं कि यह रकम किसकी है, यह कैसे पड़ी है ? यह रुपया कभी से सस्पेन्शन में चलता आ रहा है और हर साल सस्पेन्शन के हैड में एड होता जा रहा है। यह संकेत है कि विभाग की कार्यवाही किस तरह चल रही है । १० हजार ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिसी नहीं मिली है। इसके साथ साथ जब डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन हुआ तो बी० डी० ओ० को ट्रेज़री ऑफिसर बनाया गया। पंचायत समिति में जो अध्यापक हैं उनके इन्श्योरेन्स का कट वे स्वयं करते हैं और उसको जल्दी से जल्दी ट्रेज़री में जमा कर पर्टीक्युलर्स इन्श्योरेन्स विभाग के पास भेज देते हैं। मैं सदन को जानकारी कराना चाहता हूँ कि दो–चार बी. डी. ओज़. को छोड़ कर किसी ने न तो पर्टीक्युलर्स भेजे हैं, न पॉलिसी डिक्लेअर कराई है, न इन्श्योरेन्स कट का रुपया सरकार की ट्रेज़री में जमा ही कराया है। मैंने पहले भी इस तरह की जानकारी दी थी। सांगानेर और बस्सी के बी. डी. ओ. ने कट का यह रुपया भी खर्च कर दिया। अगर उस वक्त जांच करते तो यह रुपया भी उनके पास नही मिलता। इसके लिये अगर यह भी कहा जावे तो अनुचित नहीं होगा कि इनको अनुचित संरक्षण मन्त्री महोदय की ओर से मिलता है।

जहां तक प्रोमोशन का सवाल है यह एक ऐसा विभाग है जहां चार-पांच वर्षों से एल. डी. सी. और यू. डी. सी. के. रूप में वर्क कर रहे हैं, पर उनका कन्फर्मेशन नहीं किया जा रहा है। जब चाहें तभी उनको टर्मीनेट कर देते हैं। जिस पर मर्जी हुई उसको रख लेते हैं, जिस पर मर्जी नहीं रही उसको निकाल देते हैं।

एक बात और है। रूल्स के अनुसार सुपरवाइज़र की एक पोस्ट है जो बी. ए. से कम को नहीं मिल सकती। इसके लिये तो प्रेस्क्राइब कर दिया क्वालिफिकेशन पर इससे ऊंची पोस्ट के लिये, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के लिये, कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की गई। नीचे वाले के लिये बी. ए. की रोक लगाई और ऊपर वाले के लिये प्रेस्क्राइब इसलिये नहीं की गई कि उनके ध्यान में नहीं आई थी, पर बात यह थी कि उनको एक मैट्रिकुलेट को असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बनाना था। मैट्रिकुलेट को असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बना दिया। इसी तरह से एक सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम कर रहे थे उनको इसलिये हटा दिया वहां से कि तुम मैट्रिक की ग्रेड के हो, इसलिये उनको तो ऑफीशियेटिंग सुपरवाइज़र बना दिया जाता है, पर उधर मैट्रिक को असिस्टेन्ट डाइरेक्टर लेते समय कोई एतराज नहीं किया जाता है। इस तरह के एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। समयाभाव के कारण आपका ध्यान उन सबकी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता। पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में, प्रोमोशन के सम्बन्ध में, पॉलिसियों के सम्बन्ध में और सस्पेन्शन के रुपयों के सम्बन्ध में इस विभाग में कई प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त जांच करनी

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिए जिसके कारण आज हजारों कर्मचारी जो उसमें काम कर रहे हैं उनको इस प्रकार का रिलीफ मिल सके। यह कहना अच्छा नहीं होगा कि कर्मचारियों से ८-८ बजे तक काम लिया गया है। सेक्रेटेरियट के अन्दर जितने भी सेक्रेटरी और दूसरे कर्मचारी काम करते हैं तो उसका उनको स्पेशल अलाउन्स दिया जाता है और बाकी के कर्मचारी रात-दिन काम करते रहें, उनसे रात-दिन काम लिया जाये और उसके बदले में उनको कुछ भी न दिया जाये, यह उचित नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में एक बड़ा मसला आजकल पेन्शनर्स का है। राजस्थान में पेन्शनर्स के मसले को लेकर पेन्शनर्स ने कई बार हमारी राज्य सरकार के समक्ष, हमारी भारत सरकार के समक्ष, कई बार प्रार्थना-पत्र कई तरह के भेजे हैं कि उनकी इस प्रकार की मांग है कि राजस्थान के अन्दर जिन लोगों को एक-दो रुपये की पेन्शन मिलती है वे लोग बहुत कम हैं और जो भी एक-दो रुपये की पेन्शन बनी हुई है वह उस समय की बनी हुई है जिस समय राज्य में मंहगाई नहीं थी। उन व्यक्तियों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता मिलती है और सरकारी सहायता की गरज से हम लोगों की पेन्शन एक-दो रुपये से बढ़ा कर १० रुपये को कर दें तो उनमें एक प्रकार का कॉन्फीडेन्स होगा। पेन्शन प्राप्त करने के पहले राज्य कर्मचारियों को मैडीकल और एज्युकेशनल फैसिलिटी वगैरह मिलती है और ५५ वर्ष तक कर्मचारियों को सारी फैसलिटीज आप देते हैं और ज्यों ही वह रिटायर होता है और पेन्शन पाने का हकदार होता है उससे मैडिकल और एज्युकेशनल सारी फैसलिटीज़ छीन ली जाती हैं। तो इससे या तो समझा इस प्रकार से जाये कि ५५ वर्ष के बाद वे बीमार नहीं पड़ते हैं और न उनके बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार को इस सम्बन्ध में इन पेन्शनर्स की मांग को स्वीकार करना चाहिए।

इसके अलावा एक सबसे बड़ा मसला जो पुरानी गलती के आधार पर चला आ रहा है वह यह है कि हमारे कई पेन्शनर्स ने सरकार से एडवांस लेकर सरकार से कम्युट कर लिया है और वह कम्युट प्रेसक्राइब्ड पीरियड के लिए होता है। तो वह व्यक्ति जिस दिन रकम उधार लेता है और वह रकम उस प्रेसक्राइब्ड पीरियड में जमा हो जाती है तोउसके बाद में उसे कोई पेन्शन नहीं मिलती है। उसको उस लिमिटेड पीरियड के अगेन्स्ट में जितना लोन मिलना चाहिए वह मिल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के कई केसेज हैं जिनमें कम्युटेड पीरियड के एक्सपायर होने के बाद वह ५-६ वर्ष और जिन्दा रहते हैं और उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद उसको कोई पेन्शन नहीं दी जाती और एक व्यक्ति सामान्य नियमों के अनुसार जब तक वह जिन्दा रहता है उसको वह पैसा मिलता है लेकिन कानून की गलतफहमी के कारण जो उनके साथ अन्याय होता है उन लोगों को कम्युटेशन पीरियड के बाद भी उसी प्रकार पेन्शन मिलती रहे, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे। अध्यक्ष महोदय, पंजाब और केरल के अन्दर मंहगाई भत्ते के लिए कुछ निर्णय लिये गये हैं और उनका वहां के पेन्शनर्स ने

(श्री भैरोंसिंह)

स्वागत किया है। डियरनेस अलाउन्स के मामले में जो उन्होंने अपने राज्यों में वृद्धि की है और उसको पिछली तारीख से लगाया है वही निर्णय हमारी सरकार भी करे और पेन्शनर्स की जो कमियाँ हैं उनको पूरा करें तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि बाकी के सभी कर्मचारियों को पेन्शन पर जाना है और उनको यदि सरकार कुछ रिलीफ दिलाती है तो अच्छा है। यह कहना कि वेतन आयोग ने इसके ऊपर फैसला किया है, मैं कहूँगा कि जो वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थीं भविष्य में जो पेन्शन पाने वाले लोग हैं उनके सम्बन्ध में ही सरकार ने राय ली थी, लेकिन वे जो पहले पेन्शन प्राप्त कर चुके हैं उन लोगों के लिए कोई राय नहीं ली। तो वेतन आयोग के आधार पर कोई निर्णय लेने में हमारी सरकार वंचित न रहे और जितना भी पेन्शन पाने वाले लोगों के साथ सहृदयता रखकर उनको रिलीफ दिला सकती है वह उनको दिलाने की चेष्टा करे।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक बात बजट के अन्दर जो मैंने देखी वह यह है कि हमारी सरकार का बजट विभाग है, जो बजट बनाता है, उस बजट विभाग को १३ महीने की तनख्वाह देते हैं और १३ महीने की तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि बजट के दिनों में वे बहुत ज्यादा काम करते हैं। बात बिलकुल सही है, बजट के दिनों में यदि वे बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उनको इस प्रकार का अलाउन्स जो १३ महीने की तनख्वाह के रूप में हो सकता है दे दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी अभी ट्रेज़री ऑफिसर्स ने कुछ लोगों को इस प्रकार के अलाउन्स दे दिये थे और वह अलाउन्स इसलिए दे दिए थे कि उनकी ऐसी मंशा थी कि ट्रेज़री के अन्दर जिस समय बजट समाप्त होता है उस समय काम का काफी रश रहता है और ट्रेजरी के कर्मचारियों को काफी काम करना पड़ता है। इसलिए ट्रेजरी ऑफिसर्स ने इस प्रकार के कर्मचारियों को रिलीफ देने के लिए स्पेशल अलाउन्स की व्यवस्था कर दी थी। तो एक तरफ ट्रेजरी के कर्मचारियों को स्पेशल अलाउन्स मिलता है उस पर हमारी सरकार का वित्त विभाग उसका विरोध करता है और बजट विभाग में जहां बारहों महीने बजट बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं है और अन्तिम दिनों में जिसके पास काम होता है उसको वह अलाउन्स देने की सिफारिश करेंगे क्योंकि वे बजट बनाते हैं और बजट जिनकी तनख्वाह निर्धारित करता है, अलाउन्स निर्धारित करता है वे ट्रेजरी वाले मेहनत करें तो उनको राहत नहीं दी जाती है। आप इसका उत्तर दें, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि फाइनेन्स सेक्रेटरी का एक लेटर है वह मैं पढ़कर सुना देता हूँ। उसकी तारीख और नम्बर भी मैं बता दूँगा पर उसका एक पेरेग्राफ है उसमें लिखा है : "......rush at the close of the financial year is a normal feature of the Treasury work ...and I am directed to say that the demand for honorarium on account of such rush of work at the Treasuty or sub-Treasury, is not justified and should not be made."

यह फाइनेन्स सेक्रेटरी का लेटर है। जो इस लेटर की स्पिरिट है उस स्पिरिट के साथ-

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

साथ जो बजट के साथ अलीउन्स का प्रावधान रखा है बजट विभाग के लिए वह किस हद तक उचित है उसके सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूँगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : जल्दी कीजिए।

श्री भैरोंसिंह : जल्दी ही करूंगा।

मैं अब उन मसलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनके ऊपर थोड़ा बहुत संकेत बजट की जनरल डिबेट में हो चुका था। अच्छा तो यह होता अध्यक्ष महोदय कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित रहते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ऐसा मानकर चलता हूँ कि जो माननीय मंत्री महोदय आज यहां विराजमान हैं उनका संतोषजनक उत्तर दे सकें। इस सदन में पिछली बार सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि सेल्स टैक्स के मसले को लेकर उन व्यापारियों से जिस प्रकार की वार्ता हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय की हुई........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वे बातें नहीं दोहरायें जो कि पहले बजट के दौरान में कही गई हैं इससे बहस ठीक तरह से चल सकती है। जो बातें एक बार पहले कह चुके हैं उनको नहीं दोहरायें।

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूँ। बात तो वह है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और उनके स्वीकार नहीं करने की स्थिति में सदन के सामने, सदन की निगाह में मैं झूठा हूँ, तो यह मेरा कम से कम अधिकार है कि जिस समय मुझे अवसर मिले जो सदन के सामने बात आई और जो सदन के सामने स्थिति प्रस्तुत है कि वह किस हद तक सही है उसका प्रमाण पेश करूं; मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हमने जो बातें यहां सदन में प्रस्तुत कीं वे निम्न स्तर की थीं। मैं जानना चाहता हूँ कि हमने जो बातें यहाँ प्रस्तुत कीं वे निम्न स्तर की थीं या जो उन्होंने डिफेन्स में कहा वह किस प्रकार का स्तर था। मैं ऊन एसोसियेशन की सारी प्रोसीडिंग्स को लेकर आया हूँ जिसके आधार पर प्रमाणित कर सकता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस टैक्सेशन के मसले में ऊन के व्यापारियों से जिस प्रकार का वार्तालाप किया वह इस बात का संकेत है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊन के टैक्स में कमी कर ऊन के व्यापारियों को परेशान कर उसके आधार पर किस प्रकार से रुपया उनसे एक्सट्रेक्ट किया जा सकता है वह एक्सट्रेक्ट किया जाये। मेरा इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा, मैं तीन-चार रिलेटिव पैराग्राफ निवेदन करूंगा........

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं जानना चाहूँगा कि वह सारा मामला जो बजट पर बहस के दौरान में कह चुके हैं उसको व्यवस्थित रूप से सदन में रखना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि यह बहुत गैरवाजिब है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ कि इसमें माननीय सदस्य को ऐसी आपत्ति नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

होनी चाहिए और आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि....

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति यह नहीं है कि यह जो कह रहे हैं इनके कहने का अधिकार नहीं है। मेरी आपत्ति यह है कि यह मिसाल उन्होंने बजट की बहस के दौरान में व्यवस्थित रूप से रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि वापिस उस मिसाल को और डिटेल में रखना चाहते हैं। अदालत में जिरह की तरह ये चीजें आती हैं तो मैं समझता हूँ कि यह एप्रोप्रियेशन बिल के संबन्ध में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : केवल ऐसे तथ्य रखें जो कि पहले नहीं रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक भी बात दोहराना नहीं चाहता हूँ जो कि पहले कह दी है, जिसमें कि दूसरे माननीय सदस्य आपत्ति कर सकें।

मैं ऊन एसोसियेशन की जो एन्युअल रिपोर्ट है जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी व सेल्स टैक्स के बारे में इस प्रकार का चेप्टर है, उसकी १० लाइनें आपको पढ़ कर सुना देता हूँ:—

"राजस्थान सरकार ने ता० ६-५-५७ के नोटिफिकेशन द्वारा ऊन पर एक प्रतिशत बिक्री कर अंतिम बिन्दु पर लगाया था। अजमेर राज्य में ऊन पर कोई बिक्री कर नहीं था। गत वर्ष बीकानेर असोसिएशन के साथ मिलकर ऊन को बिक्री कर से मुक्त कराने के लिए प्रयत्न किया गया और माननीय वित्त मंत्री महोदय तथा सेल्स टैक्स अधिकारियों से मिले तथा उनको स्मृति पत्र दिये। ता० ८-१०-५७ को राजस्थान सरकार ने एक दूसरा नोटिफिकेशन निकाला जिसके द्वारा ता० ६-५-५७ के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर की दरों में हेर-फेर किया गया। उस नोटिफिकेशन को रद्द किये जाने के कारण बीकानेर के सेल्स टैक्स अधिकारियों ने उसी तारीख से ऊन पर सेल्स टैक्स प्रथम बिन्दु पर मान कर वहां की एक पार्टी का असेसमेंट कर दिया। इस सम्बन्ध में असोसिएशन का शिष्टमंडल माननीय वित्त मंत्री महोदय, श्री हरिभाऊजी उपाध्याय व सेल्स टैक्स अधिकारियों से मिला व उनको स्मृति पत्र दिये जिसके परिणामस्वरूप तारीख ११-४-५८ का नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार उस दिन से ऊन पर सेल्स टेक्स पुनः १ प्रतिशत अन्तिम बिन्दु पर कर दिया गया, किन्तु ता० ६-५-५७ से १०-४-५८ तक के समय का खुलासा नहीं किया गया, अतः असोसिएशन का शिष्टमंडल पुनः माननीय वित्त मंत्री महोदय एवं सम्बन्धित अधिकारियों से मिला और पत्र व्यवहार किया गया। फलस्वरूप ता० १८-१०-५८ का नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार ६-५-५७ से १०-४-५८ तक के समय का खुलासा कर दिया गया और ऊन पर अन्तिम बिन्दु पर १०।० बिक्री कर घोषित किया गया जिसके लिये यह असोसियेशन माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री हरिभाऊजी उपाध्याय का आभार मानती है।"

इस प्रकार मानते हैं कि यह तो इसकी बेकग्राउण्ड है कि सन् ५७ में किस प्रकार से

(श्री भैरोंसिंह)

एसेसमेंट कराया गया और एसेसमेंट के बाद में जिस पीरियड का एसेसमेंट नहीं हुआ है उस एसेसमेंट के लिए इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकाला गया और जिस समय रिप्रेजेन्टेशन किया गया तो उस रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर पहले वाले नोटिफिकेशन को गलत मानकर दुबारा नोटिफिकेशन इश्यू किया गया और जो रकम थी उस रकम को वसूल नहीं किया गया। उसके बाद की एन्युअल रिपोर्ट आती है। यह और भी स्पष्ट करती है कि ऊन के व्यापारियों से किस प्रकार का एसोसियेशन हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का रहा है:—

"राजस्थान सरकार ने गत वर्ष ता० ११-४-५८ के नोटिफिकेशन द्वारा सेल्स टेक्स अन्तिम बिन्दु पर १ प्रतिशत कर दिया किन्तु तारीख ३१-३-५६ के नोटिफिकेशन संख्या एफ ४ (२०) एल. जे. ए. ५६ द्वारा इस वर्ष राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट) २६ ऑफ १६५४) की धारा २ में संशोधन एवं संवर्धन किया गया जिसके फलस्वरूप राजस्थान से ऊन बाहर भेजने पर सेल्स टेक्स लगता....

माननीय मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया कि राजस्थान सरकार व्यापार को कोई हानि पहुँचाना नहीं चाहती। फलस्वरूप ता० १०-७-५६ को एक नोटिफिकेशन संख्या एफ ५ (३५) ई. ६। ५७ प्रकाशित किया गया, किन्तु उक्त नोटिफिकेशन से ऊन व्यापार की कठिनाइयों का निराकरण नहीं हुआ...." यहां पर मैं यह कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सेल्स टैक्स के एसेसमेंट के अन्दर यह पहला नोटिफिकेशन है जिस नोटिफिकेशन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यदि चाहें तो उन दोनों की कॉपीज़ मेरे पास है। उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया तो उसमें क्या लिखा है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर,....

(श्री चन्दनमल वैद तथा श्री ज्वाला-प्रसाद शर्मा भी खड़े हुए)

श्री भैरोंसिंह: मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूँ कि नये टैक्सेज़ में राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने रिलेक्सेशन करके उन लोगों से रुपया एक्स्ट्रेक्ट किया है यह डाइरेक्ट चार्ज है उन पर। सदन के माननीय सदस्य इस पर डाउट करना चाहें तो वे डाउट कर सकते हैं, इसकी एन्क्वायरी करा सकते हैं। अगर रिफ्यूट करना चाहे तो रिफ्यूट कर सकते हैं। चार्ज लगाने से पहले मैं सारी स्थिति सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। स्पष्टीकरण इस बात के पहले आता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं कहता हूँ कि माननीय सदस्य सब्र करेंगे तो १०, १२ लाइनें मैं सदन में पढ़ दूं ताकि वे सदन की प्रोसीडिंग्स में आजायं और माननीय सदस्य सुन लें। उसके ऊपर सदन इन्क्वायरी कराना चाहे तो एन्क्वायरी करा ले:—

"अतः इस असोसियेशन का एक शिष्ट-मंडल पुनः वित्त मंत्री, माननीय श्री हरिभाऊजी से मिला और उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। माननीय वित्त

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि राजस्थान सरकार का विचार ऊन के निर्यात व्यापार को हानि पहुँचाने का नहीं है और इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाकर उचित कार्यवाही शीघ्र की जायगी ताकि ऊन के निर्यात व्यापार में किसी तरह की अड़चनें नहीं हों। असोसिएशन के शिष्टमंडल ने उनसे प्रार्थना की कि ऊन के लिये निःशुल्क मुक्ति–पत्र जारी कर दिये जाय। फलस्वरूप जांच के लिये सेल्स टेक्स कमिश्नर श्री बी०एल० मेहता तथा श्री तलवार साहब सेल्स टेक्स ऑफिसर ता० ३-८-५६ को ब्यावर में पधारे और असोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिले। असोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उनके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किये और ऊन व्यापार की कठिनाइयों से अवगत कराया, लेकिन राजस्थान सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो और ऊन व्यापार की अड़चनें दूर हों इसलिये उन्होंने फीस लेकर मुक्ति–पत्र देने का सुझाव दिया। फलस्वरूप ता० २०-१०-५६ को नोटिफिकेशन संख्या एफ ५ (३५) ई. टी। ५७- १ व २ प्रकाशित हुए जिनके अनुसार टर्न ओवर के आधार पर फीस मुकर्रर करते हुए १-४-५६ से ३१-३-६० तक के लिए मुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई जिसके लिए यह असोसिएशन राजस्थान सरकार एवं वित्त मंत्री माननीय श्री हरिभाऊजी उपाध्याय तथा सेल्स टेक्स अधिकारी, विशेषरूप से मेहताजी एवं श्री तलवार साहब के प्रति आभार प्रदर्शित करता है।"

अब आखिर में १६५६ की रिपोर्ट है। १६५६ की रिपोर्ट में से ३, ४ लाइन सदन के सम्मुख पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन में जो बताया है वह नोटिफिकेशन इस बात का संकेत है कि बराबर सरकार ने इस प्रकार के नोटिफिकेशन इश्यू किये हैं उनको तंग करने के लिए और जब उनका रिप्रेजेन्टेशन आता है उस समय उनके रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर उनके नोटिफिकेशन को विदड्रॉ करके उनको किस प्रकार से रिलीफ पहुंचाया गया है, मैं यह संकेत कर देना चाहता हूँ....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : वह मेलाफाइड इन्टेन्शन से कहा गया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आगे बता रहा हूँ। आप तसल्ली रखें। आप चाहते हैं कि डाइरेक्ट चार्ज लगा दूं तो वह भी लगा दूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन के दो माननीय सदस्य, एक मावली से आने वाले और दूसरे सलूम्बर से आने वाले हैं, वे चाहते हैं कि उन पर डाइरेक्ट चार्ज लगा दिया जाय....

श्री जनार्दनराय नागर : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,....

श्री भैरोंसिंह : मैं उसको समाप्त ही कर रहा हूँ:—

"राजस्थान सरकार ने ता० २०-१०-५६ के नोटिफिकेशन संख्या एफ ५ (३५) ई. टी। ५७-१ व २ द्वारा ३१-३-६० तक के लिये

(श्री भैरोंसिंह)

टर्न ओवर के आधार पर फीस मुकर्रर करते हुए मुक्तिपत्र देने का निश्चय किया था। ता० ९-३-६० के नोटिफिकेशन संख्या एफ ५ (८) ई. टी। ६० के अनुसार राज्य सरकार ने ऊन पर पुन: १ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगा दिया जिसके लिए असोसिएशन की तरफ से पत्र-व्यवहार किया गया तथा प्रतिनिधि मण्डल भी संबंधित अधिकारियों एवं माननीय मंत्रीगणों से मिला जिसके फलस्वरूप नोटिफिकेशन संख्या एफ ५ (३५) ई. टी. ५७-१ व २ द्वारा एक्जेम्पशन की मयाद १-४-६० से ३१-३-६१ तक बढ़ा दी गई।

"यकायक ता० ७ अक्टूबर, १९६० के राजस्थान गजट में ३ नोटिफिकेशन संख्या एफ ५ (१०) ई. टी। ६०-१, २ व ३ प्रकाशित हुए जिनके द्वारा ऊन की खरीद पर पर्चेज टैक्स लागू कर दिया गया।

"एसोसिएशन के शिष्ट मंडल ने उनसे प्रार्थना की कि ऊन के क्रय विक्रय के लिए मुक्ति पत्र जारी कर दिये जाय। माननीय मंत्री महोदयों ने इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया किन्तु राजस्थान सरकार की आय में हानि न हो और ऊन व्यापार की अड़चन दूर हो अत: उन्होंने फोस लेकर ऊन की खरीद को कर मुक्त कर दिया जिसका नोटीफिकेशन सं० एफ ९ (८) ई. टी. (६०) ता० २३. १. ६० का ता० २३ दिसम्बर के गजट में प्रकाशित हुआ जिसके लिये यह एसोसियेशन राजस्थान सरकार एवं माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री रामचन्द्रजी चौधरी एवं वित्त मन्त्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय के प्रति आभार प्रदर्शित करता है।"

मैंने इन तीन वार्षिक रिपोर्टों में जो लिखा हुआ है उनको सदन के अन्दर पढ़कर सुनाया है। उनसे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने ऊन के व्यापारियों पर समय समय पर किस प्रकार से टैक्स लगाया जाय, समय समय पर किस प्रकार से टैक्स मे वृद्धि की जाय, जिससे इस सम्बन्ध में जितने भी काम करने वाले व्यापारी हैं वे व्यापारी परेशान हों, और परेशान होकर हमारे माननीय वित्त-मन्त्रीजी के सामने आकर समर्पण कर दें। उन्होंने समय समय पर सरकार के सामने, खास करके वित्त मन्त्री महोदय के सामने अपना रिप्रेजेन्टेशन किया है, और उन्होंने समय समय पर उनको मुक्ति दी है।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी का यह कथन कि यह सन् ५८ में धर्मादे के खाते के नाम पर एक ब्यावर की गर्ल्स स्कूल को दिया करते थे, उसकी मेरे पास तारीख है। और मैं उनकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि सन् ५८ तक माननीय मुख्य मन्त्रीजी देने की बात करते हैं वह गलत बात करते हैं, वह गलत बात है। जिस गर्ल्स स्कूल को धर्मादे खाते की रकम का पैसा दिया करते थे वह स्कूल तो सन् ५६ में अजमेर के भूतपूर्व मन्त्री, माननीय बृजमोहनलाल शर्मा जो कि उस समय वहां के एज्यूकेशन मिनिस्टर थे, के द्वारा टेक ओवर कर ली गई थी। मैं अगर गलत हूँ तो वे इस चीज को मेरे सामने कहदें।

(१०० म० प०)

तो जो स्कूल ५६ में ही ले लिया गया

(श्री भैरोंसिंह)

था उसके बारे में मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि सन् ५८ में लिया गया था और ५८ तक पैसा धर्मादे का जाता था। उनका यह कहना गलत है। मैं इतना कह सकता हूं कि वूल एसोसियेशन के बारे में, वूल प्रोडक्शन के बारे में जितने सरकारी नोटिफिकेशन निकलते हैं वे हमारे वित्त मन्त्रीजी की सलाह से निकलते हैं, इसलिये कि ऊन के व्यापारी पर्सनली उनके सामने घुटने टेक दें और वित्त मन्त्रीजी उनसे चाहे हट्टडी के नाम पर या अन्य नाम पर पैसा लेते रहें। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं और राज्य सरकार को चुनौती देता हूँ कि वित्त मन्त्रीजी पर जो एलिगेशन्स लगाये हैं उनको राज्य सरकार गलत साबित कर दे। अगर राज्य सरकार उनको गलत साबित कर देगी तो मैं ही नहीं, जनसंघ दल के जितने भी लोग हैं वे कुर्सियों पर चिपके रहना नहीं चाहते हैं, वे विधान सभा से त्याग-पत्र देने को तैयार हैं और यदि हमारे त्यागपत्र नहीं लिये जाते हैं और वे साबित नहीं कर सकते हैं तो हिम्मत रखनी चाहिये वित्त मन्त्रीजी को बर्खास्त करने की या उनका त्यागपत्र लेने की। यह निम्न स्तर की बात है या उच्च स्तर की बात है, इसको फिर जनता बतलायेगी।

मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। विज्ञान भवन को लेकर मुख्य मन्त्री ने कहा था, मैं ज्यादा उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता लेकिन मेरे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं, उसका गलत ऑडिट कराया गया। विज्ञान भवन में पैसा खर्च किया। जो रकम भारत सरकार से ली गई, जो रकम राजस्थान सरकार से ली गई मेरा मतलब भूतपूर्व अजमेर सरकार से ली गई, जो रकम इन तीनों सोर्सेज से ली गई उसको किस प्रकार से विज्ञान भवन बनाने में खर्च किया, किस प्रकार से फोर्जरी करके वाउचर्स दिये, किस प्रकार से गलत ऑडिट करवा दिया, जिस मकान के बारे में कहते हैं कि ८८,००० रुपये खर्च हुए उसकी पी. डब्ल्यू. डी. से कीमत आंकी गई तो उसने १४,००० रु० की कीमत बताई......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मंत्री वित्त): ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, इसमें साफ है, रूल्स में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): थोड़ा जोर से........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir, Sub-rule (4) of Rule 154 "The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration".

राजराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): पब्लिक इम्पोर्टेन्स तो है ही।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : But the qualifying words are, "which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration." This point was raised. It was formerly discussed and it is not the time for discussing this matter.

श्री अध्यक्ष : That is exactly what I had said to start with.

श्री भैरोंसिंह : मैं इसको नहीं ले रहा हूँ इसलिये मैंने इसके डिटेल्स नहीं बताये, वर्ना डिटेल्स बताता यदि बताने का मौका होता। मैं इस सम्बन्ध में यही कह सकता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी जो इस बारे में बता रहे हैं वे इतना तो बता दें, कि बिना युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ग्रान्ट इन एड नहीं मिलती। दुबारा बोलने का मौका नहीं था लेकिन आपने कार्य विपरीत किये हैं इसलिये बोल रहा हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज इस प्रकार का डिमोरेलाइज़ेशन आ रहा है कि जिसकी हद नहीं है। यह डिमोरेलाइज़ेशन राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं है, सरकारी अधिकारियों में डिमोरेलाइज़ेशन है तो जनता में भी है। यह परिस्थिति आ रही है कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ करप्शन के चार्जेज़ लगावें तो सरकार सुनती नहीं है। यह कह कर बचने की कोशिश करती है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट कार्यवाही कर रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है उसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों में और जनता में जिस प्रकार का करप्शन बढ़ रहा है वह रुक नहीं सकता; इसलिये नहीं रुक सकता कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट की कार्यवाहियों से आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट चपरासियों को पकड़ने में सिद्ध-हस्त है, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट पटवारियों को पकड़ने में सिद्ध-हस्त है, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट अमीनों को पकड़ने में सिद्ध-हस्त है, लेकिन बाकी के बड़े अधिकारियों को पकड़ने में वह कामयाब नहीं हो सकता। इसके सिवाय दो तीन आदमियों का नम्बर ले रखा है जिसके आधार पर सरकार घोषणा करती है कि इतने गजटेड अधिकारियों के चालान कर दिये। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी राज्य सरकार से करप्शन दूर नहीं हो सका। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट उसे रोक नहीं सका। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट रहेगा तब भी बढ़ेगा, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। राज्य सरकार ने अकाल की बात कही थी। खादी कमीशन ने ढाई करोड़ रुपये वूल प्रोडक्शन के लिये और वूल का धंधा करने वाले लोग हैं उनको देने के लिये रखे हैं और इसके लिये १७ तहसीलें सिलेक्ट की गई हैं। उनमें ऐसे लोगों को ढाई लाख रुपये लोन या सबसिडी के तौर पर देने की व्यवस्था की है। लेकिन आज बदकिस्मती इसलिये है कि वह खादी कमीशन खादी बोर्ड के द्वारा वितरण करने की व्यवस्था करता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वूल प्रोडक्शन करने वाले और हर्ड्स रखने वाले जो गडरिये हैं उनको लोन या सबसिडी न दी जाकर उन संस्थाओं को दी जायगी जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं की संस्थाएं हैं और उन रुपयों से वूल प्रोड्यूस करने वाले लोगों का किस प्रकार से हित होगा, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : Yes, only two minutes.

श्री भैरोंसिंह : मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में एक दो बात सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। वहां का स्तर किस प्रकार का है इस बारे में कुछ न कह कर एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एम्प्लोयमेंट ऑफिसर के सिलेक्शन के लिये तीन आदमियों की कमेटी नियुक्त हुई थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया, जितने केन्डिडेट्स आये थे उनका नाम, क्वालिफिकेशन, एन्टिसिडेन्ट्स आदि उसमें लिखे हुए थे। उसके बाद उन तीन मेम्बर्स के सामने एक एक आदमी को बुलाया गया था और एक एक से प्रश्न पूछ कर मेम्बर्स में से एक जो चेयरमैन थे उन्होंने जिनको पास किया उनके नाम के सामने इस प्रकार का निशानलगा दिया और बाकी के क्रॉस कर दिया। मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैं कहता हूं और यदि प्रमाण चाहें तो वे भी दे सकता हूं। श्री जे. एस. बाजपेई और उमा जेटले के नाम के आगे सही का निशान किया हुआ था और श्री टी. एस. मेहता और श्री आर. एम. भंडारी दोनों के नाम के सामने क्रॉस लगा हुआ था, इसका मतलब यह था कि इन दोनों व्यक्तियों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब रिपोर्ट में उमा जेटले के स्थान पर टी. एस. मेहता का नाम लिखा गया, लेकिन उसके ऊपर उन मेम्बर्स के दस्तखत नहीं थे जिन्होंने सिलेक्शन किया इसलिये सिलेक्शन कमेटी के मेम्बर्स के पास दस्तखत करने भेजा गया तो उन्होंने कहा कि जो क्रॉस तेजसिंह मेहता के नाम के आगे था उसके स्थान पर उमा जेटले का नाम होना चाहिये, लेकिन उसके स्थान पर तेजसिंह मेहता का नाम लिखा है उसको डिलीट करना चाहिये। मंत्रीजी बतायेंगे कि आज तक उन्होंने उस लिस्ट पर दस्तखत क्यों नहीं किये हैं। इस तरह की जो चिन्तनीय स्थिति है, पी० एस० सी० को लेकर, नीचे के स्तर पर नियुक्तियां होती हैं, जो इरेंगुलेरिटीज़ होती हैं वे साबित करती हैं कि नियुक्तियों की हालत चिंतनीय है। राज्य के ऊंचे से ऊंचे डिपार्टमेंन्ट में इरेंग्युलेरिटीज़ होती हैं, और राज्य सरकार उनको रोक नहीं सकती। इसलिये मैं कहता हूँ कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन आज इस स्थिति में है कि वह अधिक चल नहीं सकता। चले या नहीं चले, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है लेकिन यदि और किसी राज्य में इस तरह को स्थिति होती तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स हो सकता था और मैं इतना कहता हूं कि आज जो चल रहा है वह ज्यादा नहीं चलेगा और हो सकता है कि किसी दिन कॉलेप्स हो जाय, जब कि उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय इस बात की चीजें होती हैं तो वह इस बात का संकेत है कि चिन्तनीय हालत है। सरकार इन चीजों का दूसरा अर्थ नहीं ले। दरअसल पर्सनल एनिमिटि ऐसी बातों में नहीं लगाई जाती है। व्यक्तिगत चीज सरकार के खिलाफ किसी की नहीं है लेकिन टेक्स पेअर का पैसा है, उसमें आप भी हैं और मैं भी हूं, उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता है तो ऐसी विषम स्थिति होती है और मैं समझता हूं, ईमान-

(श्री भैरोंसिंह)

दारी से कहता हूं कि टैक्स पेअर के पैसे पर हमला होता है । इसलिए आज व्यक्ति का महत्व है, जनता का महत्व है और जनता के महत्व को सामने रखते हुए मैंने इस प्रकार की बातें कही हैं । मैं समझता हूँ, सदन इन बातों की जांच करवाये, जिससे इन अभियोगों को न लगा पावें, इस प्रकार की व्यवस्था करें ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं धारा १०३ की ओर, अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अब टाइम लिमिट करनी चाहिए ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : टाइम लिमिट पहले हो जानी चाहिए, अब सवाल उठाया जाता है....

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में एक जोशीला भाषण मैंने सुना है और उस भाषण में मैं तो यह उम्मीद करता था कि कम से कम एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने के समय व्यक्तिगत केसेज़ में हम नहीं जायेंगे, बल्कि पॉलिसी मेटर्स की ऐसी कई बातें हैं, उनकी तरफ हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे या साधनों की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे । तो जिन व्यक्तिगत केसेज़ का जिक्र किया गया जोशीले भाषण से, उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता । मैं चाहता हूं, सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना और वह यह है कि हमारा जो सैकन्ड प्लान है, आज से दो दिन बाद सैकन्ड प्लान का पीरियड खत्म होता है, after two days we are launching upon the third plan. अब हम थर्ड प्लान शुरू करने जा रहे हैं और उसका इन्वेस्टमेंट सैकन्ड प्लान से लगभग डबल होगा, इसलिए हमें आज देखना यह है कि सैकन्ड प्लान में हमारे पर्फोर्मेन्सेज़ रहे हैं, उनमें क्या कमी रह गई है, उसमें क्या खामियां रह गई हैं । उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना जरूरी होगा ।

आज हमारे थर्ड प्लान में भी एग्रीकल्चर को ज्यादा इम्पोर्टेन्स दी गई है । मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के अन्दर जो पिछले सैन्कड प्लान के पांच साल के हमारे पर्फोर्मेन्सेज़ हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें और उनमें जो कमी हैं, थर्ड प्लान में जाकर हम उनको सुधार सकते हैं । उनकी तरफ भी हम ध्यान दें, तो ज्यादा उचित होगा । जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है, मैंने बजट के जनरल डिस्कशन के समय कहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो टार्जेट है उसको हमने अचीव किया है । हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का आठ लाख टन का टार्गेट था उसकी जगह १२ लाख टन का प्रोडक्शन हमने अचीव किया है । वह देखने से ऐसा महसूस होता है कि जब हमने टार्गेट से ज्यादा अचीव किया है तो हमारी एग्रीकल्चर की जो पोज़ीशन है वह काफी अच्छी है । लेकिन मैं एक बात की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि वह काफी इम्पोर्टेन्ट बात है । एग्रीकल्चर मंत्री को भी इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए । यह जो सेन्कड प्लान की प्रॉग्रेस रिपोर्ट हमारे पास है,

(श्री भैरोंसिंह)

उसके टेबल नम्बर २१ में हमारा जो पिछले सात साल का यानी फर्स्ट प्लान का तीन साल का और सेकिंड प्लान का १६६० जून तक यानी चार साल का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और जितना एरिया है, उसके डिटेल्स दिये हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं। टेबल नम्बर २० में है कि कितनी क्रॉप कितने लाख एरिया में कल्टीवेट की है और उसका प्रोडक्शन क्या हुआ है, यह दोनों में दिया है। सीरियल्स का हमारा जो प्रोडक्शन है जून १६६० तक का, वह सीरियल्स और पल्सेज़ का मिला कर ४१ लाख टन्स का प्रोडक्शन है। व्हीट का प्रोडक्शन हमारा १० लाख टन्स है और जो अनाज है उसका कुल प्रोडक्शन ३५ लाख टन है और जो एरिया है, वह २,७६,१६,००० एकड़ है। यह टोटल एरिया है जो सीरियल्स और पल्सेज़ के अन्डर में है और सिर्फ सीरियल्स के अन्डर में १,८६,७२,००० एकड़ है। व्हीट के नीचे २६,६५,००० एकड़ है। इसके आधार पर १६५४–१६५५–१६५६ का यानी फर्स्ट प्लान के लास्ट थ्री ईअर्स के फिगर्स हैं, वे उसमें दिये हैं। उसको मैंने वर्क आउट किया था, average yield per acre in pounds for the year ending in June of every year. अध्यक्ष महोदय, सीरियल्स एन्ड पल्सेज़ की average yield per acre in pounds for the year 1954 cereals and pulses combined को लें तो आता है, १६५५ का ४०० पाउन्ड्स आता है, १६५६ का ३७६ पाउन्ड्स आता है, १६५७ में आता है ४०१ पाउन्ड्स, १६५८ में ३४५ पाउन्ड्स आता है, १६५६ में आता है ४२३ पाउन्ड्स और १६६० में ३८३ पाउन्ड्स आता है। सीरियल्स एण्ड पल्सेज़ में से पल्सेज़ को छोड़ कर सीरियल्स का लें तो average yield per acre for the year 1954 आता है ४७५ पाउन्ड, १६५५ में ४३४ पाउन्ड्स आता है, १६५६ में ४०५ पाउन्ड्स आता है, १६५७ में ४०३ पाउन्ड्स आता है, १६५८ में ३८२ आता है, १६५६ में ४२६ पाउन्ड्स आता है और १६६० में ४३४ पाउन्ड्स आता है। इसी प्रकार व्हीट का लें तो व्हीट का प्रोडक्शन है, average yield per acre in pounds for the year 1954 आता है ७५४ पाउन्ड, १६५५ में ६०२ पाउन्ड्स आता है, १६५६ में ८४५ पाउन्ड्स आता है, १६५७ में ८८० पाउन्ड्स आता है, १६५८ में ७०२ पाउन्ड्स आता है, १६५६ में ७८२ पाउन्ड्स आता है और १६६० में ७६० पाउन्ड्स आता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार एवरेज ईल्ड जो फर्स्ट प्लान के लास्ट थ्री ईअर्स में आती है, वह एवरेज ईल्ड कितनी आती है फर्स्ट प्लान के लास्ट थ्री इअर्स में और सेन्कड प्लान के फर्स्ट फोर ईअर्स में ending in जून, १६६० में, उसका मैंने हिसाब निकाला है। फर्स्ट प्लान में सीरियल्स एण्ड पल्सेज़ को कम्बाइन्ड लेते हैं, तो एवरेज ईल्ड पर एकड़ आता है ३६० पाउन्ड्स और सेकिंड प्लान में एवरेज ईल्ड पर एकड़ आती है ३८८ पाउन्ड्स यानी duiung the Second Plan our average yield peracre of pulses and cereals combined is about ten pounds less peracre सीरियल्स का अलग करके लेते हैं तो सीरियल्स का एवरेज आता है for thc first three years of first plan 437.6 पाउन्ड पर एकड़ और सेकिंड प्लान में ४११.६ पाउन्ड्स पर एकड़ इस प्रकार सीरियल्स का हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज ईल्ड पर एकड़ में २६ पाउन्डस

(श्री भैरोंसिंह)

की कमी है ड्युरिंग सेकिंड प्लान, यानी फर्स्ट प्लान के एवरेज से सेन्कड प्लान के एवरेज में २६ पाउन्ड्स की कमी है। व्हीट का हम लेते हैं तो फर्स्ट प्लान में एवरेज ईल्ड पर एकड़ ८३३ पाउन्ड्स आता है और सेकिंड प्लान में एवरेज ईल्ड आती है वह ७८१ पाउन्ड्स आती है ७८१ पर एकड़ ईल्ड का व्हीट में एवरेज मिला, यानी ५३ पाउन्ड्स की कमी होती है। इस तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि There is declining trend and falling trend in average yield per acre इसके ऊपर, अध्यक्ष महोदय, मोनिटरी टर्म्स में इसका लॉस कितना होता है, वह सीरियल्स एण्ड पल्सेज़ को कम्बाइन्ड लेते हैं तो पर इयर लॉस आता है, ३,६६,-०५, २५०) रुपये पर ईअर पर एकड़ लॉस आता है टू दी एग्रीकल्चरिस्ट १ रुपया ५० नया पैसा। सीरियल्स का जब हम लेते हैं, अलग से, तो उसका लॉस आता है, ७,१३,१५,४०० रुपीज़ और पर एकड़ सीरियल प्रोडक्शन का जो लौस आता है एवरेज ईल्ड में वह ३ रुपीज़ ६० नया पैसा। व्हीट का जब हम लेते हैं, तो व्हीट में आता है टोटल लॉस टू दी एग्रीकल्चर इन्कम ३,०८,७६,२०० रुपीज़ और पर एकड़ जो लॉस आता है, वह १० रुपीज़ ४० नया पैसा आता है। Prices of cereal and pulses मैंने १३ रुपया मन के हिसाब से ली है, जिसमें एक पाउन्ड् का करीब १५ नया पैसा आता है और व्हीट को मैं १६ रुपये मन के हिसाब से लेता हूँ, यानी एक पाउन्ड का लगभग २० नया पैसा पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने रखा उससे मालूम होता है कि आज एपरेन्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमारे यहां जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ है, उसकी वजह से नहीं है। जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वह इस वजह से बढ़ा है कि हमने एडीशनल एरियाज़ कल्टीवेशन में लिये हैं। लेकिन आज जो हमारे प्लान का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्ज़ में डिफाइन किया है, इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, इम्प्रूव्ड सीड्स देना चाहते हैं, मेन्योर और फर्टीलाइजर्स देना चाहते हैं, ताकि पर एकड़ ईल्ड को इम्प्रूव कर सकें, It is one of the fundamental and most important of approaches our planning.

लेकिन जो फीगर्स मैंने केल्कुलेट किये हैं इससे............................

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : There is no quorum, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : इससे यह ख्याल आया कि हमने इम्प्रूव नहीं किया है। पर एकड़ ईल्ड हमारा नहीं बढ़ा है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रेक्टिस में इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर करके, इम्प्रूव्ड सीड देकर फर्टीलाइज़र डिस्ट्रिब्यूट करके हमने क्या किया? माननीय अध्यक्ष, एक रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो मशीनरी हमने यूज की है, We have distributed implements to agriculturists during the four years : Rs 71, 751 worth implements.

अच्छा सीड डिस्ट्रब्यूट किया during the four years 15, 16, 667 maunds improved seeds.

(श्री पी. के. चौधरी)

हमने जो मेन्युअर्स और फर्टीलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किये हैं उनमें हमने ३६१ हजार का फर्टीलाइजर चार साल में डिस्ट्रब्यूट किया हैं।

कन्स्ट्रक्शन ऑफ इर्रिगेशन वैल्स; इसमें हमने ५० हजार नये कुए बनवाये हैं और १६,००० कुओं की मरम्मत करवाई है और १४२ हजार एकड़ एरिया नया इर्रिगेशन के अन्डर में लाये हैं, इसमें नई लैंड १०३,६०५ एकड़ है। इर्रिगेशन, माइनर इर्रिगेशन में २ लाख एकड़ जमीन माइनर इर्रिगेशन के अन्डर में आई है इस प्रकार माइनर इर्रिगेशन, मेजर इर्रिगेशन और मीडियम इर्रिगेशन में कुल मिला कर लगभग ७ लाख एकड़ जमीन, ६,८३,००० एकड़ जमीन इर्रिगेशन के अन्डर में लाये हैं। इतना ज्यादा मेन्युअर्स और फर्टिलाइजर्स हमने डिस्ट्रब्यूट किया, इतना इम्प्रूव्ड सीड यूज किया, इतना इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रेक्टिस को यूज किया है, इतनी ज्यादा जमीन को इर्रिगेशन के अन्डर में लाये हैं, इसके बावजूद भी हमारा ईल्ड पर एकड़ कम होता है, मैं इसको एक सीरियस बात समझता हूं। गवर्नमेंट को इस तरफ काफी एलर्ट होना चाहिये। मैं तो एक तरह से इसको अलार्मिंग सिच्युएशन समझता हूं, इतना इम्प्रूव्ड सीडस देते हैं, इतना फर्टीलाजर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इतनी इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रेक्टिसेज को काम में लाते हैं are we not pouring water in a porous bottle? पोरस वेसल में पानी डालते हैं कि पानी टिकता ही नहीं है, हमारा एवरेज ईल्ड पर एकड़ बढ़ता ही नहीं है, उल्टे कम होता है, तो इसके लिये आज से ही सतर्क नहीं होते हैं तो a day may come when it will be very difficult to make an improvement. इसलिये मैं समझता हूं कि आज हमने अपना टोटल प्रोडक्शन है उसको बढ़ा लिया है, टोटल प्रोडक्शन के बढ़ जाने से सेल्फ कम्प्लेसेन्ट नहीं होना चाहिये, हमको सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये कि जो हमारा एडीशनल फूड प्रोडक्शन का लक्ष्य किया था उसको अचीव कर लिया है। हमको बारीकी से देखना है कि यह जो प्रोग्रेस किया है, वह at what cost?

जो प्रोग्रेस किया है whether it is perfect इसको परफेक्ट तभी मानते जब कि पर एकड़ ईल्ड बढ़ता, प्लान का लक्ष्य भी यही है। लैंड हिन्दुस्तान में लिमिटेड है। हो सकता है कि राजस्थान में अनलिमिटेड लैंड हो, पर हिन्दुस्तान में लिमिटेड लैंड है और हमारी पोपुलेशन २१॥ परसेन्ट के हिसाब से बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए हिन्दुस्तान की फूड प्रोब्लम के सोल्यूशन का एक ही तरीका है to have more yield per acre. एवरेज ईल्ड पर एकड़ जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तो जो इम्प्रूव्ड सीड आज यूज कर रहे है, जो फर्टीलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रेक्टिस आज यूज कर रहे हैं, नये इम्प्रूव्ड मेथड्स यूज करते हैं, फर्टीलाइजर यूज करते हैं, इम्प्रूव्ड सीड काम में लेते हैं और इर्रिगेशन की फेसिलिटीज को यूज किया है। इतना अधिक लैंड अन्डर इर्रिगेशन लाये हैं, फिर भी पर एकड़ ईल्ड क्यों नहीं बढ़ता है, इसके लिये जांच करनी

Page No.58

(श्री पी. के. चौधरी)

चाहिये कि इसका फालिंग ट्रेन्ड है यह बड़ा सीरियस मेटर है, इसका कारण मालूम करना चाहिये ।

मैं समझता हूं, एक ही डिपार्टमेंट का मैंने यह इलस्ट्रेट किया है । दूसरे डिपार्टमेंट्स की पर्फोर्मेंस को भी इस तरह से एग्ज़ामिन करना चाहिये कि फण्डामेंटली whether there is anything lacking, anything missing in it which requires improvement. जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में हमको जागरुक होना चाहिये था । तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस लक्ष्य को लेकर एप्रोप्रियेशन बिल पर डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । जो बातें गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं उनको डिस्कस करेंगे । हमारे अचीवमेंट का टार्गेट अचीव करने के मामले में केवल इस चीज में ही फंस जाना चाहिये कि हमने इतना अचीव कर लिया, उसकी बाकायदा स्क्रूटिनी करनी चाहिये, हमारे पर्फोर्मेन्स में स्क्रुटिनी होनी चाहिये, either in the shape of fertilisers or anything उसका हमें प्रोपर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं । प्रोपर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है ? They must be properly investigated.

तो माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस बात को सीरियसली टेक ओवर करना चाहिये और नॉन ऑफिशियल्स की एक कमेटी मुकर्रर करना चाहिये । गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कमेटी मुकर्रर करेंगे तो they will always try to hide this, because it is a slur on them और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों तो गवर्नमेंट के ध्यान में उन्हें इस बात को लाना चाहिये था और इसको चैक करने के लिये कुछ करना चाहिये था, ५ साल का पीरियड हुआ इसमें ध्यान में लाना चाहिये थे । चार-पांच साल तक कुछ नहीं करते, इसको मैं उचित नहीं समझता, ५ साल का काफी वेल्युएबल टाइम है । आगे के लिये हमें सावधान होना चाहिये इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : We have the Appropriation Bill before the House, on which the Government case was to grant them certain funds, which they might be able to utilise on the administration and development etc. If we look at it from another angle i. e. whether the Government is really spending the money carefully or not, I think, we need not call it the Appropriation Bill, but we can conveniently call it Misappropriation Bill. The whole idea underlying the expenditure on administration is to protect the Government servants. Government should be out with clean hands to take action against any Government servant who misbehaves. I can conveniently say that our Government is there only to shield them for this and simultaneously to fill their pockets as well.

I remember, two years back, one surgeon in Ajmer, a Government servant in the Victoria Hospital, deli-

(श्री अर्जुनदास)

berately avoided performing operation on a Sindhi patient within proper time. The patient waited for full 12 hours because the surgeon expected that he would get about Rs. 500/-for performing the operation. He did not get that amount, with the result that he performed the operation next day when it was too late. Gurdi Harnia was there and all the text-books say that whenever you find Gurdi Harnia, you cannot even wait for two minutes you have to perform the operation immediately, otherwise you take the risk of the life of the man. The patient did wait for more than 12 hours with the result that he died in the hospital and on that I made an applicatton to the Government requesting them to grant me permission under section 197 of the Drugs Act, so that I could prosecute the doctor and vindicate the rights of the citizen of Ajmer, but I can conveniently say that full two years have passed away, the Government have not cared to make a reply on that application of mine. Either my request is genuine or it is false. If it is false I can take the risk of punishment at the hands of law, but the Government would not do either, because they know that the doctor is to be blamed.

Simultaneously I can also say about the present Administrator of Ajmer. Of course, the Government might be there to safeguard his interests but I know the way he has been proceeding is contrary to law and he himself has been committing criminal offences. The Government did not accept my challenge and I hold out another challenge to the Government to grant me permission, I will prosecute him. I will be the complainant and he will be the accused If he is not guilty, I will be punished. If he is guilty, let him be punished. Let the Government accept the challenge. I know, Government would not allow me to file a prosecution against him, because the moment the prosecution is filed, the Administrator is behind the bars. For the last two or three months, every day one or other cabin is demolished. The other day I said that he has been demolishing cabins, but subsequent to that he has demolished in Ajmer three houses of some poor citizens drawing about Rs. 75/- a month. They built houses and the Administrator got them demolished, while the Rajasthan Municipality Act does not authorise the Municipal Council or the Municipal Commissioner to demolish anybody's house. What is authorised is that the Council may file a prosecution before a First Class Magistrate and it is for the Magistrate to take any decision. The council by itself has no power to demolish. Yet our Administrator, who thinks he is the Lord himself and he will not be pulled or checked by Jaipur even, he knows he can move to any direction

(श्री अर्जुनदास)

and he will be immune from law. He has got certain houses demolished in the city of Ajmer and we fail to understand whether we are going to be guided just by the fancies and whims of one man or we are to be guided by law. But still we find that our Government has to protect persons like him. We can conveniently say that the present Administrator knows nothing except how to break the houses and cabins and at best you can conveniently call him 'Tor Phor ka-Afsar'. He only knows how to demolish and do things like that.

Apart from this, I have also represented and met the Hon'ble Minister for Local Self Government for reduction in Octroi, but till today the Government has not been able to take any decision and they are keeping the papers under their legs, I really fail to understand why the Government do not propose to dispose of this case. Whether the Government intends taking decision about reduction of octroi in the city of Ajmer or not, we do not get any reply at all. The people are looking up to the Government and the Council, but they are just sleeping over the matter.

Similarly in the city of Ajmer, the Ajmer Municipal Council passed a resolution and sent the papers to Government and more than one year has passed when the papers were sent away requesting the Minister to allow the Municipal Council to permit the Thari holders to build pucca shops and till then their tenancy may be extended atleast for three years if not more. Of course, the renewal plan was also there but the Government has not given any reply on that. Even the council by itself can allow it for 7 years, or if they want to give permission for more than 7 years, they have got to approach the Government. Here the Ajmer Municipal Council has been approaching the Government for more than a year to allow the Thari holders to build pucca shops on their own expenses, but still the Government does not say to them 'yes' or 'no' What is the motive behind it, I am not able to understand. Such things should be decided immediately, but it takes years and years for our Government to take decision and then at the fag end of the period, they say "this matter has been pending for years, we have not been able to decide and so the position is this and that." Possibly everybody know we cannot have faith in the Government. We can of course expect the Government to do something when some V. I. P. is intrested in the matter but not otherwise. Therefore, I will expect the Government to take decision on both these points-on both the resolutions submitted by the Ajmer Municipal, Council-one about the cabins being made pucca and secondly reduction in Octroi and I expect of course that the Government

Page No.61

(श्री अर्जुनदास)

will make a 'gol-mol' reply instead of committing them one way or the other. Committing themselves they do not know. They know how to evade and be evasive. That has been their policy. Therefore, I will expect the Government to look into that aspect.

The other thing is about the High Court, Sir. The High Court today is located at Jodhpur, which is at the end of one corner of Rajasthan and the greatest difficulty is that most of the litigants who have to go have nothing else to do in Jodhpur except to look after the case. If the High Court were located in a place where people can have other businesses also to attend along, with looking after the cases, it would be much to their advantage. Unfortunately, many litigants have to be at Jodhpur for days and deys continuously and just for being told that the case has been adjourned. Unfortunately they have got to come and go back like a shuttle cock to Jodhpur and back to the place of their residence without much being done in particular there. I would atleast expect the Government to rethink for establishing another Bench at some central place of Rajasthan, so that half the poulation of Rajasthan may be benefited by it.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि हमें इसमें (आयुर्वेद पर) आयुर्वेद के विकास की दृष्टि से पुनः विचार करना चाहिये और इसे चिकित्सा और जन–स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लाना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद विभाग के पदाधिकारियों और आयुर्वेद के औषधालयों में काम करने वाले वैद्य और आयुर्वेद की संस्था के निरीक्षक आदि को चिकित्सा और जन–स्वास्थ्य के स्तर पर काम क्यों नहीं करने देते ? जब आपने आयुर्वेद को विकासोन्मुख मान लिया है तो जो ढांचा आपने मंजूर कर रखा है उसके अनुसार आयुर्वेद को कार्य करने के लिये मंजूरी क्यों नहीं देते ? मिसाल के तौर पर पब्लिक हैल्थ का काम आयुर्वेद को नहीं देकर आपने जन–स्वास्थ्य विभाग के हाथ में दे दिया है। आपने दूसरों के बजट में इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं रखा है। मसलन आयुर्वेद के बजट में अगर वे लोग ज्वर (मलेरिया) के लिये रोक थाम के बारे में काम करना चाहें तो उनके लिये कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य के मामले में शिक्षण व प्रशिक्षण देने के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप मलेरिया के लिये जानते हैं और बता सकते हैं। आयुर्वेद क्या करेगा ? आप क्या बतावेंगे ?

श्री जनार्दनराय नागर : नाराज़गी की गोली लीजिये, क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, यह सोचना कि ज्वर के बारे में आयुर्वेद में कुछ नहीं है, यह गलत है। आज चूरण, चटनी और हाज्मा का विभाग ही जो लोग इसको मानते हैं वे इस आयुर्वेद के असली

(श्री जनार्दनराय नागर)

महत्व को नहीं समझते और उससे हजारों मील दूर हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कौन से वैद्य हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं वैद्य तो नहीं हूँ, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आयुर्वेद का विषय....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): पड़ोस में कोई औषधालय होगा।

एक माननीय सदस्य : आपके नीचे डिस्पेन्सरी है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह मज़ाक की बात नहीं है। शिक्षण और प्रशिक्षण के मामले में आयुर्वेद विभाग की ओर से कोई काम नहीं किया जाता है। आज कोई भी एपिडेमिक का काम आता है तो जन-स्वास्थ्य विभाग के जरिये से कार्य होता है क्योंकि उसके पास पैसा है और उसी के द्वारा किया जाता है।

ऐसा मान लिया गया है, अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के पास में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और इस प्रकार के एपिडेमिक्स और जन-पदोध्वन्स के समय उनके निवारण के लिए कोई साधन नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका मूल कारण यह नहीं है। उसके प्रशिक्षण के लिए साधन नहीं हैं। आयुर्वेद के पास इस प्रकार के जनपदोध्वन्स के लिए सब उपचार हैं। मैं दो-ढाई वर्ष से निरन्तर यहां पर यह निवेदन करता रहा हूं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में सार्वजनिक चिकित्सा विभाग की ही तरह आयुर्वेद द्वारा उपचार के लिए वैद्यों का प्रशिक्षण होना चाहिये। उस विभाग की तरह से ही इसके लिए साधन उपलब्ध करने चाहिये। लेकिन मुझे आज तक उसमें सफलता नहीं मिली है। बालकों और महिलाओं के रोगों के निदान के लिए आयुर्वेद के वैद्यों को ट्रेनिंग होनी चाहिये, जिस प्रकार कि बड़े रोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट उपलब्ध किये जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार से इनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन इसके लिए भी आयुर्वेद विभाग में जितना प्रावधान होना चाहिये उतना प्रावधान नहीं है। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार का शिक्षण आज हो रहा है, जब हैल्थ सर्विसेज़ शुरु होंगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में गांव गांव से जब योजना आयेगी उस वक्त मैं मानता हूं कि हमारा आयुर्वेद विभाग इस मामले में पिछड़ जावेगा और वैद्यों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था न होने के अभाव में वे निश्चित रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के समानान्तर नहीं आ सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद में इसके लिए प्रावधान रखना चाहिये। मुझे इसमें कोई तुक नहीं मालूम होता है कि सार्वजनिक चिकित्सा विभाग की तरह से आयुर्वेद विभाग का गठन न किया जाय। मैं यह मानता हूं कि आयुर्वेद विभाग और सार्वजनिक चिकित्सा विभाग के स्तर में किसी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिये। मुझे समझ में नहीं आता है कि चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभाग के डाइरेक्टर का वेतन हजार से तो शुरू होता है और दो हजार तक पहुंचता है और जो आयुर्वेद के डाइरेक्टर हैं

(श्री जनार्दनराय नागर)

उनके वेतन को लें तो वह एक सीनियर लेक्चरार के बराबर है या प्रोफेसर के बराबर की ग्रेड का है। वैद्यों की ग्रेड को भी ले लें तो वही नतीजा मिलेगा।

(१.४१ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार की ओर से बुद्धिमत्ता की आज तक एक भी दलील नहीं दी गई है, उपाध्यक्ष महोदय, वैद्यों और डॉक्टरों की वेतन श्रृंखला में यह इतना अन्तर क्यों रखा गया है?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): तनख्वाह से कैसे स्तर बढ़ जायगा?

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे तो इन्टरप्शन्स का दुख नहीं है, लेकिन तरस आता है...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जारी रखें। दुख की बात नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : आज सरकार को आयुर्वेद औषधालय अधिक खोलने की नीति अपनानी पड़ी। जब आपके होस्पिटल्स में, डिस्पेन्सरीज़ में दवाई नहीं है तो आप आयुर्वेद की शरण में आते हैं। इस दृष्टि से आते हैं कि आयुर्वेद में वैद्य मिल जाते हैं। मैं आयुर्वेद सलाहकार बोर्ड का सदस्य हूं। बोर्ड की ओर से एक प्रस्ताव पास करके भेजा गया था जिसके द्वारा सरकार से यह मांग की गई थी कि सरकार राजस्थान में एक स्वास्थ्य कमीशन कायम करें, जो चिकित्सा के कार्य राजस्थान में होते हैं उनको जांच कराई जाय। सरकार लाखों–करोड़ों रुपया चिकित्सा में खर्च करती है। तो यह जरूरी है कि राजस्थान के लिए एक स्वास्थ्य कमीशन बैठा कर सरकार जाच करावे कि राजस्थान में गत दस वर्षों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की प्रगति, चाहे एलोपैथिक के द्वारा हुई हो, चाहे वह आयुर्वेद के द्वारा हुई है कैसी है, एक कमीशन बैठा कर जांच कराये, पता लगाये कि राजस्थान के लोगों का कैसा स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य के लिए जो प्रबन्ध किये गये हैं वे कैसे हैं; उनमें क्या कमियां हैं, क्या उनमें परिवर्तन और परिवर्धन करने की आवश्यकता है? केवल यह कह देना कि आयुर्वेद के पास कुछ नहीं है, उससे उपचार नहीं हो सकता है, मैं कहता हूं कि इस प्रकार की धारणा बनाना और कहना यह आयुर्वेद के प्रति उदासीनता ही नहीं, बल्कि उसका अपमान भी करना है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कम खर्चे में और व्यापक रूप से आयुर्वेद के द्वारा उपचार कर सकते हैं। एलोपैथी में मलेरिया ज्वर निवारण के लिए कितना खर्चा आता है और आयुर्वेद से तखमीना लगा कर देख लें; अधिक गांवों में, अधिक मात्रा में और सबसे कम खर्चे में आयुर्वेद द्वारा जन–स्वास्थ्य का काम किया गया। जब जनपदोध्वन्स का प्रश्न आता है...

श्री सोहनलाल भटनागर : हितोपदेश के श्लोक....

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे मित्र हितोपदेश समझ गये हैं पदोन्ध्वन्स को।

श्री उपाध्यक्ष : You are not to be guided by the whispers behind. Let us proceed.

श्री जनार्दनराय नागर : Behind me, I have little...

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांवों के लिए कह रहा था कि जब जनपदोध्वन्स का प्रश्न आता है उस वक्त आयुर्वेद के लोग जाकर डॉक्टरों के मुकाबले में गांव गांव पहुँच कर प्रभावशाली तरीकों से सेवा करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं जिनको एलोपैथी द्वारा दूर कर सकते हैं और कुछ रोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है, एलोपैथी नहीं। इसलिए एक कमीशन सरकार कायम करें और जन-स्वास्थ्य कैसा है, उसके विकास के लिए क्या २ आवश्यकतायें हैं उनके बारे में वह पता लगाये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा के लिए खर्चा किया गया उसका परिणाम क्या मिला? यह कहा जाता है कि विस्तार तो किया लेकिन जो परिणाम प्राप्त होने चाहिये थे उसमें इतनी प्रगति नहीं मिली। मेरी यह सूचना है कि जब आयुर्वेद विभाग को अलग मान लिया गया है, अलग मंत्री इसके लिए नियुक्त किया गया है, तो फिर कोई तुक नहीं है कि आयुर्वेद विभाग के लिए वह स्तर कायम नहीं किया जाय जो कि चिकित्सा और जन स्वास्थ्य विभाग के लिए है। इसलिए जो स्पेश्यल रोग हैं उनके प्रशिक्षण के लिए आयुर्वेद विभाग में इन्तजाम किया जाय।

दूसरा मैं कहना चाहता था कि शासन प्रणाली के खर्चे में कमी। कमिश्नरीज़ को कम करने की सरकार की ओर से घोषणा की गई है। और कमी करने की जहां तक बात है २८ लाख रुपयों की बात ही सामने आयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इससे भी ज्यादा कमी सरकारी प्रशासन तंत्र में कर सकते थे, यदि जिलों का पुनर्वर्गीकरण कर लिया होता। पहली पंचवर्षीय योजना के मध्य से या उसके उत्तर काल से इस प्रकार की चर्चा चल रही है कि जिलों का पुनर्गठन कर दिया जाना चाहिये। फिर कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भी राजस्थान के जिलों का पुनर्वर्गीकरण क्यों नहीं करते? तीसरी पंचवर्षीय योजना का विस्तार दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ अधिक होगा, यह मैं मानता हूँ कि स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। जिन चीजों पर जोर दिया गया है, जिनको ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं उनका विस्तार अधिक होगा, अन्य का उतना नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तीसरी योजना के साथ साथ जिलों का पुनर्वर्गीकरण हो जाना चाहिये। मैं यह मानने लगा हूँ कि राजस्थान में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के बाद, जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषदों के निर्माण के बाद हमें आज जो तहसीलें हैं उनका भी पुनर्वर्गीकरण करना होगा और पंचायत समिति को तहसील मान कर चलना होगा। आज ऊपर से नीचे तक शासन के ढांचे में एक प्रकार का परिवर्तन लाने की बहुत जरूरत है। पंचायत समिति और तहसील का एरिया है वह मिलता नहीं है। आज हम देखते हैं कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों का विस्तार इस तरह का है कि एक जिला परिषद् के अन्तर्गत ५-७ पंचायत समितियां हैं, किसी में १० और ११ हैं। उदयपुर जिले की ही हालत बताऊं कि १६ पंचायत समितियां हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि विकास की दृष्टि से पंचायत समिति किस तरह से काम कर सकती हैं जब जिले में अस-

(श्री जनार्दनराय नागर)

मानता हो। इसलिए पंचायत समिति को तहसील बनानी चाहिये। कुछ का क्षेत्र १०-१२ मान सकते हैं। लेकिन एक बरतुल बनाना चाहिये। छोटे छोटे जिले हैं। दो चार तहसीलें हैं। उनको आज प्रशासन पर न केवल मैं वजन मानता हूँ बल्कि न्यायजन्य भी नहीं है।

इसलिये अगर जिलों का पुनर्गठन कर दें तो हमारे प्रशासन व्यय में भारी कमी हो सकती है। आज स्पष्ट है कि जिलों की औसत जनसंख्या कम से कम दो लाख माननी चाहिये। आज हमारे राज्य में २६ जिले हैं, इनमें से छः—सात तो ऐसे जिले हैं जिनको आसानी से एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता जहां हम हमारे सारे राजतन्त्र के ढांचे में परिवर्तन ला रहे हैं। हमने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के आधार को माना है और पंचायत समितियों का गठन किया है, यह कोई मामूली काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का जमाव हो गया था आई. सी. एसीज्म का बोलबाला हो गया था उसको जहां कम करने का सवाल था उसका वैज्ञानिक उपचार हमने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के रूप में किया। यही वजह है कि पंचायत समितियों के क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम उनके जिम्मे कर दिये गये हैं। आज राज्य का प्रथम और अन्तिम कर्तव्य यही है कि राज्य का विकास किस प्रकार से हो। पंचायत समितियों को बनाकर केवल विकास के कार्यों का ही डिसेन्ट्रलाइजेशन किया हो यह बात नहीं, शासन के तन्त्र को भी डिसेन्ट्रलाइज़ किया है। मुझे इसमें हिच मालूम नहीं होती कि हम अपने जिलों का भी वैज्ञानिक वर्गीकरण करें। यह हो सकता है कि उसके लिये कहा जाय कि वह समय अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों समय नहीं आया है जब आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसके बारे में मैंने आज भी अखबार में पढ़ा है कि बिहार के अन्दर भी हमारे यहां के डिसेन्ट्रलाइजेशन के प्रकार पर विचार किया जा रहा है। कलेक्टर जो है वह जिला परिषद् के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करें, इस पर विचार कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार का आगे कदम रख सकते हैं तो फिर हमारे यहां जो २६ जिले बने हुए हैं उनमें दस पांच जिले तो ऐसे हैं जिनका रहना किसी भी हालत में ठीक नहीं है।

जहां हमारा बड़ा राजस्थान बना वहां हमारा यह पूर्वाग्रह था, मनोविज्ञान था, स्थानीय आवश्यकता थी; जब हमने इतनी रियासतों के एकीकरण को स्वीकार किया वहां सवाल यह है कि जहां हमें इतने टैक्स लगाने पड़ते हैं वहां हम कई तरह की कमियाँ कर रहे हैं, कई विभागों को मिलाकर एक कर रहे हैं और इस तरह से हर जगह पर पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं; लेकिन जो चीज हमारे सामने पड़ी हुई है उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति का भी मैं एक बार मेम्बर था उसके बाद में किसी कमिटी का मेम्बर नही रहा; उस समय प्राक्कलन समिति के सामने इन जिलों के पुनर्वर्गीकरण का सवाल आया। कुछ जिलों में, जिसमें पुलिस जिले और रेवेन्यू के जिले समान हों, रेवेन्यू के जिले ही पुलिस के जिले हो जाते हैं तो यह ठीक हो जाता है। यदि हम इसमें कमी कर देते हैं तो कम से कम पचास साठ लाख तक की न्यूनतम खर्चे में कमी कर सकते

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं। कमिश्नरीज़ के तोड़ने का जो कदम उठाया है उसी प्रकार जिलों को संख्या में भी कमी की जा सकती है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के पुनर्वर्गीकरण का भी प्रश्न आया लेकिन जो बात हमारे सामने खड़ी हुई उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के जो जिले हैं उनका वर्गीकरण बिल्कुल अवैज्ञानिक है, कई जिले बहुत छोटे हैं उपाध्यक्ष महोदय, वह तो आपकी हथेली पर आ जाय, ऐसे भी जिले हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : आपकी हथेली से कहीं बाहर न निकल जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, होना यह चाहिये था कि पंचायत समितियों के लेवल पर जिले होने चाहिये, इस तरह से वर्गीकरण किया जाय तो सारे राजस्थान के जिलों का कम से कम १५–१६ जिलों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इस तरह से सामान्य प्रशासन में पचास लाख तक की बचत हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा देवस्थान विभाग के अन्तर्गत जितने पुजारी काम करते हैं उनमें से खास तौर से जयपुर और कोटा के पुजारियों को सन् ५६ से महंगाई नहीं दी गई। जब जयपुर राज्य था यहां के प्राइम मिनिस्टर सर मिर्जा इस्माइल थे उनके समय में इनको महंगाई भत्ता मिलता था उसके बाद पता नहीं उनके महंगाई भत्ते को बन्द क्यों कर दिया? इस मामले में रेवेन्यू विभाग ने सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया और यह तय किया गया कि १ फरवरी से फिर से महंगाई भत्ता दिया जाय। हुक्म हो गया वहां तक तो ठीक है, कानून वह सही भी हो सकता है लेकिन उसको इक्वीटेबल हुक्म नहीं मान सकते। जब कि उन पुजारियों की सन् ५६ से महंगाई बन्द हुई है तो उनको वहीं से मिलनी चाहिये जब कि राज्य के वे कर्मचारी हैं। यदि आप उनको राज्य के कर्मचारी नहीं मानते हैं तो देवस्थान विभाग से उनको हटा देना चाहिये, लेकिन जब तक वे राज्य के कर्मचारी हैं तो वैसी हालत में अन्य राज्य कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं वे इनको भी मिलने चाहियें.......

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या उनको प्रसाद नहीं मिलता है?

श्री जनार्दनराय नागर : आप बाकी रहने दें जब ना। प्रसाद क्या पत्तल में कढ़ी और चावल इसको सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया एक रोटी और कढ़ी मिलती है उससे होता क्या है, आखिर बेचारा सुबह पांच बजे से लेकर शाम को ११ बजे तक वह काम करता है........

श्री उपाध्यक्ष : काम है या उपासना?

श्री जनार्दनराय नागर : जो भी हो, हम सब यह मन्दिरों में जाकर पता लगा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूर है कि वे भी बदस्तूर राज्य के कर्मचारी हैं। वैसी हालत में जहां अन्य राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है वहां इनको न दें, यह युक्ति संगत नहीं है। हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को अलाउन्स दिया जाता है, तीन घण्टे ज्यादा बैठ गये तो उनको एक्स्ट्रा अलाउन्स दिया जाता है। वे बेचारे सुबह

(श्री जनार्दनराय नागर)

से लेकर शाम तक काम करते हैं और उनको मंहगाई भत्ता न दिया जाता है। एक बात तय हो गई कि १ फरवरी, १९६१ से उनको मंहगाई भत्ता दिया जाय, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि सन् ५६ से क्यों न दें ? फरवरी ६१ से मिलने का हुक्म कोटा के लिए तो हो गया, दूसरी जगहों पर वह हुक्म लागू नहीं किया गया। इसमें यह बात जरूर की गई कि जिसकी उम्र ३५ साल की हो गई या जो टेम्पीरेरी थे उनको हटा दिया गया है। इस तरह से इस सारे मामले में हिन्न पड़ी हुई है । राज्य के रेवेन्यू विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यहां पर इक्वीटेबल सिद्धान्त की रक्षा नहीं की जा रही है।

खास तौर से आयुर्वेद के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में भी मेटेरिया मेडिका मौजूद है, लेकिन इसके स्टेंडर्डाइज़ेशन के लिए बहुत कम काम हुआ है । यह बात बहुत आवश्यक है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं कि आयुर्वेद के चिकित्सकों में दवाओं के प्रयोग और उसके परिणाम में विभिन्नता पाते हैं लेकिन इसके लिए औषध विज्ञान की दृष्टि से मेटेरिया मेडिका होना चाहिए। आयुर्वेद में भी भैषज विज्ञान ग्रन्थ निकाला जाना चाहिये। आज हम देखते हैं कि एक वैद्य के नुस्खे में और दूसरे वैद्य के नुस्खे में काफी अन्तर रहता है, जिस प्रकार ऐलोपेथिक मेडिसिन में स्टेंडर्डाइज़ेशन पेटेन्टाइज़ेशन होता चला आया है वह आयुर्वेद पद्धति में नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि इस विषय में सरकार इसके स्टेंडर्डाइजेशन के बारे में उचित कदम उठाये। इस तरह से जल्दी से जल्दी आयुर्वेद औषधियों का मेटेरिया मेडिका बनाया जाना चाहिये ।

आयुर्वेद कॉलेज एक हमारे जयपुर में है इसको अष्टांग महा विद्यालय के रूप में विकास करने का मौका दिया गया है दूसरी योजना काल में ही । लेकिन जहां तक उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज का सम्बन्ध है वहां के कॉलेज के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि तृतीय योजना काल में उदयपुर आयुर्वेदिक कॉलेज को भी अष्टांग महा विद्यालय में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के बारे में काफी बात सदन में कही गई और इसकी चर्चा अखबारों में भी काफी चली । लेकिन एक बात मैं भी महसूस करता हूँ कि अब इस मामले में सरकार को स्पष्ट रूप से सदन को इस बारे में विश्वास में लेना चाहिये । जितनी भी सारी बातें कही जाती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाय आखिर में तथ्य क्या है ? जब स्थिति यह आ गई है इस सदन का प्रत्येक सदस्य सरकार से यह जानना चाहता है........

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar, is this not a repitition of what has been discussed on the floor of the House ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Right, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : I want to draw the attention of the Government

Page No.68

(श्री जनार्दनराय नागर)

through you that the House be taken into confidence.

श्री उपाध्यक्ष : Government has already realised it.

श्री जनार्दनराय नागर : तो मैं यह कह रहा था कि इन बातों की ओर सरकार को ध्यान रखना चाहिये । एक बात और है एक्सटेंशन ब्लॉक में सोशियल डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइज़र की पोस्ट्स को खत्म कर दिया गया और पांच डिवीजन्स में पांच डिवीजनल सोशियल आर्गेनाइज़र की जगह रख दी गई हैं।

(२.०० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अखिल भारतीय नीति के अन्तर्गत सोशियल एजूकेशन की स्टेन्डिंग कमेटी ने यह माना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सोशियल एजूकेशन ऑर्गेनाइजर होना चाहिये । और इनके लिए ट्रेनिंग देने को दिल्ली में फन्डामेन्टल एजूकेशन इन्सटीट्यूशन खुला हुआ है । पचास लाख के खर्चे से यह खोला गया है । मैंने इसके लिए राजस्थान सरकार को मनवाने में काफी प्रयत्न किया और आखिर डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ सोशियल एजूकेशन की पोस्ट रखी गई, पहले एडल्ट एजूकेशन ऑफिसर था । तो हमने इसके लिए काफी प्रयत्न किया । मैं कई वर्षों तक गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की सोशियल एजूकेशन की स्टेन्डिंग कमेटी का मेम्बर रहा हूँ । जब राजस्थान की बात आती थी तो हम कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र रखने की बात हम कर रहे हैं, पर आज इनको तोड़ दिया है । जहां हम इसका विस्तार करने की बात सोच रहे हैं, वहां कमी की जा रही है । तो इसके प्रति मेरे मन में एक संभ्रम सा है कि आखिर हमारी नीति क्या है ? आखिर हमारी नीति यह है कि समाज शिक्षण का काम आम जनता के हाथ में सौंप दें धीरे धीरे । पंचायतों के जरिये जितना हो सके करें, पंचायत समितियों के हो सके करें और अगर इसका सारा मार्ग दर्शन जिला परिषद् में चलाया जावे तब तो गम्भीरता से विचार करना चाहिये, पर मेरा मानना है कि आप ऑटोनोमस इन्तजाम क्यों नहीं करते इस सोशियल शिक्षण के मामले में । जैसे माध्यमिक शिक्षण के बारे में कहा गया, धीरे धीरे, जिला परिषदों के हाथ में यह सारा डील जावेगा तो यह ऑटोमाइजेशन की नीति है । शिक्षा मन्त्री का यह नया डील है । इस मामले में आज हम धीरे धीरे राजस्थान की शिक्षा की सारी प्रेरणा और नेतृत्व को जन सामान्य के हाथ में देने जा रहे हैं । इस प्रकार की नीति शिक्षा मंत्री ने बनाई है । यह सारा नया डील है, जो सरकार धीरे धीरे ला रही है । अपनी नम्रता और विनय में सरकार कहती नहीं है । तो मैं कहना यह चाहता था कि नया डील यह भी है । इसका सर्वोपरि स्वरूप यह भी होगा कि समाज शिक्षण के मामले में भी विस्तृत आधार पर राज्य में एक ऑटोनोमस प्रबन्ध हो । मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि बिना इसको लाये काम चलेगा नहीं । यह एजूकेट करने का सवाल है । इसलिए इसके प्रसार की दृष्टि से मैं ऑर्गेनाइज़र की जगह को तोड़ना ठीक नहीं मानता ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप अच्छी बात कह रहे हैं, पर कुछ टाइम लिमिट कर दी जावे तो ठीक रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Let this be the responsibility of the Hon'ble members to restrict their speeches in view of the time rather than the restriction to be imposed upon by the Chair.

श्री जनार्दनराय नागर : तो क्या मैं ही दुर्भागी सदस्य हूँ कि पूरा बोलने भी नहीं दिया जाता, जिनके बोलते घड़ी का कांटा हिल जाता है पर बन्द नहीं होते बोलने से । तो ग्रान्ट इन–एड के मामले में ऐसा होता है....

श्री सोहनलाल भटनागर : एज्युकेशन की डिमान्ड पर इस बारे में डिस्कस हो चुका है, नियमानुसार दुबारा उसी को रिपीट नहीं कर सकते ।

श्री जनार्दनराय नागर : गये साल की ग्रान्ट थोड़ी दी जाती है । एड के अनुसार वे खर्च करते हैं और वह साल के अन्त में मिलती है, नियमों के अनुसार मिलती है और अगर खर्चा कम हो तो कट जाती है । तो सवाल यह आता है कि साल के एण्ड में कहा जाता है कि आपको इतना कम मिलेगा; साल भर तो खर्च किया और बाद में कहते हैं कम मिलेगा । हर साल समय पर अगर मिल जावे तो संस्थाओं को सहूलियत हो सकती है । पर साल भर तक एड मुकर्रर नहीं करने से सैकड़ों संस्थाओं को टोर्चर होता है । आखिर एक टाइम से क्यों नहीं स्थिर किया जाता है ? पहले बातें हो चुकी हैं, सर्कूलर जा चुके हैं । सख्ती से कह सकते हैं वे हमें, पर शिक्षा विभाग स्वयं समय पर क्यों नहीं ग्रान्ट इन एड फिक्स करता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री, शिक्षा) : इस पर काफी विस्तार से पहले बहस हो चुकी है । दुबारा उनका दोहराया जाना रूल के भी विपरीत होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Let me have an opportunity to guide the debate over this Bill in the right of rule 154 of our Rules of Procedure. The debate should be restricted to the administrative policy or matters of public importance which have not been covered by or raised during the discussion of demands for grants. The points which have been discussed and placed on the floor of the House should not be repeated. This is my observation under rule 154. So I hope the Hon'ble members will adhere to the rule.

श्री जनार्दनराय नागर : Sir, I was not repeating what I said in the cut motions. I was drawing the attention of the Government to the fact that the Government is not deciding the quantum of grant-in-aid in proper time. It decides in the month of March and in the end.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, will proceed.

श्री जनार्दनराय नागर : I have nothing more to say. I only feel that these are very important matters which I must place before the House,

(श्री जनार्दनराय नागर)

and I hope the Government will give their attention to these and see that the things are done more quickly.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसे मुद्दे यहां रखना चाहता हूँ कि जिन पर विचार करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारा दायरा सोचने का यह है कि हम अपने समाजवादी समाज रचना के लक्ष्य पर कैसे पहुँचें ? तो हमें नीति सम्बन्धी यह प्रश्न ध्यान में रखना चाहिये कि जो बजट आ रहा है वह छाई हुई समाज को विषमता को दूर करने में कौन कौन से नये प्रयत्न करता है। समाज कल्याण के हित में उसके विकास में कौनसे कदम उठाते हैं, क्या नया परिवर्तन करते हैं, इस पर अधिकांश लोगों का ख्याल रहता है।

मैं यह समझता हूँ कि हर सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, कि वह राज्य की जनता को कम से कम उनके जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए, उनके जीने की सारी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे कि हर आदमी निश्चिन्त होकर अपनी बन्धी हुई कमाई से कम से कम शान्ति के साथ जी सके। आज जो सबसे बड़ा आर्थिक परिवर्तन हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि बराबर मंहगाई बढ़ती है, अनाज के दाम बढ़ते चले जाते हैं और इसके कारण टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं और इन्डेक्स नम्बर भी बढ़ता जाता है और इसके दूसरी ओर हम देखते हैं यह भी कि नये नये टैक्स भी बराबर बढ़ते चले जाते हैं केन्द्र की ओर से और राज्य की ओर से। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम एक राज्य सरकार का यह कर्तव्य जरूर होता है कि हम चाहे टैक्स लगायें या और किसी प्रकार का परिवर्तन करें, पर उस परिवर्तन से कम से कम एक साधारण नागरिक की जो प्राथमिक आवश्यकता है, जिससे वह जीता है उसमें ऐसा अन्तर नहीं आये जिससे कि उसका जीवन अशान्त हो जाये, तो यह दृष्टिकोण कम से कम होना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूँ, हमारा जैसा राज्य है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी कहते हैं और जैसा इसमें लिखा हुआ भी है कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और गिरी हुई आर्थिक स्थिति होने के कारण यहां की जो पर व्यक्ति आमदनी है वह बहुत कम है। तो जब ऐसी स्थिति है तो राज्य में नागरिकों का जीवन-स्तर किस तरह से अच्छा रखना है और उसको किस प्रकार से बढ़ाना है, यह सोचना पड़ेगा। अगर हम एक ओर तो कहें कि वाकई स्थिति बहुत खराब है यहां की, पर व्यक्ति औसत आमदनी कम है और फिर उसके ऊपर आप टैक्सों का भार दें–अगर टैक्सों का भार भी आप दें तो कम से कम साधारण आदमियों के ऊपर उसका असर न पड़े, ऐसे टैक्स हों तो भी मैं मानूं कि आप नीति के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन आज आपकी यह नीति नहीं है। लेकिन मैं इस नीति की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ और कम से कम सरकार नीति ऐसी निर्धारित करे कि जिससे आने वाले व्यक्तियों के जीवन में शान्ति आये।

आज उसके लिए एक ही कदम हो सकता है। या तो राज्य सरकार की ओर से जो

(श्री मुरलीधर व्यास)

मनुष्यों के जोवन की साधारण आवश्यकताओं की चीजें हैं उनके भावों पर नियंत्रण हो, अगर यह नहीं हो सकता है तो दूसरा यह हो कि जो कर्मचारी हैं उनको एक निश्चित वेतन मिलना चाहिए और वेतन के साथ जब मंहगाई बढ़े और इन्डेक्स नम्बर बढ़े तो उनकी मंहगाई भी बढ़े तो इससे सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जायेगी, वह यह आयेगी कि क्योंकि कर्मचारियों को वेतन ज्यादा देना पड़ेगा तो कम से कम सरकार नियंत्रण रखेगी कि कम से कम मंहगाई नहीं हो और अगर मंहगाई बढ़ती है तो भावों के ऊपर नियंत्रण सरकार रखने का प्रयत्न करेगी। तो इस मूलभूत बात को सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिए और इसके आधार पर सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो परिस्थितियां हैं वेतन के सम्बन्ध में एक नया परिवर्तन करना चाहिए और वह यह करना चाहिए कि कम से कम हमारे यहां पर इतना वेतन हो और अधिक से अधिक की भी सीमा-निर्धारण होनी चाहिए। आज आप जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन में जाइये तो वहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के वेतन में अनुपात में बहुत कम अन्तर मिलेगा। वहां पर आपको १:३, १:४ या १:५ का ही अनुपात मिलेगा, इससे अधिक कहीं नहीं है। हमने समाजवाद को स्वीकार किया है....

श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा (किशनगढ़) : कौन कौन से देश में ऐसा अनुपात है वह बता दें?

श्री मुरलीधर व्यास : वेतन के अन्तर में जो विषमता है उसका अनुपात है। जैसे किसी को १०० मिलें तो दूसरे को ३०० मिलें, यह १:३ का अनुपात हो गया। यह नहीं हो कि एक आदमी को तो ३००० मिलें और दूसरे आदमी को ३० रुपये ही मिले, यह तो १०० गुना अन्तर हुआ। जब हमने समाजवाद को स्वीकार किया है तो इस अन्तर को कम करने के लिये एक नीति हमारी सरकार को बनानी पड़ेगी और इसके ऊपर राज्य सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं इस मूलभूत बात को हमेशा कहता हूँ कि हम किस प्रकार से इस अन्तर को कम कर सकते हैं....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : हिन्दुस्तान में तो वहां से कम अनुपात है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह तो देखा नहीं है कि वहां पर क्या अन्तर है। आप जर्मनी में चले जायें, स्वीडन और डेनमार्क में चले जायें वहां पर अनुपात में विषमता आपको बहुत कम मिलेगी। मैं खुद स्वीडन १६४६ में गया था और वहां पर १:३ का अनुपात है और वहां पर एक भंगिन की तनख्वाह भी प्रति दिन १२ क्राउन है और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी २० क्राउन है, कोई अन्तर नहीं है। इससे अन्दाज लगाना चाहिए कि एक समाजवादी देश की व्यवस्था में इसका कितना महत्व है जबकि एक क्राउन १४॥ आने का होता है....

श्री जनार्दन राय नागर : यहां पर चाय दो आने की मिलती है और वहां पर बीयर का पिंट एक डालर में मिलता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो यहां

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी बहुत बढ़ रहा हैं। हमने समाजवाद की नीति और उसके लक्ष्य को स्वीकार किया है तो उसके ऊपर अगर हम सोचें कि इस मामले में कहां तक जरूरी है तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं हैं और मेरा ख्याल तो यह बना है कि पिछले चार–पांच वर्षों में जो जो भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी की ओर से वेतन सम्बन्धी अनाउन्समेन्ट हुए हैं उनसे विषमता का अन्तर बढ़ा है, घटा नहीं है। जिसका वेतन ज्यादा था उसका वेतन और बढ़ा है और उस अनुपात में छोटे कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा है। इससे अन्तर बढ़ता जा रहा है और जिसको आगे सम्भालना मुश्किल हो जायेगा। इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार को कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए।

अब मैं दूसरे मुद्दों पर कहना चाहता हूं। अभी अभी इस बजट के दौरान में कुछ नवीन घोषणायें की गई। एक घोषणा इस प्रकार की की गई कि कमीश्नरी को हटा दिया जायेगा। मैं यह मानता हूं, ठीक बात है इसके ऊपर बहुत पहले से विचार चलता आ रहा था और प्रारम्भ से इसकी मांग हम करते थे कि इसके ऊपर हमारा फिजूल खर्चा है और यह चाहते थे कि कमी की जाये, लेकिन हमने देखा है कि बराबर दूसरे मुद्दों पर खर्चा बढ़ता गया। हमने बहुत से ऐसे अनावश्यक खर्चे बढ़ाये कि उनके ऊपर हमने ख्याल ही नहीं किया और क्योंकि यह पहले से बढ़ा हुआ था और जिसको ठीक नहीं समझते थे उसमें इस प्रकार का परिवर्तन लाये। इससे क्या होगा कि कमिश्नरी के हट जाने के बाद कुछ जोन्स हो जायेंगे और सब कमिश्नरीज एक साथ समाप्त नहीं होंगी। पर मैं चाहता हूं कि जहां जहां कमिश्नरीज हैं, बीकानेर के अन्दर आज भी कमिश्नर के पास न्याय के मसले हैं वे सारे केसेज अपील के लिए कमिश्नर के पास आते थे और वहां के आसपास के सारे केसेज की सुनवाई वही करता था और अब उसको हटा देंगे तो फिर आसपास के इतने लोग जिनको न्याय के लिए कमिश्नर के यहां आना होता है उनकी स्थिति क्या होगी, उसके ऊपर जरूर विचार करना है और सरकार जैसा मैंने सुना है कि जोन्स बनाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : जोन्स किसके ?

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ इस प्रकार की चर्चा थी कि कमिश्नर्स को हटाकर दो जोन्स में बांट देंगे। ऐसी चर्चा थी, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कहता। न्याय के मामले में सस्ता न्याय दिलाना है और किस किस को न्याय में असुविधा होती है तो उस पर थोड़ा सा सरकार विचार करे। कम से कम न्याय के लिए दूर नहीं भागना पड़े उसकी व्यवस्था किस प्रकार से सरकार कर सकती है उसके ऊपर विचार करे।

दूसरा, कुछ यह मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नई घोषणाएं भी हमारे यहां हुई हैं। ठीक बात है कि कृषि विश्वविद्यालय, युनिवर्सिटी कृषि के सम्बन्ध में कहीं खुलेगी, कहीं पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। युनिवर्सिटी कहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

पर खुलेगी इस प्रकार की नई घोषणाएं इस दर्म्यान में हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक बात है, जितना इस प्रकार का प्रबन्ध हो। परन्तु इस सारे मामले में, जहां कहीं भी खुले मुझे इस बात की खुशी है, किन्हीं योग्य आदमियों द्वारा जांच करवा ली जाय कि कौनसा स्थान किस बात के लिए उपयुक्त है। उस पर अच्छे जानकार आदमियों की कमेटी का कोई इस प्रकार का फैसला हो तो ज्यादा अच्छा हो। और उसके साथ साथ में यह भी सोचा जा रहा है कि एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है सदन में कहीं उदयपुर में खुलेगा। अच्छी बात है, पर थोड़ा सा ध्यान यह खींचना चाहता हूं कि एक ओर मेडिकल कॉलेज है दूसरा जो कि बीकानेर में खुला हुआ है उसकी क्या स्थिति है? उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहता हूं क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जहां छात्र आते हैं सारे साधन जो कि बिल्कुल आवश्यक हैं वे मिलने चाहिए। आज बीकानेर मेडिकल कॉलेज में जहां ३६ लेक्चरार्स का स्टॉफ होता है वहां पर केवल ११ ही हैं, और वह कमी लगातार महसूस की जा रही है, बराबर लिखा जा रहा है तो कहा यह जाता है कि हमको क्वालिफाइड आदमी मिलते नहीं हैं और इस कारण से ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक ओर तो यह स्थिति है और दूसरी ओर हम तीसरा मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। एक जो कॉलेज है खुला हुआ उसकी तो हम पूर्ति कर ही नहीं पाते हैं, और वहां पर बराबर स्टाफ की कमी होती है, पूरे साधन दे नहीं पाते हैं, लगातार जब मांगते हैं तो यही उत्तर मिलता है कि हिन्दुस्तान में नहीं मिलते हैं, तो तीसरा जब खोला जाता है तो पहले उसके लिए, जहां कि पहले खुला हुआ है उसका पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। नहीं होता है तो स्वाभाविक होता है समझना कि ठीक बात है कि कल तीसरा मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ होगा, यहां पर पूरे अच्छे योग्य आदमी नहीं हैं तो कॉलेज का क्या होगा? कल ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे लेक्चरार्स को वहां भेज दें जहां पर पूरा स्टाफ नहीं है। अक्सर ऐसी धारणा लगाते हैं कि आखिर उदयपुर तो है ही। माननीय मुख्य मन्त्री का है और इसलिए वहां पर तो पहले तो प्रबन्ध होना चाहिए। यहां के ऑफिसर यह सोच लें कि स्टाफ वहां पर पूरा नहीं है तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि राजस्थान में तीसरा मेडिकल कॉलेज हो, चौथा भी हो, परन्तु मैं यह जरूर चाहता हूं कि जब तक मेडिकल कॉलेज की जो आवश्यक सामग्री है वह पूरी नहीं होती है तो या तो उसको पूरा किया जाय और नहीं होती है तब तो हमको धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ताकि उस मामले के अन्दर बराबर सबको समुचित साधन दे सकें।

तीसरा मैं यह कहना चाहता हूं, खास कर के कृषि के सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ है कि विश्व विद्यालय कृषि का उदयपुर में खुलेगा, इस प्रकार की चर्चा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां कृषि के सम्बन्ध में कोई युनिवर्सिटी हो तो उसके लिए एक बाकायदा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से अच्छे जानकार लोगों की एक कमेटी हो जो सारे राजस्थान के अन्दर पहले भ्रमण करे और जांच करें और इसकी छानबीन करे कि कौनसा स्थान इसके लिए

(श्री मुरलीधर व्यास)

उपयुक्त है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसके लिए गंगानगर का इलाका ज्यादा उपयुक्त है, और उस इलाके में कहीं भी यदि इस प्रकार का विश्व विद्यालय खुलता है, वह ज्यादा किसानों के दृष्टिकोण से जो विश्व विद्यालय खुलता है उसके लिए जो आवश्यकता है, जो जो साधन हैं, उस तरह के साधन के लिए वहां पर सूरतगढ़ का फार्म है, दूसरा फार्म भी खुलने वाला है, और आधुनिक तरीके के साधन, किस प्रकार की सुविधा और किस प्रकार से विकास करना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त सामग्री उस क्षेत्र के अन्दर है, ऐसा मेरा ख्याल से है। अगर मैं गलत हूं तो इस मामले में कम से कम एक कमेटी बैठाकर इस सम्बन्ध में निर्णय होना चाहिए।

चौथा, मैं खास तौर से एक बात जरूर कहना चाहता हूं वह है पुलिस के सम्बन्ध में। पुलिस के अधिकारियों में जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को कम से कम पुलिस थाने में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मनमाने तरीके से पुलिस पर अधिकार रखते हैं, उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है। ऐसी घटनाएं अनेकों होती हैं। आज के जमाने में जिसमें महिलाएं जरूर इस प्रकार की हो गई हैं कि थाने में जाने का मतलब यह हो जाता है कि महिलाएं अपना सतीत्व, अपना चरित्र नहीं रख पाती हैं और खास तौर से उन क्षेत्रों के अन्दर जहां कि लोग ज्यादा शराब पीते हैं। हर इलाके में आप चले जाइये कि शराब पीने वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म ज्यादा होते हैं। अभी ९, १० मार्च का एक किस्सा है, जोधपुर में हुआ है कि मनरूपा नाम की मेघवाल के घर का एकाएक............

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर व्यास, मैंने अभी यह व्यवस्था दी थी वाद-विवाद के सम्बन्ध में कि कटमोशन के वाद-विवाद और इस बिल के कन्सीडरेशन के प्रश्न पर वाद विवाद में बड़ी भिन्नता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह भी कहा था कि जो डिमान्ड नहीं आई है उस पर बोल सकते हैं। वह पुलिस की डिमाण्ड नहीं आई है, इसलिए उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा मतलब यह नहीं था कि पर्सनल मैटर्स और माइनर डिटेल्स में ज्यादा जायं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि एक महिला, मनरूपा नाम की, के मकान पर रात्रि को दो बजे कुछ गुण्डे पहुँच गये और दरवाजा....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow these minor details. You will proceed with the matters of public importance or administrative policy.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक बात है कि जो कुछ गुण्डों ने बुरा कृत्य किया, लेकिन पुलिस के थाने में भी इस प्रकार से बुलायें और पुलिस अबला के साथ में बलात्कार करे, और यह घटना

Page No.75

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस प्रकार की है तो इस घटना को अच्छा नहीं समझता हूँ । मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह घटना जो कुछ भी हुई है अभी मार्च के महीने की बात है और सही है । आखिरी निर्णय चाहे कुछ भी हो, कम से कम यह आपका ख्याल खींचना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर कम से कम निष्पक्ष तरीके से जांच करके देखें कि ऐसी घटना किस अधिकारी ने की है । अगर की है बहुत बुरी बात है, चाहे वह पुलिस का अधिकारी सब-इन्सपेक्टर ही हो । मैं इस प्रकार के मामले का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि ऐसी घटनाएं अनेकों होती हैं । हमारे यहां जो डिप्टी सुप्रिटेन्डेन्ट हैं वे हमेशा शराब पिये रहते हैं, मनमाने तरीके से काम करते हैं । अभी धारीवालजी आये थे, ६ तारीख की बात है...

श्री उपाध्यक्ष : I think we are misusing the right of debate. I have pointed out more than once that we must restrict ourselves to the matters of administrative policy or public importance.

श्री मुरलीधर व्यास : एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में मैं यह चाहता हूँ कि शराब पीने वाले जो अधिकारी हैं, उनको पुलिस के महकमे में नहीं रखा जाय । इससे इतना बड़ा अन्याय होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है । यह सही बात है कि इससे दिन प्रति दिन अन्याय बढ़ रहा है....

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उनको कहां रखा जायगा ? शराब पीने वाले हैं उनको कहां बन्द रखा जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास : हो सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : There appears a conflict in between the Opposition benches on this point.

श्री मुरलीधर व्यास : जिनके हाथ में अधिकार देते हैं उनके लिए इसको बिल्कुल समाप्त किया जाय । कम से कम इस प्रकार की घटना है उसको रोकने के लिए आवश्यक हो जाता है । इसलिये इस मुद्दे को रखा है, चाहे माने या नहीं । आखिर इसको यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और इसलिए समाप्त करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर माननीय उपाध्यक्ष की ओर से संकेत है कि इसको चर्चा नहीं हो....

श्री उपाध्यक्ष : इसकी नहीं । ऐसे मुद्दों पर माइनर डिटेल्स का है । इसी चीज़ पर नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक दूसरी बात सदन में यह रखना चाहता हूँ, खास तोर से पेन्शनर्स के सम्बन्ध में । पेन्शनर्स के सम्बन्ध में एक पॉलिसी बनानी चाहिए । पुराने समय से जिन लोगों की पेन्शन है वह किसी की बहुत कम है । इस प्रकार से बेचारों के पास साधन नहीं हैं । किसी का बड़ा लड़का है अच्छा हो गया तो और बात है । जिनके पास साधन नहीं है, हम मंहगाई भत्ता सब कुछ दूसरों को देते हैं, अगर इनके लिए नहीं देते हैं तो कम से कम सोचना चाहिए कि एक तो पुरानी जो पेन्शनें हैं वे बहुत कम थीं । उनको रिवाइज़ करना चाहिए । मंहगाई

Page No.76

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी बढ़ी है। दूसरी सुविधाएं जिस प्रकार से दूसरों को देते हैं, मेडिकल फेसिलीटीज़ देते हैं वह कम से कम मिलनी चाहिए। हम जो एज्यूकेशन फेसिलिटी देते हैं, शिक्षा के संबंध में, यह उनको भी मिलनी चाहिये थी। कम से कम इस प्रकार के लोग जिन्होंने विशेष नौकरी की राज्य की या देश की वे सर्विस के लिये मारे मारे भटकते रहें और उनकी हालत खराब हो, कोई देखने वाला न हो और वृद्धावस्था में भटके तो मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर सरकार को ख्याल करना चाहिये। यदि कोई ऐसी स्थिति में हो जिसने हमारी रात-दिन सेवाएं की हैं हम उनको इन सारी बातों की सुविधाएं दे सकते हैं।

तीसरी बात, मैं इस ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हम कानून बनाते हैं, दूसरी बातें करते हैं लेकिन खास करके विधान सभा सेक्रेटेरियट के जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में सर्विस रूल्स नहीं हैं, प्रमोशन की सुविधाओं के लिये कानून नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मुझे ध्यान ही नहीं है, I will request the Hon'ble member that it is a privilege of the House not to discuss matters pertaining to the Legislative Assembly Secretariat and that has been pointed out many a time that this floor is not the proper place where we can discuss our own things pertaing to our Secretariat. Please refrain from this.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं उस तरीके से नहीं कहना चाहता....

श्री उपाध्यक्ष : Nothing about our Secretariat.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं समझता हूं, जो शब्द सेक्रेटेरियट के बारे में कहे हैं वे प्रोसिडिंग्ज़ में से हटा दिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष : I will see what has been uttered about it and then take proper action.

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य में कहीं पर भी काम करने वाले हैं उनके लिये सर्विस रूल्स होने चाहिये, चाहे उसमें यहां के लोग आते हैं चाहे दूसरी जगह के आते हों, इस बात को मैं प्लीड करता हूँ कि उनमें विषमता नहीं होनी चाहिये, यही कहना चाहता हूँ।

तीसरी बात यह है....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : अब तक तीसरी बात ही चल रही है, चाहे सतरहवीं हो गई हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो उनका तकिया कलाम है, don't be misguided.

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में एक पोलीटैक्निक इन्स्टिट्यूट खुला है, मुख्य मंत्रीजी की महरबानी से खुला है। लेकिन एक इन्स्टिट्यूट खुलता है तो उसके लिये साधारण आवश्यकता की जो चीजें हैं विकास के लिये, वे उसे पूरी मिलनी चाहिये। पोलीटैक्निक इन्स्टिट्यूट कोटा में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है, सब जगह एक से छात्र

(श्री मुरलीधर व्यास)

पड़ने आते हैं। एक स्थान पर तो २० लाख रुपये खर्च हो जाय, हर चीज का साधन उपलब्ध हो और दूसरी जगह चार या छः लाख रुपये ही खर्च हों तो मैं समझता हूँ शिक्षा के संबंध में भी आप एक सा सुलूक नहीं करना चाहते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : शिक्षा के बजट पर पूरे दिन भर बहस हुई थी, फिर यह पोलीटैक्निक कहां बाकी रह गया, उस दिन इस पर भी बहस हो सकती थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस मुद्दे पर इसलिये ध्यान खींचना चाहता हूँ कि बजट में भी कुछ ऐसी स्थिति है ....

श्री उपाध्यक्ष : जिस मुद्दे पर पहले सैद्धान्तिक तौर पर ध्यान खींचा जा चुका है, आया आपने खींचा है या दूसरे माननीय सदस्य के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है, तो पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके बारे में चर्चा ही नहीं की गई है इसलिये ध्यान खींचा है, किसी ने नहीं कहा इसलिये मैंने ध्यान खींचा है। मैं समझता हूँ मुख्य मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे ।

एक बात मैं रोड्स के संबंध में कहना चाहता हूं....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : कल ही तो यह मांग थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी थी, डिवीज़नल हैड क्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से लिंक करने के बारे में........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे महानुभाव यहां से बाहर जाने के बाद याद दिलाते होंगे कि यह बात कहना भूल गये इसलिये उन सारी बातों को इकट्ठा कर लाये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना कहना चाहता हूँ कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में डिवीज़नल हैड क्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जोड़ने का प्रावधान रखा था उसको पूरा करने में बीकानेर में कामयाब नहीं रहे, इसकी उपेक्षा रही है इसलिये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की उपेक्षित नीति नहीं होनी चाहिये। कहां तो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर को गांवों से मिलाने की बात की थी और कहां बीकानेर डिवीज़नल हैड क्वार्टर को भी रख दिया इसलिये मुख्य मंत्रीजी से और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस ओर ध्यान देंगे । इन लफ्जों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, १,३४,६६,५५,००० रु० का यह विनियोग विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है और यह हमारे तृतीय पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है ।....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह मान्यता है कि यह उचित समय है कि डिबेट को रेगुलेट करने के लिये टाइम फिक्स किया जाय, क्योंकि मुझे दिखता है कि कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि सदन की सम्मति हो

(श्री उपाध्यक्ष)

तो टाइम नियत किया जाय। क्या सदन की सम्मति है कि १५ मिनट का समय निर्धारित किया जाय ?

डॉ० बहादुरसिंह : १० मिनिट ही बहुत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, 15 minutes.

श्री नारायणसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह हमारी तृतीय पंच वर्षीय योजना का प्रथम बजट होता है और इस दृष्टि से भी कि भिन्न भिन्न प्रगति की रूप रेखा हो सकती है उसका मार्ग–दर्शक बनता है। लेकिन इस समय हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति की ओर दृष्टि डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ, इसके विस्तार में न जाकर इतना कहना चाहूँगा कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की प्रगति के केवल एक मूल तत्व को हम देख सकते हैं। हमारे अंकन के आधार पर. स्टेट के अंकन के आधार पर २४. २१ प्रति व्यक्ति डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर हुआ है और हमारे जो राज्यपाल महोदय ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं २५६ रु० से २७८ रु० प्रति व्यक्ति आय द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंत तक होगी। इस आधार पर १२ के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो हम इससे साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी प्रगति की धारा में जो खर्चा हुआ है वह प्रति व्यक्ति की आय से दुगुना होता है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मंत्री, वित्त): १२ नहीं है, २२ है। The difference is 22, not 12.

श्री नारायणसिंह : इस दृष्टि से मेरा यह अर्थ कहने का नहीं है कि खर्चा अधिक हुआ है और प्रति व्यक्ति आय यदि कम बढ़ी है तो इतने पैमाने में नहीं कि जो खर्चा हुआ वह पूरा ही उपयोग में नहीं आया, इसमें हमें यह भी देखना होगा कि कुछ केपिटल एक्स-पेन्डीचर हुआ है और कुछ मौलिक पूंजी का निर्माण हुआ है इसका प्रश्न अलग रह जाता है। इस विषय में निवेदन करता हुआ बजट की बहस के दौरान में प्रति व्यक्ति आय के बारे में कहा था और कुछ लोगों का अनुमान मेरी समझ में आया और कुछ अनुमान मैंने प्रति व्यक्ति आय में कमाई का छिद्र के प्रति इशारा किया था। मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उनको प्रस्तुत नहीं करना चाहता था। लेकिन जो मैंने प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का संकेत किया था वह प्राइसेज के फ्लक्चुएशन के आधार पर और टैक्सेशन का जो प्रावधान है, २ करोड़ से ऊपर लगाना चाहते हैं उसके आधार पर निवेदन किया था। उसमें हम ऐसे छिद्र नहीं आंकते जो प्रगति की धारा में कमी को बताते हों। प्रगति की धारा में कुछ कारणों से शिथिलता आ सकती है। उसमें भारत की प्रगतियों का प्रभाव है, स्थानीय प्रगतियों का प्रभाव है। इसलिये जो संतुलित आय चल रही है उससे हम यह नहीं कह सकते कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में खड्डा आता है तो वह इस बात का सांकेतिक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी प्रगति न्यून हो जायगी। मैं केवल उससे इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसमें हमें कई

(श्री नारायणसिंह)

प्रकार के रिसोर्सेज़ टटोलने पड़ेंगे, केपिटल असेट्स बनाने पड़ेंगे और केपिटल एक्सपेन्डीचर करने पड़ेंगे। उसको हम, जिस वक्त प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाते हैं, प्रति व्यक्ति आय के साथ नहीं जोड़ सकते और इसलिए डेवलपमेंट टेम्पो में प्रति व्यक्ति आय कम नजर आ सकती है, इसके साथ साथ प्राइसेज़ फ्लक्चुएशन उतना है नहीं। जहां डेवलपमेंट टेम्पो आगे बढ़ा है, तो निश्चय ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह आगे होना चाहिए। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के प्रति व्यक्ति आय के राज्यपाल महोदय ने आंकड़े रखे हैं, उनके आधार पर ८ प्रतिशत, ८½ प्रतिशत आगे आय बढ़ी है। तो उसके टेम्पो से यह अनुमान कर सकते हैं कि आगे के विकास में १६ प्रतिशत बढ़ जाय। उस दृष्टि से ७ प्रतिशत का खड्डा है, यह किस हद तक पूरा होगा, यह अभी नहीं कह सकते। लेकिन मैंने केवल मात्र शंका प्रस्तुत की थी कि इस ओर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस ओर विचार करते समय हमें वास्तव में हमारे बजट और रिसोर्सेज़ की पोजीशन देखनी होगी।

आज जो हम रेवेन्यू में एक्सपेन्डीचर करते हैं, जो रेवेन्यू में एक्सपेन्डीचर के आंकड़े होंगे, वे, बजट और रिसोर्सेज़ की पोजीशन, साधन की पोज़ीशन किस प्रकार बढ़ रही है, उसके द्योतक हो सकते हैं। हमारे यहां जहां प्रति व्यक्ति २४.५१ डेवलपमेंट का खर्चा हो रहा है, दूसरे राज्यों के अनुपात में हमारा रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर आता है, वह २६.५ प्रतिशत आता है और एक्सपेन्डीचर आउट साइड रेवेन्यू अकाउन्ट ७०.५ प्रतिशत आता है। इसका संतुलन यदि दूसरे राज्यों के साथ किया जाय तो सबसे उच्चतम जहां रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर का पर्सेन्टेज आता है, वह आसाम है, ६२.१ प्रतिशत वहां का रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर आता है, जहां रेवेन्यू के बाहर का ३७.६ प्रतिशत आता है। तो बजट में जो रेवेन्यू के बाहर का जो कुछ खर्चा है, या रेवेन्यू में विकास का जितना खर्चा है, उसके अन्दर सेन्टर की काफी एड होती है, उसका अनुदान होता है, लेकिन अधिकांश वह, जो रेवेन्यू के बाहर का खर्चा है, उसकी पूर्ति करने वाला होता है। इस दृष्टि से आज हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे प्रसाधनों को पूरी तरह से प्रगठित करने के लिए, उसको समपुष्ट बनाने के लिए आज हम रेवेन्यू का अनुदान, डेवलपमेंट अधिक बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और बढ़ाने की क्षमता को पैदा कर सकते हैं, तो वास्तव में हम हमारे रिसोर्सेज़ की पोज़ीशन उत्तम बनाते है। तो आज जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े प्रस्तुत किये, उसके हिसाब से मैं सब आंकड़ों, सब राज्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करना चाहता, समयाभाव से। लेकिन मेरी फैलावट के अनुसार हमारा राज्य रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में आठवां स्थान सब राज्यां में रखता है और इस दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम हमारे प्रसाधनों को और अधिक बढ़ावें। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लेखे में ही ८० करोड़ के हम स्वयं आय के साधन बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ किफायत भी आती है, कुछ उसके अन्दर स्टेट अन्डरटेकिंग का प्रश्न आता है, कुछ उसके अन्दर टैक्सेशन, रेवेन्यू इत्यादि ये सब प्रश्न आते हैं। तो आज जहां

(श्री नारायणसिंह)

हम टैक्सेशन का विचार करते हैं वहां हमें इस बात की ओर पहले देखना होगा कि हम जो टैक्स का प्रभाव प्रति व्यक्ति पर पटकें, वह इस प्रकार का है कि केवल जिसे टैक्सेशन का मूलभूत आधार बना लिया गया है, जिसे प्रतिमान बना लिया गया है आर्थिक दृष्टि से, उनको पूरा करने में न जुट जायं। आज ९ प्रतिशत टैक्सेशन होना चाहिए, उस दृष्टि से अगर ८ प्रतिशत हुआ है, यह डेढ़ प्रतिशत टैक्सेशन प्रति व्यक्ति बढ़े, इस दृष्टि से हम में यह हविश नहीं रहनी चाहिए कि जो १ या डेढ़ प्रतिशत की कमी रह गई है, उस टैक्सेशन को पूरा कर दें, बल्कि यह देखने की आवश्यकता है, यह तो मैं कहूंगा कि बेकार फेंकना हुआ, लेकिन उसमें देखने की आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार के खपतदारों पर टैक्सेशन का क्या असर हो रहा है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियों के संचालन में कितना योग दे रहे हैं, स्वस्थ अर्थ परम्परा में टैक्सेशन किस प्रकार योग दे रहे हैं। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि में कितनी सहायक हो रही है। इन सब बातों का ख्याल करेंगे। हम आर्थिक प्रतिमानों के आधार पर टैक्सेशन को नहीं जुटा सकते हैं। जब यह बात अपने पूर्व भाषण में कही, उससे कुछ लोगों का अनुमान हुआ, वह अनुमान गलत है कि मैं टैक्सेशन के विरुद्ध हूं। मैं तो यह कहता हूं कि आज २० करोड़ के टैक्स तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाने पड़ेंगे। अगर १.५ टैक्स प्रथम वर्ष में लगा कर रख देते हैं तो उसके अनुपात से बढ़ता हुआ टैक्सेशन पांच वर्ष में होगा, वह संतुलित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जिस जिस प्रकार विकास का खर्चा होता जायगा, उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जायगी। उसके अनुसार हम टैक्सेशन का प्रतिमान बढ़ाते जायेंगे। फिर भी १.५ से हिसाब से २० करोड़ के टैक्सेशन की ओर बढ़ते हैं तो यह उसका बीसवां हिस्सा होता है।

तो हमें टैक्सेशन में शंका करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उस दृष्टि से कुछ अपने आपको सहमाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल आज जो आवश्यकता है वह देखने की है और हमें देखना चाहिए कि जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं वे कहां तक विभिन्न प्रकार के खपतदारों पर कितना असर कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियों के संचालन में कितना योग दे रहे हैं, हम सामान्य विकास को धीरे धीरे अग्रसर करना चाहते हैं, उसमें वह कितना योगदान दे रहे हैं। तो मेरा खास मतलब उस समय यह था। मैं यह नहीं कहता कि हम २० करोड़ के टैक्स न लगायें। हमें हमारे रिसोर्सेज़ बढ़ाने होंगे। हम अपने रिसोर्सेज़ नहीं बढ़ा पायेंगे तो हम सदैव केन्द्र की तरफ झांकते रहेंगे कि केन्द्र हमें अनुदान देती रहे अथवा दूसरे साधनों से पैसा लेते रहें, हम पब्लिक डेट से लें और दूसरी बातों से लें। उसके साथ साथ कर का भी एक स्थान होगा। लेकिन इस बात की स्टडी पूरी होनी आवश्यक है और इसके विषय में तो गवर्नमेंट को एक कमीशन अथवा एक कमेटी नियुक्त करनी ही चाहिए कि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का प्रभाव है, उसका प्रभाव किस प्रकार बढ़ रहा है, छोटी इन्कम से लगा कर बड़ी इन्कम ग्रुप्स पर, और हमारे खपतदारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, जो स्वस्थ अर्थ-परम्परा हो सकती

(श्री नारायणसिंह)

है, उसमें कितना योगदान दे रहा है, विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में कितना योगदान दे रहा है। इस प्रकार विचार हमें करना होगा।

हम आज एक के बाद दूसरी विकास योजना बना कर प्रगति की तरफ चल पड़े हैं, लेकिन उन विकास योजना के कुछ मूलभूत सिद्धान्त हैं जिनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए वह है बजट की एक्यूरेसी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इन मूलभूत सिद्धांतों में मैं समयाभाव में अधिक नहीं जाना चाहता। सदन में काफी जिक्र हो रहा है। ३० लाख का जो अनुपूरक बजट बना, इसका अर्थ यह है कि हमारे बजट का अंकन कुछ शिथिल है, आउट लेज़ का वर्किंग भी उतने सही तौर पर नहीं है और इसलिए जैसा मैंने पहले अपने भाषण में कहा था कि हमने स्कीम्स को इकट्ठा कर लिया है, उनको इकट्ठा करने से ही उसके अन्दर जो डेवलपमेंट है, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने एक शब्द का उपयोग किया था, बड़ी हीं थलथल प्रकार की वह प्रगति हो रही है। इसके अलावा भी जो अंकन व्यवस्था हमारे यहां की है, वह जब काफी सुदृढ़ होने की तरफ जा रही है, मैं निवेदन करूंगा कि हम कृषि के आंकड़े बनाना चाहते हैं। जहां कृषि के आंकड़े लाना चाहते हैं, ऊपर की अंकन व्यवस्था ठीक हो सकती है, स्टेटिस्टिक्स ठीक हो सकते हैं, प्रति बीघा क्या उत्पादन हुआ, इसका प्रमाण केवल कुछ मूलाधारों पर ले लेते हैं कि सिंचाई की अमुक योजना हो गई, कुएं हो गये, इतना बीज दिया, इतना फर्टिलाइज़र दे दिया, इससे यह अन्दाजा लगा लें कि इतना उत्पादन बढ़ गया तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि कई फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे ये अनुमान गलत हो सकते हैं। मान लीजिये खाद का प्रयोग ही ठीक तरह से नहीं हुआ हो तो उससे प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय उल्टा घट सकता है।

बायोटिक प्रोडक्शन बहुत सुचारु ढंग से बढ़ सकता है, सोइल कन्जर्वेशन का सबसे पहले ख्याल रखना है। गिरदावरी हमारे यहां रब्ब गिरदावरी होती है। पर–अवर आउटपुट एक इन्डस्ट्री में कितना है, पर–अवर एक लेबरर कितना लेबर देता है, कितनी केपेसिटी में इन्डस्ट्री काम कर रही है, इसके अनुमान के लिये क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बड़ी खामी है, इसकी ओर हमें ध्यान देना है। इसके लिये सर्वेक्षण की कमी है। हमारी सरकार ने मेजर माइनर मिनरल्स के बारे में कुछ शोध की तरफ कदम उठाया है और इसके लिये मैं सरकार को बधाई दे सकता हूँ। Asbestos, Graphite, Garnate, Vermiculite, इनके विषय में काफी शोध चली है। पर यह भी चर्चा कर देना चाहता हूँ कि अजमेर के पास काफी मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्सप्लोइट किया जाय तो अजमेर में सेरामिक इन्डस्ट्री खोल सकते हैं, कुछ उद्योगपति इसके लिये उद्यत भी हैं, क्ले काफी तादाद में सेंदड़ा के पास उपलब्ध हो सकती है। क्वार्ट्स की खानें नसीराबाद के पास में हैं. हाई ग्रेड केल्शियम भी ब्यावर के पास में है। इसके लिये पॉवर और वाटर की आवश्यकता है। यदि इनको एक्सप्लोइट करके सेरामिक इन्डस्ट्री के लिये उद्योगपतियों को

(श्री नारायणसिंह)

मौका दें तो अजमेर के इलाके की बड़ी तरक्की हो सकती है। कुछ डिपोजिट्स मेगनेसाइट के ब्यावर के पास और सेंदड़ा के पास हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I think there must be some consideration of the bell.

श्री नारायणसिंह : मेसर्स ईश्वर इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, देहली इस बारे में उत्सुक हैं, उन्हें उत्साहित किया जाय। मेगनेसाइट की ब्रिक्स ब्यावर में बन सकती हैं, Zinc Smelter, Iron Ore Smelter and Low Shaft Furnace इत्यादि हो सके।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी में कुछ कह गया, बहुत काफी बाकी रह जाता है। मैं समझता हूँ, यदि हम अन्तर्व्यवस्था की तरफ, प्रशासन की तरफ, फाइनेन्शियल रूल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो काफी अच्छा काम हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : This is a resistance against the observations now. Yon will please conclude.

(विराम)

श्री तनसिंह

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस विनियोग विधेयक पर मैं आपका ध्यान केवल दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमने कितना रुपया खर्च कर दिया है और करते जा रहे हैं, पर बेकारी का निराकरण करना जरूरी है और इस दृष्टि से हमारे ये फीगर्स एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट के द्वारा प्रकाशित हुए हैं उनसे प्रतीत होता है कि बेकारों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है उसके मुकाबले में जो एम्पलोयमेंट मिल रहा है वह बहुत कम है। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में आंकड़े दिये गये थे, जो सूची मेरे पास है। ५७-५८ में ५८ हजार आदमी रजिस्टर्ड हुए, उनमें से केवल ८७०० आदमियों को नौकरी मिली और इन पर खर्चा हुआ १६५ हजार रुपया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज की जरूरत है, पर हमें कुछ वैज्ञानिक ढंग से इसका संचालन करना चाहिये। इस तरह ५८-५९ में २,४६,५५५ आदमी रजिस्टर्ड हुए उनमें से ४२ हजार आदमियों को नौकरी मिली। तो इसका मतलब हुआ कि रजिस्टर्ड में से केवल १८ प्रतिशत को नौकरी मिल सकी है और ६१८ हजार खर्च हुआ है तो इस हिसाब से पर केपिटा एक्सपेन्डीचर १४।।) रु० एक आदमी पर खर्च होता है। एक आदमी को नौकरी मिली है उसमें १४।।) रु० तो गवर्नमेंट की तरफ से गुरुदक्षिणा मिल जाती है तो इसको टोन अप किया जाय और कुछ ऐसे वैज्ञानिक सोल्यूशन्स निकाले जांय कि हमारी यह विकट समस्या हल हो सके।

(२.५७ म. प.)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

जो पेन्शनर्स हैं उनके सम्बन्ध में आज जो बात उठाई गई है, यह ऐसा मसला है जिस पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये, उनसे उपयोगिता ली जा सकती है, इस पर विचार करना चाहिये। जो रिटायर हो चुके हैं

(श्री तनसिंह)

उनको अनुभव है, जो हमें विरासत रूप में नहीं मिलता है। हम स्वयं अपना अनुभव प्राप्त करते हैं, पर जो रिटायर्ड हैं उनका अनुभव है उसे हम प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रबन्ध होना चाहिए। जो लोग रिटायर होते हैं तो उनकी गाड़ी एक दम पटरी से उतरी जाती है। आज एक आदमी रिटायर होता है तो उसके बच्चों को मेडिकल एड, एज्युकेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं वे सब बन्द हो जाती हैं, रिटायर होने के दूसरे दिन ही वे सब सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग हाइली पेड हैं उन पर तो उतना असर नहीं पड़ता, पर जो लोग छोटी तन्ख्वाह पाने वाले हैं, रिटायर होते ही इस प्रकार की सहूलियतें छिन जाने से उनको बड़ा धक्का लगता है। अतः मेरा निवेदन है कि इन लोगों को जो सुविधाएं सर्विस पीरियड में मिलती हैं वे ही पेन्शन पीरियड तक चालू रखनी चाहिये। पेन्शनर्स को इस प्रकार का फायदा दिया जाना चाहिये। उनको दुबारा नौकरी में लें तो यह झंझट पड़ता है कि नये लोगों को एम्पलोय करने में रोड़ा अटकता है, इनको फिर से काम पर लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है। आज बेकारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है।

यह एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स की ऑडिट रिपोर्ट यहां आज पेश हुई है। अगर यह पहले ही हमें दे दी जाती तो कई इर्रेग्युलेरिटीज़ के मामले हैं, उन पर बहस हो सकती थी। खैर मैं उन सब में न जाकर लेबर डिपार्टमेंट की इर्रेग्युलेरिटीज़ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ।

(३.०० म० प०)

हम जब खर्चा करते हैं या किसी प्रकार की स्कीम बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे फेज्ड प्रोग्राम जो हैं वे ढंग से नहीं चल कर कभी कभी चलते चलते बीच में रास्ता बदल देते हैं। जिसका भार एक्सचेकर पर पड़ता है और कितना भार एक्सचेकर पर पड़ता है इसका ध्यान नहीं देते। आप देखेंगे कि पेज १६ पर लेबर डिपार्टमेंट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक मकान की मरम्मत के लिये २ लाख ४० हजार इन्सटीट्यूट ट्रेनिंग के लिये व्यवस्था की। वह मकान ५६ वर्ष पुराना था और जो टैक्निकल एडवाइज़र थे उन्होंने कहा कि ५ लाख रुपया इस पर खर्च होगा, दो लाख ४० हजार और खर्चा ५ लाख का होगा। उन्होंने कहा कि ५ लाख में नया मकान बन सकता है। न मालूम इस मकान को क्यों खरीदना वाजिब समझा गया। यह कहा गया कि वह शहर का शहर में है। ऑडिट रिपोर्ट में इसका नाम नहीं दिया है कि किसका मकान था। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इसके लिये दो रीजन्स बताये गये कि दूसरा कोई मकान शहर में एवेलेबल नहीं था। दूसरा कारण यह बताया गया कि नया मकान बनाने में दो वर्ष लग जावेंगे। इसके अलावा एक अधिकारी रहता था वह १५५) रु. के मकान में रहता था। २५०) या २००) रु. दूसरे मकान में रहते थे उसका किराया लगता था। उसने खाली नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वह मकान दो वर्षों तक ऑक्युपाइड रहा और २५०) रु. देते रहे। दो वर्ष के बाद में मकान खाली होता है तो सरकार अब नया भवन बनाने का निर्णय लेती है। इसका नतीजा यह हुआ कि २ लाख ४० हजार का

(श्री तनसिंह)

इन्वेस्टमेंट किसी काम नहीं आया। २५०) हम उधर से बचा सकते थे वह भी हम बचा नहीं सके और न हम वहां पर रहने वाले ऑफिसर को ही निकाल सके। इस तरह से रेवेन्यू में काफी लीकेज होता है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़) : आय-व्ययक ६१–६२ का पास होने जा रहा है और इस विषय में जो भी कुछ बजट में बताया गया है उसमें बहुत कुछ संतोष का विषय है। लेकिन बहुत सी बातों से असंतोष भी है और इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो परम्परागत प्रथा के अनुसार राज्यपाल महोदय ने सरकार के कार्यों की सफलता और असफलताओं पर प्रकाश डाला और फिर वित्त मन्त्रीजी ने भी अपनी सफलताओं और असफलताओं पर वक्तव्य दिया है। मगर अब की बार जो वक्तव्य वित्त मन्त्री और राज्यपाल महोदय के हुए उनमें दोनों में दलित वर्ग की उपेक्षा की गई और कुछ ऐसी शंकाएं पैदा हुई हैं जिनको ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे विशेष बात यह है कि चार वर्ष इस सदन और विधान सभा को हो गये और पांचवां वर्ष शुरू हो रहा है लेकिन अभी तक भूमिहीन लोगों की समस्या हल नहीं की गई। इस बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब तक सरकार हरिजनों को भूमि दिलाने में असफल रही है और इसके अलावा जो समस्या भूमिहीन लोगों की सरकार के सामने है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिये बड़ा आश्चर्य है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि हरिजनों और भूमिहीनों के पास जमीनें हैं वे पट्टे पर हैं और दो चार या पांच बीघा हैं उनसे ज्यादा वे जमीन लेकर काश्त नहीं करते। हम हमेशा इस बात का गर्व करते रहे हैं कि सरकार की जमीन पर पब्लिक का ज्यादा हक है और सरकार चाहे तो हमें रियायत दे सकती है लेकिन हमेशा उल्टा ही होता आ रहा है। प्रतिक्षण उनको नोटिस दिया जाता है। पिछली बार उन गरीबों के लिये जो दिक्कत हुई थी उसके लिये सरकार से निवेदन किया गया और कुछ सभा–सम्मेलन किये गये तब कहीं जाकर उन लोगों को बेदखली के नोटिस सरकार ने बन्द किये। हुआ क्या कि जब हमने एक समस्या का हल निकाला तो आज यह हुआ है कि उन पट्टेदारों से कीमत वसूल की जा रही है। या तो जमीन छोड़ो या कीमत दो। एक एकड़ जमीन के ४५० रुपये रखे है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे हरिजन हैं जिनके पास खाने के लिये भी पैसा नहीं है। वे लोग तो दो–तीन बीघा जमीन जोतते हैं और अपना पेट पालते हैं तो वे लोग ४५० एकड़ के कैसे देंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिये। उन गरीब हरिजनों के पास देने के लिये पैसा नहीं है। आपने उनसे वादा किया कि भूमिहीनों को जमीन दी जावेगी, मगर आप

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

उनसे वायदा करने के बाद भी भूमि नहीं दे सकते तो यह वाजिब बात नहीं है। मुझे कई जगह के हरिजन आ आ कर कहते हैं, पटवारी आ कर कहते हैं कि या तो जमीन छोड़ो या कीमत दो। मैं समझता हूँ कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और लोक तन्त्रीय सरकार है और हम अपना यह अधिकार समझते हैं कि उन गरीबों को जीने का हक है और उन गरीबों से उनकी जमीन नहीं छीनी जानी चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस सुरक्षित क्षेत्र से मैं आता हूँ, डबल सीट थी, उसके लिये सुनते हैं कि अब सिंगल सीट कॉन्स्टीट्यूएन्सी हो जावेगी जिस इलाके में ऐसे पुरुषार्थी भाई हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसमें वे ज्यादा भाई हैं जो मजबूरियों के कारण यहां पर आए हुए हैं। ऐसे राजपूत आदि भी हैं उनको मैं गरीब मानता हूँ। मैं इसलिये उनको गरीब मानता हूँ कि जिस समय पाकिस्तान से भाग कर आये उस समय उनको १० एकड़ भूमि देने को कहा था। १० एकड़ जमीन उन लोगों के लिये जो अपना घर बार छोड़ कर और अपनी सब मिलकियत लुटा कर आवें और ऐसे मुल्क में आवें जहां उनकी बोली और भाषा नहीं मिलती, कोई ज्यादा नहीं। उनको इस एरिया में बसाया गया। आज उनको, १० एकड़ पर बसने वालों को सरकार ने कोई कर्जा दिया है तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने उन पर कोई अहसान नहीं किया है। आज १३ वर्षों के या १० वर्षों के बाद....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह पोइन्ट एक बार नहीं कई बार आ चुका है और डिस्कस किया गया है और आपको भू-राजस्व की मांग पर भी कटौती के प्रस्तावों द्वारा इस पर बहस करने व अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार थे।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूँ कि मुझे उस समय बोलने का मौका नहीं मिला। मगर कल जो विशाल प्रदर्शन हुआ और सरकार के सामने यह मामला विचाराधीन है, मैं समझता हूं कि सरकार इसका कोई न कोई जरूर हल निकालेगी और इस समस्या का समाधान करेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि सरकार ने जो विकेन्द्रीकरण किया है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये कुछ रिज़र्वेशन रखा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके लिये ध्यान देना चाहिये। और जो रिज़र्वेशन रखा है वह शिड्यूल्ड कास्ट वालों को मिलना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायतें बनती हैं, उनमें जो सरपंच आते हैं वे ज्यादा योग्यता के नहीं होते। मैं तो यह समझता था कि सरपंच बड़ी योग्यता के लोग होंगे और ऐसे होने चाहिये जिनकी काफी योग्यता हो, लेकिन देखने में आता है कि ऐसे सरपंच आते हैं जिनको योग्यता हरिजनों के बराबर नहीं होती। मैं तो समझता था कि हरिजनों में योग्यता नहीं होने से सरपंच नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ऐसे २ सरपंच आये हैं जिनके मुकाबले में हरिजन कहीं बढ़िया हैं, चूंकि वह हरिजन है इसलिए लोग उसको पसन्द नहीं करते। मैं समझता हूं एक पंचायत समिति है, खास कर निवेदन करना चाहता हूं

Page No.86

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में दो पंचायत समितियां हैं, कीचून में ४४ ग्राम पंचायतें हैं और लक्ष्मणगढ़ में ५५ हैं। उनमें सरपंच के लिए कोई रिज़र्वेशन नहीं है। होना चाहिये। इसको भी छोड़ दें तो पंचायत समिति कानून में यह व्यवस्था की है कि अगर सरपंच चुन कर न आवे तो एक हरिजन पंच उसका मेम्बर होगा। पहले ग्राम पंचायतें थीं और ४४ मेम्बर्स में एक हरिजन लेने की बात थी। गवर्नर साहब का एक ऑर्डिनेन्स हुआ कि दो पंच पंचायत समिति में लेने चाहिये। सरकार ने यह महसूस किया कि पंचायत समिति में एक हरिजन मेम्बर कम होता है इसलिए दो होने चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४४ सरपंचों के बीच में यदि एक हरिजन ही मेम्बर होता है तो फिर २ हरिजन ही क्यों रखें ? या तो अधिक रखना चाहिये, नहीं तो एक ही रहने देते, उसमें क्या तुक है ? यदि आप देना चाहें तो हिसाब से दीजिये। जहां ४४ सरपंच पंचायत समिति में बैठते हैं वहां पर २ हरिजन ही क्यों रखें, अधिक रखने चाहिये। कम से कम अनुपात तो होना चाहिये। म्युनिसिपेलिटीज़ में भी चुनाव व्यवस्था की है। उसमें सरकार ने इस बात को मान लिया है जि पर्सेन्टेज के हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स होने चाहिये। जितनी आबादी है उनकी उस हिसाब से उनका रिजर्वेशन होना चाहिये। इसलिए यहां भी यह जरूरी हो जाता है कि जहां ४४ सरपंच पंचायत समिति में बैठते हैं वहां दो हरिजन ही क्यों हों, वहां भी अधिक होने चाहिये, इसलिए इसमें सरकार को संशोधन करना चाहिये।

न्याय पंचायतों के लिए भी सरकार ने कानून बनाया, संशोधन भी किया। जब यह हुआ तो मेरे दिमाग में यह था कि केवल लिखे—पढ़े ही वहां पत मेम्बर आवेंगे तो हरिजन नहीं आ सकेंगे। लेकिन में दावे के साथ कह सकता हूं कि चेयरमैन भी ऐसे लोग हैं जिनसे हरिजन ही अच्छे हैं। उनमें हरिजन कोई नहीं है। जब चुनावों के द्वारा न्याय पंचायत में मेम्बर और चेयरमैन आते हैं तो फिर क्या वजह है कि हरिजनों को उनमें क्यों न लाया जाय ? इस बात को लेकर आज हरिजनों में असंतोष है। चुनाव से जब न्याय पंचायतों का गठन होता है तो फिर कोई वजह नही है कि उनमें हरिजनों को न लिया जाय। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कानून में इसके लिए संशोधन करना चाहिये और हरिजनों को भी उनमें आने का अधिकार मिलना चाहिये।

चूंकि यह अन्तिम वर्ष है, शायद सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। समाज कल्याण विभाग एक सिरदर्द बना हुआ है। वहां पर स्टाफ में कोई कमी नहीं है। वहां पर डाइरेक्टर हैं, डिप्टी डाइरेक्टर हैं, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स हैं, और अब तो सोशियल वेलफेयर ऑफिसर्स हो गये हैं, इन्सपेक्टर्स हैं। काफी उनके पास स्टाफ है। फोर्थ क्लास के लोग भी हैं। लेकिन उन सब के पास काम कुछ नहीं है। आप इसकी इन्क्वायरी करा लीजिये। आपको अच्छी तरह से मालूम हो जायगा कि कोई उनके पास विशेष काम नहीं है। अलवर में कल-परसों ही मिल कर आ रहा हूँ। पिछले साल मैंने यह मांग की थी कि समाज कल्याण

Page No.87

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनने चाहिये और उनको अधिकार होना चाहिये कि हरिजनों के जो काम हैं वे डिस्ट्रिक्ट में ही समाप्त हो जाया करें और उनको पॉवर्स होनी चाहिये ताकि कागज सरकार के पास जयपुर में न आवें। पूरा स्टाफ सोशियल वेलफेयर ऑफिसर्स के पास है। स्कोलरशिप के मामले में ही लड़कों से मालूम हुआ कि फॉर्म्स भर कर भेज दिये गये हैं लेकिन उनको अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। मैंने इसके लिए सोशियल वेलफेयर के दफ्तर में पूछा तो मुझे यह जवाब दिया गया कि आप इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स से पूछिये। मैं इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास गया। उनसे पूछा, उन्होंने कन्सर्न्ड क्लर्क को बुलाया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग यह क्यों नहीं करता है जब कि उनके पास पूरा का पूरा स्टाफ है, हमारे पास कई काम हैं, शिक्षा का है, समाज कल्याण का भी है। पूरा स्टाफ भी नहीं है। हम कहां से बांटे, हमारे पास इसकी पूरी व्यवस्था नहीं है। समय मिलेगा जब बांट दी जावेंगी। डिस्ट्रिक्ट सोशियल वेलफेयर ऑफिसर है, इन्स्पेक्टर है पूरा स्टाफ उनके पास है, दिन भर वे लोग बैठे रहते हैं जब कि शिक्षा विभाग का एक क्लर्क है, दूसरा काम भी वह करें, स्कोलरशिप भी वह बांटे, बिल बनाये, रकम ड्रॉ करे। इसलिए यह वाजिब बात है और सरकार को इस ओर विचार करना चाहिये। स्कोलरशिप बांटने जैसा काम भी यदि समाज कल्याण विभाग समय पर नहीं कर सकता है तो फिर क्या काम है? उनके पास अधिक काम नहीं है। हरिजनों के कुएं आदि बनाने के लिए और सहायता के काम उनके पास होने चाहिये और इसके लिए समाज कल्याण विभाग के ऑफिसर की जिम्मेदारी होनी चाहिये।

जमीनों के बारे में हमेशा एक बात निवेदन करता रहा हूँ। सरकार के पास कस्टोडियन प्रोपर्टी है। सरकार की कुछ कठिनाई होगी। पैसा ज्यादा इकट्ठा करने का सरकार का लालच होगा, बिना उसके काम नहीं चलता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी कस्टोडियन प्रोपर्टी है वह पैसे वालों ने ही खरीदी है, हरिजनों को नहीं मिल सकी है। मेरे पास भी जमीन नहीं है रहने के लिए और मेरे जैसे आदमियों की भी हिम्मत नहीं है कि वे उनको खरीद सकें। जिन लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं है वह जमीन की पूर्ति कैसे कर सकेगा? सरकार का तो नीलाम का तरीका है। जो बोली लगाते हैं खरीदते हैं। सरकार ने हरिजनों के लिए कोई इसकी व्यवस्था नहीं की है। हरिजन मोहल्लों में और खास कर आसपास में जो जमीनें हैं उनके लिए भी यह स्थिति है। पंचायत समिति का काम हो सकता है। लेकिन हरिजनों को इसके लिए कोई रियायत मिलनी चाहिये और सरकार को इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिये। बोली लगती है और दो हजार, दस हजार टुकड़े नीलाम हो जाते हैं। गांवों में कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन की तंगी के कारण जमीन लेना चाहते हैं। कागज इधर-उधर फिरते रहते हैं लेकिन बसने के लिए उनको जमीन नहीं मिलती। इसलिए इसकी कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिये। तहसीलदार को इसके लिए अधिकार दे दिये जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको इसके लिए पाबन्द किया जाय। पंचायतों में अधिक झगड़े आते हैं।

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

समाज कल्याण विभाग की सहायता की बात आती है। (७५०) एक घर को देते हैं। अलवर में चार साल हो गये, एक भी चमार, मेहतर का घर नहीं बना। लोग बनाना चाहते हैं, सहायता मिलती नहीं और आज तक घर उनका नहीं बन पाया। कहा जाय कि जमीनें नहीं मिलती हैं। इन्डिविजुअल को, जो मकान बनाना चाहता है, उसको यह दे देना चाहिये। कर्ज देने की व्यवस्था है। पंचायत समिति में इस तरह की रकम आयी है। इन्डिविजुअल को दे दी जावेगी। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। प्लॉट्स बनाये जा रहे हैं तो उनमें हरिजनों को मौका देना चाहिये। मैंने सुना है कि अलवर में ८०० प्लॉट्स फिक्स्ड रेट पर अलॉट होंगे। उनमें गरीब लोगों को रियायतें देनी चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैंने जो कुछ बातें कहीं हैं सरकार उनकी ओर ध्यान देगी। समय हो गया है, इसलिए मैं यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय चेयरमेन, मैं दो–तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो एफीशियेन्सी की कमी है, कुछ अधिकारीगण के दृष्टिकोण में एक प्रकार से मतभेद रहता है और कुछ अधिकारी गड़गड़ करते हैं जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां हैं, उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

डेमोक्रेसी के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दो तरह के तत्व काम करते हैं, एक तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और दूसरे परमानेन्ट ऑफिसर्स चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा परमानेन्ट स्टाफ होता है उसका बड़ा महत्व होता है, इसीलिए अच्छा और ट्रेन्ड स्टाफ रखा जाता है। उसमें भी हम कमियां देखते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक ज्वलन्त उदाहरण दूंगा। हम देखते हैं कि सेक्रेटेरियट के अधिकारियों के बीच और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के बीच मतभेद रहता है और कोई ऐसा डिपार्टमेन्ट नहीं जिसमें हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के डाइरेक्टर, कमीश्नर आदि जितने भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि जिस किसी भी स्कीम को वे सेक्रेटेरिएट भेज देते हैं वहां से वह समय पर नहीं निकलती। इतना ही नहीं डिपार्टमेन्ट के हैड जो भी रिकमन्ड करके भेजते हैं जो दस-दस साल के अनुभवी लोग होते हैं उनके प्रोपोजल्स की स्क्रूटिनी करता है एक क्लर्क यह उन हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स की शिकायत है। चेयरमैन महोदय, इससे उनमें बहुत असंतोष है। डिपार्टमेन्टल हैड्स इतने योग्य होते हुए भी उनके द्वारा भेजी हुई स्कीम्स असिस्टेन्ट सेक्रेटरी द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है जिसको कुछ भी अनुभव नहीं होता है, वह भी उस स्कीम के बारे में लिख देता है कि यह स्कीम नाकामयाब है। एक तरफ तो आर० ए० एस० के अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बनते हैं, रेवेन्यू में एस० डी० ओ०, कमी–

(श्री मोतीलाल)

श्नर्स आदि होते हैं इन हैड ऑफ दी डिपार्ट-मेन्ट्स द्वारा भेजे हुए प्रोपोज़ल्स को डिपार्टमेंट का असिस्टेन्ट सेक्रेटरी रोक लगा देता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो डेवलपमेन्ट स्कीम्स हैं जिनको लेकर आजकल बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है; असिस्टेन्ट सेक्रेटरी का तो इतना ही काम होना चाहिये कि अपने सेक्रेटरी या केबिनेट द्वारा जो कुछ भी निर्णय हों उनको हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पास पहुंचाना। वह किसी भी डेवलपमेंट के काम में या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई स्कीम्स में रुकावट नहीं कर सकता। प्लानिंग से सम्बन्धित जितने भी काम हैं उनकी सेंक्शन नीचे से होती हुई सेक्रेटरी तक पहुँचती है, मेरे मत से ऐसा न किया जाकर सीधा ही हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट का कागज सेक्रेटरी के पास जाना चाहिये। उस पर फाइनल ऑर्डर हो जाने के बाद एक्ज़ीक्यूट होने चाहिये।

शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली ग्रान्ट-इन-एड के ही सवाल को ले लीजिए। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट जो रिकमन्ड करते हैं वह १२ महीने तक सेक्रेटेरिएट में पड़ा रहता है और आखिर मार्च की तारीख २३ और २४ को फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट द्वारा लौट कर आते हैं। फाइनेन्स डिपार्टमेंट के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी उसी आधार पर काम करते हैं जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट रिकमन्ड करता है, उसमें से फिफ्टी–सिक्स्टी पर्सेन्ट कट कर दिया जाता है। बहुत सी संस्थायें जो साल भर तक उसी आधार पर काम करती रहती हैं, उतना ही खर्च कर देती है, लेकिन जब सरकार से मदद लेने का सवाल आता है तो उसमें से आधा कट कर दिया जाता है। एक तरफ जो प्राइवेट कॉलेजेज़ या संस्थायें चलाते हैं उनको ग्रान्ट-इन-एड मिलनी चाहिये उसके लिए डिपार्टमेन्टल हैड्स रिकमन्ड करके भेजते हैं, और उसके बाद फाइनेन्स में जाकर लास्ट मन्थ, मार्च तक, आधा कट होकर आ जाता है, वैसी हालत में जहां पचास हजार की आवश्यकता है वहां यदि पच्चीस हजार ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, वैसी हालत में यह निश्चित है कि दूसरी साल वह संस्था या तो बन्द हो जायगी या दिवालिया हो जायगी और आखिर नतीजा इसका क्या होता है, सरकार को उन कॉलेजेज़ को अपने अधीन लेना पड़ता है और उसको सरकार द्वारा लेने से और अधिक खर्चा आता है। इस दृष्टिकोण से मेरा निवेदन है कि जहां हमारे हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्टस काफी अनुभवी हैं और अनुभव के आधार पर अपने दृष्टिकोण को सरकार के सामने रखते हैं लेकिन उसकी स्क्रुटिनी एक यू०डी०सी० या असिस्टेन्ट सेक्रेटरी करता है और इस तरह से वह काफी अर्से तक तो कागजों को अपने पास ही पड़ा रखता है और उसके बाद में छः महीने बाद में उसकी अलमारी से वह आगे चलता है। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने भी डिपार्टमेन्टस के हैड्स हैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सभी हैडस ऑफ दी डिपार्टमेन्टस को इस बात की शिकायत है कि उनके द्वारा भेजे गये प्रोपोज़ल्स या स्कीम्स पर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बैठ जाते हैं या अपर डिवीजन क्लर्क्स बैठ जाते हैं। यह एक तरह से बड़ा गंभीर वातावरण है, एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव आगे जाकर

(श्री मोतीलाल)

बहुत बुरा पड़ता है ।

इस मामले के अन्तर्गत मैं डिसेन्ट्रलाइज़ेशन की बात भी अर्ज करना चाहता हूँ । इससे हमारा मकसद था कि जनता के हरेक काम में हाथ बंटावें और वे संस्थायें डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स बनें । इसी आधार पर हमने पंचायत समिति और जिला परिषदों का निर्माण किया इन पर कन्ट्रोल करने के लिए, तो हमने एक संस्था का निर्माण किया है । केबीनेट पर कन्ट्रोल असेम्बली का रहता है । पंचायतों पर कन्ट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं बनायी है, पंच सरपंच जो भी एक्शन करता है उस पर किसी प्रकार का चैक नहीं है, उस पर कन्ट्रोल करने वाली कोई बॉडी नहीं है । एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाब बनाना, उसकी खामियों को प्रदर्शित करना, यह असेम्बली का काम है । हमने पंचायतों को गाइड करने के लिए पंचायत समिति का निर्माण किया है लेकिन जो सब कमिटीज़ द्वारा फैसला होता है उस पर ग्राम पंचायत समिति कुछ नहीं कर सकती। अभी अभी हमने कानून पास किया है उसमें हमने स्टैंडिंग कमिटी के बारे में निर्णय लिया है, उसके द्वारा लिये गये फैसलों को पंचायत समिति चेन्ज कर सकती है । लेकिन पंचायतों के पंच या सरपंच कोई फैसला करते हैं उनके निर्णय को चेन्ज करने वाली कोई लेजिस्लेचर के समान बॉडी नहीं है । ग्राम सभा को यह अधिकार होना चाहिये, वह चाहे तो महीने में एक बार मिल कर या तीन महीने बाद पंचों और सरपंच द्वारा किये गए निर्णयों में चेन्ज कर सकते हैं, इस प्रकार का अधिकार होना चाहिये ।

इसके अलावा मेरा निश्चित सुझाव है नीति के दृष्टिकोण से । जहां हमारी यह सेकुलर स्टेट है वहां हमें किसी धर्म को सरकारी तौर पर प्रोत्साहन देना नहीं चाहिये । जितने ही मन्दिर और मस्जिद हैं उन पर सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखना चाहिये । मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने मन्दिर के पुजारियों के लिए कहा कि उनको मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये । चेयरमैन महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मन्दिर या मस्जिद पर सरकार का कन्ट्रोल होता है तो वह इस धर्म–निरपेक्ष राज्य में उचित नहीं है । आज हम देखते हैं कि देवस्थान विभाग के पास जितने भी मन्दिर हैं उनमें भी हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता है । हमारी सेकुलर स्टेट होने से यह होना चाहिए कि कोई भी मन्दिर सरकार का नहीं होना चाहिये । अगर किसी समाज या ट्रस्ट द्वारा वे चलाये जाते हों और उनमें किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो सरकार उस पर कन्ट्रोल रख सकती है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से सरकार को कोई मन्दिर या मस्जिद अपने अधिकार में नहीं रखना चाहिये । आज देवस्थान विभाग सरकार का चलता है, उसमें कुछ मन्दिर हैं उन मन्दिरों में हरिजन प्रवेश नहीं है, यह बहुत ही आपत्तिजनक लगता है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): किसने मना किया है ?

श्री मोतीलाल : मना करने की बात नहीं है, लेकिन समाज की एक प्रकार से जो व्यवस्था बन गई है उसके कारण उनका

श्री मोतीलाल)

प्रवेश वे नहीं करने देते। मना किसी ने नहीं किया, लेकिन समाज की ही व्यवस्था इस प्रकार की है।

एक सदस्य ने कहा कि कौन मना करता। मैं कहता हूँ हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि जिसने मना किया। अपने आप आकर्षण हो उनको, ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये। कुछ मेले होते हैं; रामदेवजी, तेजाजी के। परबतसर के मेले में दस हजार रुपये सरकार इकट्ठा करती है। पिछले चालीस सालों से मेला भरता है, पर रामदेव जी का मन्दिर वहां नहीं बना। वहां चढ़ावा होता है उस चढ़ावे की इन्कम से गवर्नमेंट चलावेंगे हम ? मैं इसको आज के धर्म निरपेक्ष राज्य में ठीक नहीं मानता। हमें इनके लिये ट्रस्ट बनाकर उनका प्रबन्ध करवाना चाहिये, जिनको देवताओं और धर्म के प्रति विश्वास हो उनका ट्रस्ट बनाना चाहिये। ऐसी स्थिति में हमारी नीति यह होनी चाहिये कि हम मन्दिर–मस्जिद पर कन्ट्रोल नहीं करें। ओटोनोमस बोर्ड बनाकर उनको सौंप देना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर–सु०) : थोड़ा थोड़ा समय सबको दिया

श्री सभापति : इसकी व्यवस्था पहले दी जा चुकी है। १५ मिनट का समय निर्धारित किया जा चुका है। अब मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसमें परिवर्तन कर सकूं। इतना मैं निवेदन करूंगा ?....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : You can curtail ..

श्री सभापति (जारी): कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये समय का ध्यान रखते हुए जल्दी अपना विचार रख दें।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : पांच–पांच मिनट सबको देंगे तो अच्छा होगा।

श्री मोतीलाल : डिस्टर्ब न करें। सबको मौका मिल जावेगा। मैं पांच मिनट में समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : You have already taken twelve minutes.

श्री मोतीलाल : एक ओटोनोमस बोर्ड बनाना चाहिये इसके लिये और फेमीन के लिये भी। फेमीन के सम्बन्ध में देखते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से इसका फायदा उठाया जाता है। इस पोलिटिक्स से इस 'फेमीन' वर्ड के साथ इतना अन्याय होता है कि जहां फेमीन नहीं होता वहां फेमीन का पैसा खर्च करके काम हो जाता है और जहां वास्तविक रूप से फेमीन है वहां काम नहीं होता। इसलिये चाहूँगा कि इसके लिये भी एक ओटोनोमस बोर्ड बने। इसमें सदन के सम्बन्धित क्षेत्र के सदस्य, सरपंच, प्रधान, प्रमुख और जिले का कलेक्टर इत्यादि ऐसे मेम्बर हो सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

इसके बाद मैं बार बार कहता हूँ ग्रामीण

(श्री मोतीलाल)

विद्युतीकरण की बात। इसके लिये कहा जाता है, रुपया नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास। तो मैं इसके लिये सुझाव दूंगा कि उसे पब्लिक के लोन फ्लोट करने की इजाजत दी जावे। करोड़ों रुपया इसके लिये पब्लिक से लोन के रूप में मिल जावेगा और इससे यह स्कीम चालू कर सकेंगे आप बहुत आसानी से। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं इसका विरोध करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे पहले जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार धर्म–स्थानों पर मन्दिर हो या मस्जिद अपना कन्ट्रोल न रखे, अपने अधिकार में न रखे, मैं उनसे १६ आना सहमत होते हुए....

श्री सभापति : One minute please. अगर सदन की अनुमति हो तो १५ मिनट के स्थान पर कुछ कमी की जाकर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इतने थोड़े समय में कुछ कहा नहीं जा सकेगा।

श्री सभापति : Yes, please continue.

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां हमारे धार्मिक स्थानों पर सरकार को आधिपत्य नहीं करना चाहिये वहां यह दिखाई देता है कि हमारी सरकार और भी शिथिल है, जहां उसे धर्म-स्थानों की रक्षा के लिये कार्य करना चाहिये वहां उसकी ओर कोई भी समुचित कदम नहीं उठा रही है। यदि ध्यान देती तो आज बहुत अच्छा होता। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में एक सार्वजनिक स्थान है काकोनी। बहुत पुराना और बहुत अच्छा मन्दिर है। उसकी मूर्तियां इतनी अच्छी और सुन्दर बनी हैं कि सहज ही लोगों का उस ओर आकर्षण हो जाता है और भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला के बहुत उत्कृष्ट नमूने वे हैं। हमारी पुरातत्व की बहुत मूल्यावान् निधि है। पर आज उसकी कोई देखभाल नहीं है और लोग उन्हें ले जाकर मामूली पैसों में बाहर के लोगों के हाथ बेच रहे हैं। छबड़ा और छीपा बड़ौद की कोर्ट में इसके केस भी चल रहे हैं। इन मूर्तियों को विदेशी हजारों रुपया दे देकर खरीदते हैं। मैं पुरातत्व विभाग से भी मिला। पर उन्होंने कहा कि इसे हमने अपने संरक्षण में लिया ही नहीं। तो आपकी देख–भाल नहीं होने से वे आज यहां से चली जा रही हैं। स्वर्णकार है वह दिल्ली का। केस इसका चल रहा है उस पर।

तो मैं निवेदन करूं कि इस तरह जगह जगह से हमारी ये अमूल्य निधियां और मूर्तियां चोरी ही नहीं जा रही हैं, चोरी की घटनाएं ही नहीं हो रही हैं, बल्कि जगह जगह मूर्तियां तोड़ने की घटनाएं भी हो रही हैं और सरकार का इस ओर भी ध्यान नहीं है। मैं सरकार को इनकी जांच ही करने की बात नहीं कहता, मैं तो मूल मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि आखिर हमारे राजस्थान में भी इस प्रवृत्ति के पीछे क्या बैक ग्राउन्ड है? हमारे समाज में एक ऐसा तबका है जो मूर्ति–पूजा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

में विश्वास नहीं रखता, फिर भी यह एक तबका उनकी मूर्तियों का भंजन नहीं करता, और न उनको तोड़ने में विश्वास रखता है। मूर्तियों में विश्वास नहीं होते हुए भी वह तबका दूसरों की भावनाओं का आदर करता है। पर हमारे समाज में से ही ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं और जिसके कारण जगह जगह मूर्तियों के तोड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यह तत्व मूर्तियों को तोड़ने में ही विश्वास रखता है और दूसरे तबके की भावनाओं को आघात पहुंचाने में ही कुछ दिलचस्पी रखता है। जयपुर में गणेशजी की मूर्ति, रामनिवास बाग में शिव–पार्वती की मूर्ति को उखाड़ने की घटना, बांसवाड़ा में शिव-पार्वती की मूर्ति को तोड़ने की घटना बराबर हमारे सामने हो रही हैं। लाखेरी में सीमेंट फैक्टरी, यहां बहुत पुराना मन्दिर था इस शिव मन्दिर को दूसरे धर्म के अन्दर मस्जिद के अन्दर टर्न कर लिया गया है। इस प्रकार की परिवर्तित स्थिति आज दिखाई देती है, तो हम इन घटनाओं की ओर देखते हुए इसके मूल में रही हुई भावना को देखें कि इसमें कौन सी चीज काम कर रही है। जब तक मूल भावना को हम राष्ट्रीय दृष्टि से नहीं देखेंगे....

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : भाषण यह किस टाइप का हो रहा है? बिल से सम्बन्ध रखता है क्या?

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो राजस्थान की नीति के मसले को बात है। हमें आखिर इस बारे में अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। घटनाओं की जांच करवा कर अमुक व्यक्ति को सजा दे दी जावे, इससे मसला हल नहीं होने वाला है। इस समाज में जो मूर्ति–पूजा करते हैं उनकी भावना का आदर करना पड़ेगा और जो नहीं करता है, उसकी भी भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। इसके लिये एक दूसरे के साथ लड़ाई–झगड़े की बातें हों, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें तो इसे हमें सम्यक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना होगा। पर मैं देख रहा हूँ, इस सम्यक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिये राजस्थान सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि मैं देखता हूँ इस प्रकार की एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति बाहर से आये हुए हैं काफी तादाद में। ये बिना पास पोर्ट पाकिस्तान से आते हैं और खुराफात करते हैं और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को उखाड़कर विस्फोट कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या पुलिस विभाग में लिखी हुई नहीं है। आश्चर्य से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की पुलिस की जो किताबें हैं, रजिस्टर हैं जिनमें वे ऐसे आने–जाने वालों की संख्या लिखते हैं, वे रजिस्टर उड़ा दिये जाते है। रामगंज थाने के दफ्तर में ऐसा १६५६ का रजिस्टर गायब है। कितने आये–गये, इसकी संख्या मिलती नहीं। वे बिना पासपोर्ट के रह रहे हैं। उनके द्वारा कितनी ही प्रकार की विस्फोटकारी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। तस्कर व्यापार के पीछे भी इस प्रकार के लोगों का हाथ है और इसके अन्दर केवल पुरुष वर्ग ही नहीं हैं बल्कि इसके अन्दर कितनी ही महिलाओं का हाथ है और यह सारा तस्कर व्यापार राजस्थान की राजधानी में होता है। यहां जो जवाहरात का व्यापार होता है वह रेल के द्वारा नहीं होता, मोटरों के द्वारा नहीं होता, बल्कि हवाई जहाजों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के द्वारा होता है। यहां से इस प्रकार के सारे जवाहरात दिल्ली जाते हैं और वहां पर रिसीव होकर लाहोर जाते हैं और इसके पीछे जो भी कार्य होने वाले हैं उसकी ओर देखने के लिए हमारी सरकार और राजस्थान सरकार का पुलिस विभाग ज्यादा जागरूक नजर नहीं आता और जो सारे तत्व यहां विद्यमान हैं वे हमें यहां देखने को मिलते हैं। हमारा पुलिस विभाग तो डाकुओं के साथ फोटोज़ खिंचवायेगा जो कि वास्तव में कभी डाकू नहीं रहे। हमारे पुलिस विभाग के मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, वे तो बीमार बताते हैं, तो ऐसे लोग जो कभी डाकू नहीं हुए उनके साथ अपना बड़ा फोटो खिंचकर जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा समाचार–पत्रों में निकलवाते हैं।

मैं आपको एक बात बताऊं। सुन्दरविलास में जो आनन्दसिंह और खेतसिंह नाम के डाकू मारे गये उन्हें कोई पुलिस वालों ने नहीं मारा, बल्कि वहां के गांव वालों ने ही मारा था। उसकी सूचना पुलिस वालों को दी और पुलिस ने उन्हीं के भाई शेरसिंह को पकड़ लिया और उसको मार दिया और कहा कि हमने आनन्दसिंह खेतसिंह को मार दिया, जिसके लिए चार हजार का इनाम रखा गया था। सही माने में जो पुलिस विभाग का काम है वह नहीं हो पाता है। आज आप देखिये, मोरल टर्पीट्यूड के जितने भी केसेज़ आते हैं उनकी पकड़ नहीं हो पाती है, कारण यह है कि आखिर कहीं न कहीं कमजोरी है। मैं समझता हूँ कि पुलिस को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होकर काम करने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूँ उसे मैं थोड़े ही समय में निवेदन करना चाहूँगा। वह यह है कि पुलिस के बाद शिक्षा विभाग का नम्बर आता है। उसमें जो हमारा हायर सेकन्डरी बोर्ड है और जो उसके अधिकारी हैं जो जिम्मेदार तरीके से बैठे हुए हैं उन लोगों को वास्तव में अपनी जिम्मेदारी का कोई ज्ञान नहीं है। बल्कि हायर सेकन्डरी बोर्ड के कार्यालय में आज इस प्रकार का लीकेज, जो अभी थोड़े दिन पूर्व सब जगह देखने को मिला कि किस प्रकार से पेपर्स आउट किये गये....

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! इसके ऊपर जब शिक्षा की डिमाण्ड ली गई तब काफी बहस हो चुकी थी, इसलिए माननीय सदस्य इसे न दोहरायें।

श्री दयाकृष्ण विजय : लेकिन मैं कुछ ऐसे फैक्टस निवेदन करूंगा जो अभी तक नहीं आये....

श्री सभापति :This fact is already covered. उस डिमाण्ड में वे फैक्ट्स कवर हो जाते थे। आपको उस समय अवसर था कि उस समय बताते।

श्री दयाकृष्ण विजय : खैर, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो अधिकारी बोर्ड के चेयरमैन हैं वे १६३७ से जिस समय वे इन्टर बोर्ड के सेक्रेटरी थे, जो आज चेयरमैन हैं और जो आज सेक्रेटरी हैं वे पहले क्लर्क थे, उनके जमाने में भी इन्टर के जितने पेपर्स थे वे आउट हो गए थे, १६३७ में। यह महत्वपूर्ण मसला है कि उन्हीं के जमाने में १६३७ में पेपर्स आउट हुए थे,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

१९६१ में इस प्रकार से पेपर्स फिर आउट होते हैं, तो इस बात को देखना होता है कि जो पहले सेक्रेटरी और क्लर्क थे वही आज चेयरमैन और सेक्रेटरी बनकर बैठे हुए हैं, उनके जमाने में १९३७ में आउट होते हैं और उन्हीं के कारण से १९६१ में आउट होते हैं, तो यही दोनों व्यक्ति जिनको प्रमोशन देकर ऊपर बैठाया गया है उनमें कमी है जिसके कारण आज पेपर्स आउट हुए हैं। आप तो केवल मैथेमेटिक्स और इंगलिश के पेपर्स की बात करते हैं मैं तो कहता हूँ कि पांचों सबजेक्ट्स के पेपर्स आउट हुए थे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मैं निवेदन कर चुका हूँ कि शिक्षा विभाग की जब डिमाण्ड ली गई थी आप अपने विचार उस समय रखते।

श्री दयाकृष्ण विजय : आखिर मैं इसकी ओर ध्यान दिलाता हूँ कि इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कि पेपर्स आउट किया करते हैं।

इसके बाद मैं पंचायत समितियों के विषय में निवेदन करना चाहूँगा....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मंत्री, शिक्षा): ये सब मामले शिक्षा की मांग में आ चुके हैं। आप जो कहते हैं उसकी अवहेलना होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : दूसरे विषय को लेकर निवेदन करना चाहूँगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, जो कि राजस्थान के अन्दर प्रशासन के अन्दर इस प्रकार की फिजूल खर्ची और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है उसका निराकरण करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो कुछ कदम उठाये हैं वे कदम उनको रोकने वाले हो सकते हैं लेकिन मूल जड़ की ओर सुधारने के लिए प्रवृत्ति वाले नहीं होते हैं। हमने अभी कुछ दिनों पहले यह देखा कि हमारे यहां सड़कें टूट जाती हैं, हालांकि यह डिमाण्ड हो चुकी है लेकिन मैं एक-दो मिनट में ही समाप्त करता हूँ....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्य के पास या तो कोई विषय नहीं है। साफ है रूल्स के अन्दर कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स का कोई मेटर हो या वह बात जो डिमाण्ड के समय न आई हो, वही इस समय कह सकते हैं। वही की वही बात कहने लग जाते हैं। रोड की डिमाण्ड कल ही पेश हुई थी और एक पूरा दिन उसके अन्दर लगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कोई नया मैटर हो और नई चीज रखना चाहें तो रख सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई पोइन्ट जो उठाये जा चुके हैं उनको वापिस नहीं उठा सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिन विषयों की ओर मैं ध्यान दिला रहा हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है कि जो हमारे राजस्थान का सारे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का सारा ढांचा है वह इतना गिरा हुआ हो गया है कि जिसके कारण से छोटे आदमी हैं उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती। राहत नहीं मिलने का कारण यही है कि हमारे ऊपर की मशीनरी के अन्दर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके कारण नीचे की सारी मशीनरी में खराबी उपस्थित है, उसी के कारण आज गांवों के अन्दर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको जिस प्रकार का शासन करना है उसके अन्दर विकास के आज उस प्रकार के साधन नहीं दिखाई देते हैं। हमने विकेन्द्रीकरण कर दिया और ग्राम पंचायतों को ताकत दी....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस पर भी बहुत विस्तार से बहस हो चुकी है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिस मैटर पर बहस हो चुकी है उसको कृपया छोड़ दें, और किन्हीं दूसरी बातों पर अपना भाषण आरम्भ रखें।

श्री दयाकृष्ण विजय : खैर, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जिन मुद्दों पर मैंने कहा है उनके ऊपर गौर फरमाया जाये।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक १६६१ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके सम्बन्ध में मैं भी अपने थोड़े से विचार प्रकट करना चाहती हूँ। इस विधेयक के द्वारा एक बहुत बड़ी राशि की सरकार ने अपने अगली साल की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मांग की है और जैसा कि हम सब जानते हैं यह राशि स्वीकार होगी। लेकिन इस राशि में बहुत बड़ा हिस्सा कर के द्वारा आता है और वह कर भी बहुत थोड़ा तो उनके द्वारा आयेगा जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनकी जेबें भरी हुई हैं और जिनकी तिजोरियां भी भरी हुई हैं और इसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों से आयेगा जो कि साधारण से साधारण श्रेणी के हैं, जो बसों में चलते हैं, जो डालडा खाते हैं और बिजली की चमचमाती रोशनी में नहीं, बल्कि मिट्टी कि तेल की डिब्रियों की रोशनी में रहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वह इसका भी ध्यान रखे कि इतनी बड़ी राशि जनता कठिनाइयां उठाकर सब तरह से देना स्वीकार करती है वह इस आशा से करती है कि इसका उचित प्रतिदान उसको मिलेगा और कुछ न कुछ सुविधायें भी उसको प्राप्त होंगी। इसी दृष्टि से हमको आगे अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ेगा। यहां मैं यह नहीं दोहराना चाहती हूँ, लेकिन अपनी सरकार को अवश्य ही याद दिलाना चाहती हूँ कि जो उसकी योजनाएं बनती हैं, जो सरकार के काम होते हैं उनसे जब यह दिखाई पड़ता है कि उनसे जनता के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो समझ में नहीं आता कि योजनाओं की सफलता किस बात में है?

हम सब जानते हैं कि हर मनुष्य की आम तौर से जरूरी आवश्यकताएं आवास, कपड़ा खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं। मैं दूर नहीं

(डॉ० चन्द्रकला)

जाती हूँ, परन्तु जयपुर शहर की जनता को देखते हुए कह सकती हूँ कि हम उनको मामूली सुविधाओं की भी व्यवस्था उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। आज कितनी बड़ी समस्या जयपुर शहर में मकानों की है? वैसे तो हमारे यहां अल्प आय योजना और दूसरी योजनाओं के द्वारा जनता को राहत देने का या सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन जिस तरह से जयपुर शहर में उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, या जो अभी तक का अनुभव है उसको देखते हुए मुझे यह मालूम पड़ा है इस बारे में कि सरकार का काम अभी तक उस दृष्टि से नहीं होता है कि इसका लाभ सर्वसाधारण को मिले। अभी एक उदाहरण जयपुर शहर का हमारे सामने आया। एक बस्ती को अच्छी तरह से बसाने की योजना हमारे मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में आई।

(३.५२ म० प०)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

बस्ती बसाने की योजना सामने आती है कि उस बस्ती को बसाना है, मैं उसका स्वागत करती हूं, लेकिन बस्ती को बसाने के लिए जो ऋण दिया गया है, जो सहायता दी गई है वह अल्प-आय की जो योजना थी उसके अन्तर्गत दी गई। अल्प आय की जो योजना है उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से सहायता दी जाती है। होना यह चाहिए था कि ऐसा न करके सरकार उन ३२५ आदमियों को अलग से लोन देती। वह जो लोन दिया गया है उन ३२५ आदमियों को वह दूसरों के अधिकार छीनकर दिया गया है, तो कोई श्रेय की बात नहीं है। सरकार के पास प्रावधान था, दूसरी बड़ी बड़ी योजनाएं थीं, ऐसी योजनाओं के अन्दर एकाध बस्ती होती है तो हमको भारत सरकार की सहायता मिल सकती थी। अगर ऐसा करना था, ऐसी योजनाएं क्रियान्वित करनी थीं, जिस तरह से सरकार ने किया है वैसे न करके उसको एक नई योजना का रूप देकर करती और भारत सरकार से सहायता मिलने वाली योजनाओं में शामिल करने से उन योजनाओं का काम पूरा नहीं होता है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, प्रश्नोत्तरकाल में बेकार गंदी बस्तियों का सवाल आया है, सफाई आदि की व्यवस्था की बात आती है, उस समय माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि सस्ती जमीनें दे दी गई हैं, इसलिए सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उसको देखना पड़ेगा। जनता को ये सुविधाएं देनी पड़ेगी। यह कर-दाता का अधिकार है। उसको सरकार यह सुविधा दे। दूसरे ऐशोआराम के साधन नहीं, इंग्लेण्ड, अमेरिका की तरह सारी बातें नहीं देकर दिन प्रति दिन की असुविधाओं को दूर करना पड़ेगा, और जो इस तरह के साधन हैं वे देने पड़ेंगे। आज जयपुर शहर में सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। बड़ी बड़ी योजनाओं के भीतर, सीवेज लाइन नहीं है। बहते हुए पानी के निकास का कोई इन्तजाम नहीं है। यह नहीं है कि वहां पर गरीब लोग बसते हों, गन्दी बस्ती नहीं है, स्लम नहीं है, वहां मैं समझती हूँ कि बड़ी बड़ी हैसियत के लोग रहते हैं, अपने मकान बनाकर रहते हैं। उसके लिए सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने शिक्षा की दिशा में बहुत काम

(डॉ० चन्द्रकला)

किया है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसका लाभ जनता को कहां तक मिल पाया है । हमने अनिवार्य शिक्षा की बात कही है। बहुत अच्छी बात है। पर आज वह केवल सरकारी स्कूलों में है। दूसरे स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा का लाभ नहीं मिलता है। यह हम जानते हैं कि हम इतने स्कूल नहीं खोल सकते हैं कि हमारे सब बच्चे उन सरकारी पाठशालाओं में पढ़ सकें । इसके लिए आठवीं कक्षा तक न रख कर पांचवीं तक रखें, लेकिन हर पाठशाला में इस तरह की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा हो। सरकारी पाठशालाएं हैं वहां तो आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है, लेकिन जो सरकारी पाठशालाएं नहीं हैं, दूसरी सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं या सरकार से रिकगनाइज्ड संस्थाएं हैं वहां पर फीस लेने की इजाजत है। तो वहां पर पहली कक्षा में भी २, २) रु० तक फीस ली जाती है। यह जो बड़ी विषमता है उसको दूर करना चाहिए। एक जगह तो आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध हो गया है और दूसरी जगह पहली कक्षा का भी शुल्क लिया जाय। यह हमारी जो अनिवार्य शिक्षा की भावना है उस पर आघात इससे पहुँचता है। सरकार को देखना पड़ेगा कि जो योजना बनाते हैं उससे अधिक से अधिक लाभ जनता को कितना दे सकते हैं।

हमारे राजस्थान में योजनाएं जो बनती हैं उनमें हमारा ध्यान नहीं रहता है। जब यह ध्यान नहीं रहता है तो जनता के मन में निराशा होती है । सरकार हमारी है। हम उसको पूरा पूरा सहयोग देते हैं, पर सहयोग का प्रतिफल जो मिलता है वह इस तरह का मिलता है और कभी, कभी हमारी सरकार के ऐसे काम भी हो जाते हैं कि वह यह नहीं देखती है कि आखिर जहां पर हम अभी तक इस काम को करते आये हैं वहां केवल २–३ दिन का नोटिफिकेशन देकर कुछ स्कूलों को इधर से उधर और उधर से इधर करेंगे, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जायेंगे तो वहां स्कूल किसी तरह का रहा हो वहां के लोगों को उससे शिक्षा प्राप्त होता है, लेकिन स्कूल को हटाते समय यह सोचना चाहिए कि जहां एक स्कूल था बर्षों से, उस बस्ती में से हटाने के लिए, इधर-उधर करने, उलट पुलट करने के बदले नई योजना शुरू करनी चाहिए, नये स्कूल खोलने चाहिए। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार को सोचना चाहिए।

जहां तक कर का सवाल है वह तो हम देते हैं। हम नहीं देखते हैं कि किस तरह से जन जीवन के लिए जनता को इतनी धनराशि खर्च कर रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, योजनाओं की सफलता के सुन्दर सुन्दर हमारे सामने चित्र आते हैं, लेकिन जनता उसका फल उसी तरह से अनुभव नहीं करती है, उसको उसी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है। हम बहुत बड़ी धनराशि पुलिस विभाग पर खर्च करते हैं, लेकिन पुलिस से जिस रक्षा की आशा करते हैं वह रक्षा हमको नहीं मिलती है उसके लिए कई बार जब सरकार का ध्यान इस ओर खींचते हैं कि जयपुर शहर में बहुत से लोग इस तरह की कार्यवाही करते हैं कि पुलिस अगर नियन्त्रण करे तो आसानी से बन्द हो सकता है। हमारे यहां शराब की बिक्री बढ़ रही है, यह हमारी सरकार मंजूर करती है, लेकिन यह सब पुलिस

(डॉ० चन्द्रकला)

की लापरवाही के कारण है । उसके कारण ही जयपुर शहर में हर जगह अवैध शराब की दुकानें हैं। वैध शराब को दुकानें जहां पर हैं वहां से हटती हैं तो जनता को राहत मिलती है, लेकिन अवैध दूकानों को रोकने का भी सरकार का काम है। उसको नहीं करती है तो वैध दुकानें हैं उनको लाभ नहीं होकर एक ओर सरकारी खजाने में टेक्स देंगे और दूसरी ओर उनकी जेबें इस तरह से कटती हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा सट्टा, जुआ·······

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): जयपुर में ही सारी बुराइयां आ गई हैं।

डॉ चन्द्रकला : पहले भी थीं, लेकिन आज·······

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): आपके आने से जयपुर सारी बुराइयों का घर हो गया है।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

डॉ० चन्द्रकला : आप जयपुर के वासिन्दे हैं·······

श्री चन्दनमल वैद : मैं कतई जयपुर का वासिन्दा होना पसन्द नहीं करूंगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : जब से आप जयपुर में आकर आबाद हुए हैं तब से सब बुराइयां यहां आ गई हैं।

डॉ० चन्द्रकला : बुराइयों ने आपको खींचा है ।

श्री चन्दनमल वैद : किसने मुझे खींचा है, यह बताना सभ्यता के प्रतिकूल होगा।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, यह मैं कहना चाह रही थी कि जहां तक राहत देने का सवाल आता है वहां सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील नहीं है। सरकार को जो कुछ भी करना होगा उसका क्या नतीजा आता होगा यह तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज ही बताया गया है। मैंने सिर्फ दो छोटी छोटी चौकड़ियों के लिए पूछा था, खास तौर से वहां पर सड़कों पर २०, २० गड्ढे पड़े हुए हैं, जहां पर बिल्कुल प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। ऐसी २ बस्तियां हैं, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, इस बात को लेकर दूसरी सुविधाओं को वहां नहीं किया जा सकता है कम से कम वहां रहने वाली जनता को इन सब सुविधाओं का अधिकार है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जहां टैक्स का सवाल है जनता ने बोझ इस बार तो बर्दाश्त कर लिया है। सरकार थोड़ी होशियार होती तो राहत के साथ घोषणा करती। जहां टेक्सेज़ की घोषणा कर चुकी है वहां थोड़ी बहुत राहत की घोषणा अगर करती, वहां पर जनता से आसानी से ले सकते थे। अब जनता पर यह भार स्वरूप है। जनता देगी तो सही, लेकिन हमारी सरकार उसके बदले में उसी तरह का प्रतिदान दे, यह मेरी भावना है। मैं सोचती हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान देगी । लेकिन

(डॉ० चन्द्रकला)

जब यह नहीं होगा उस समय कर का भार बढ़ता है तो बुरा लगता है। जनता को इतना मिलता चला जाता है तो जनता पूरा सहयोग देगी योजना में। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि असली शक्ति पैसे और रुपये की नहीं है। सवा अरब की राशि दे सकते हैं। असली शक्ति रुपये–पैसे की नहीं है। जनता की शक्ति ही जन–शक्ति है। उसको प्राप्त कर सके तो इतनी बड़ी राशि भी आ जायगी और शनैः शनैः पूरी हो जायगी। लक्ष्य जो निर्धारित किये हैं वे पूरे हो जायेंगे, मगर जन शक्ति की उपेक्षा करते चले जाय और बदले में जो कुछ प्रावधान करते जा रहे हैं वे ऐसे प्रावधान होंगे कि उनसे कोई उद्देश्य सफल नहीं होने वाला है। मैं सोचती हूँ कि हमारी सरकार इस तरह से करेगी।

(४.०० म० प०)

श्री सभापति : Members desirous of participating in the debate may please stand.

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

Now I will request all the members who have stood up to kindly intimate to me the points which they wish to raise during the course of their debate. You may kindly send the chits now.

(विराम)

Shri Kala Badal.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर हाउस में हमारे माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं और मैंने कट मोशन के बारे में भी काफी सोचा था कि पुलिस के बारे में कहूँगा। पुलिस के बारे में कई दफा हाउस में भी विचार रखे, लेकिन कभी गृह मन्त्रीजी महोदय ने उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि पुलिस की डिमान्ड आती तो पुलिस के बारे में बताता। हाउस के माननीय सदस्य समझते होंगे कि कालाबादल जो बातें कह रहे हैं वे सारी बातें झूठी हैं, इसलिये मैं कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान है, मेरे दिल में दर्द है कि पुलिस निम्न प्रकार से कर्त्तव्य करती है। पुलिस के कर्त्तव्य अच्छे होने चाहिये थे। पुलिस के सारे लोग बुरा काम करते हैं, ऐसी बात नही है लेकिन कुछ लोग पुलिस विभाग में ऐसे हैं जो जनता के जान–माल की रक्षा न करके उसको परेशान करते हैं। इस बारे में पहले के अधिवेशन के अवसर पर भी अल्प–कालीन क्वेश्चन दिये थे जो नहीं आये। दुबारा फिर दिये वे भी अब तक नहीं आये। एक दिन हाउस में विरोधी दल के एक माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब के अवसर पर मैंने पुलिस का एक रेकॉर्ड रखा था। छः महीनों पहले पुलिस ने चोर विरोधी अभियान शुरू किया था उस बारे में हाउस में जवाब नहीं दिया लेकिन बाहर अखबार वालों ने लिखा था कि १६ गांवों पर धावा किया था उसमें कई लाख रुपयों की चोरी की मालियत का माल बरामद हुआ है और कितने ही आदमी पकड़े गये हैं। गृह मन्त्रीजी ने हाउस में जवाब दिया था कि १ लाख के बजाय कोई ३०,००० की चोरियां हुई थीं उनमें से १७ हजार रुपयों का

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

माल बरामद हुआ था और ७२ हजार आदमियों को गिरफ्तार किया था जिनमें से ४४ निरपराध निकले और ३२ पर केस चलाये जिनमें से ११ महिलाएं थीं यह जवाब दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अजीतगढ़ कांड के बारे में मैंने रिपोर्ट की थी कि १७६ आदमी ऐसे हैं जिनको नंगा करके उनके गुप्तांगों पर बिजली के करेन्ट लगाये हैं, जिनमें ११ महिलाएं भी हैं।

श्री सभापति : It was repeated in the discussion in the general debate.

माननीय सदस्य इस बात को डिमान्ड पर हुई बहस के समय कह चुके हैं, इसलिये जो बात पहले कही जा चुकी है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह डिमान्ड नहीं आई थी।

श्री सभापति : बजट पर हुई जनरल बहस में बोल चुके हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): It is only with regard to what has been said in the...

श्री सभापति : Repetition of any kind should be avoided.

श्री भैरवलाल कालाबादल : सभापति महोदय, यह मांग तो नहीं आई थी वाद-विवाद के लिये।

श्री सभापति : बजट पर हुई जनरल बहस के समय फर्माया था आपने, इसलिये इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री भैरवलाल कालाबादल : बार बार हाउस के सामने मैंने यह मामला रखा लेकिन यह नहीं कहते कि यह मामला झूठा है। मैंने रेकार्ड रखा था, अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी पर, इसलिये हाउस की इज्जत का सवाल हो गया है। उधर तो मैंने हाउस में रेकॉर्ड रखा, उधर गृह मन्त्रीजी ने रेकॉर्ड मांगा कि इन्क्वायरी करायेंगे, विश्वास दिलाया कि इन्क्वायरी करायेंगे। उधर खबर गई कि जो रेकॉर्ड इकट्ठा किया और जिन लोगों से सम्बन्धित था उनको दबाने के लिये पुलिस सब इन्सपेक्टर पहुंचे और उनसे कहा कि जो बयान दिये हैं उनकी इन्क्वायरी हो रही है, खाली कागज़ पर दस्तखत कर दो और उनसे खाली कागज़ पर दस्तखत करवा लिये बताये। इसलिये यह मेरी इज्जत का सवाल आ गया है, हाउस में जो जिम्मेदारी से बात कही उसमें बिगड़ने जैसी बात हो रही है, मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी पर मैंने रेकॉर्ड दिया है इसलिये जांच कमेटी के ३ सदस्य घोषित कर दें, जिनमें से एक हाउस के सदस्य हों, एक पुलिस के हों और एक आदिवासी सदस्य हों। तीनों की कमेटी नियुक्त करके इन्क्वायरी कराई जाय।

तीसरी बात, वन के ऊपर वादविवाद कर रहे थे। सभापति महोदय, वन की समस्या सुलझानी चाहिये थी। यहां पर मन्त्रीजी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, फिर भी एक पत्रकार ने ऐसा लिख दिया कि मांग मन्जूर कर दी गई है, लकड़ियां गाड़ी से काट कर ला

(श्री भैरवलाल कालबादल)

सकते हैं, पर २ रु० गाड़ी देना पड़ेगा। यह अखबारों में छप गया। इसका मन्त्रीजी ने जवाब नहीं दिया तो लोग पूरे परेशान होंगे। तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के जो पत्र हैं, मन्त्रीजी ने आश्वासन नहीं दिया, फिर भी छाप दिया कि जंगल से लकड़ी ला सकेंगे, लेकिन सरकार ने इसे अभी मन्जूर नहीं किया, इसलिये परिस्थिति बदलेगी। जो बात पत्रों में छपी है वह सही छपनी चाहिये थी। इसलिये पत्रों से जवाब तलब होना चाहिये कि जो रिप्लाई नहीं दी उसको छाप कैसे दिया ? उन पर एक्शन होना चाहिये।

दूसरी बात अभी सिंघाणा में पुलिस के द्वारा हुई। हाउस के सदस्य मानते होंगे कि कालाबादल इतना दूर रहता हुआ जरायम-पेशा आदमियों की बात कैसे जानता होगा....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : पत्रों में कोई गलत खबर नहीं छपी है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आपको क्या मालूम है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

लोग जानते होंगे कि इतने दूर की घटनाएं कालाबादल कैसे जानता होगा। जिस समय इधर जब जरायम पेशा कानून था, उस समय राजाओं का राज्य था, जयपुर में अमरसिंहजी दीवान थे, मैं सन् ४० में आ गया था, उस समय मीणों को चोर बताया जाता था, चौकीदारी करने की जिम्मेदारी उन पर थी। किसी के घर में १ लाख की चोरी होती थी, वह चौकीदार से वसूल होती थी, उसके घर में भले ही फूस भी नहीं होता था तो भी ऊपर से दादरसी देकर उन जरायम पेशा चौकीदारों से वसूल किया जाता था और वे लोग मजबूरी से चोरी करके उस रकम को चुकाते थे। तो उन लोगों को चोरी करना भी हमारी पुलिस ने ही सिखाया था। हम यह समझ रहे थे कि हमारी सरकार होगी तब मीणों को राहत मिलेगी, लेकिन आज उनके सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको कोई जमीन नहीं दी जा रही है लेकिन बरबाद करके यह बात कही जाती है, उनको जयपुर पुलिस वाले खाते हैं। २०० रुपयों की भैंस अजीतगढ़ कांड में ८० रु० में नीलाम करदी। मन्त्रीजी कहते हैं कि ८० आदमियों पर केस चले थे पर कितने आदमियों को दोषी घोषित किया, यह नहीं बताया, अपील में दोषी नहीं रहे। ३०,००० रु० किस व्यक्ति से बरामद हुए, यह नहीं बताते तो मैं समझता हूँ ३० हजार रु० पुलिस वाले खा गये। वन के बारे में जो बात नहीं कही वह पत्रों में निकल गई। वे लोग कहेंगे, स्पष्ट नहीं हुआ और पहले छप गया। स्पष्ट हो जाता तब छापना था, लेकिन यह बात नहीं हुई। यह हमारी इज्जत का सवाल है।

श्री सभापति : In view of the limitations of time, I am obliged to enjoin that no future speech will please exceed five minutes and the Government reply will commence

(श्री सभापति)

at 4.30

(विराम)

Shri Ram Chandra.

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : सभापति, महोदय, आज इस एप्रोप्रियेशन बिल (नम्बर २) के द्वारा हम १ अरब ३४ करोड़ ५५ लाख की भारी रकम राज्यपाल को खर्च करने के लिए सरकारी खजाने से निकालने का अधिकार दे रहे हैं।

सभापति महोदय, इस भारी रकम को खर्च करने का अधिकार हमने मांगों पर वाद-विवाद करने के बाद दे दिया था, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम अथवा बजट के आखिरी आइटम पर विचार कर रहे हैं कि राज्यपाल के सुपुर्द सरकार के खजाने की चाबी दे दी जावे, ताकि वे सरकार के खजाने को खोल कर १ अरब ३४ करोड़ ५५ लाख खर्च कर सकें। सभापति महोदय, यह रकम काफी बड़ी है और यदि हम विचार करें कि राजस्थान के बनने के पहले राजस्थान की रियासतों के जो बजट थे, उससे यह धन बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि यह उससे दस गुना से कम नहीं होगा। पहले राजस्थान में १३ करोड़ ५५ लाख खर्च होते थे, उसके बजाय हमारे यहां अब १ अरब ३४ करोड़ ५५ लाख खर्च किये जावेंगे। तो इतनी बड़ी रकम को खर्च करने के पहले, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी रकम है और यह रकम जनता की है। इसको जितनी अधिक बुद्धिमानी से खर्च किया जाय उतना ही अधिक लाभप्रद होगा। हम चाहते हैं कि इस रकम के एक एक पैसे का लाभ राजस्थान की जनता को पहुंचे, इस रकम का कोई भी भाग राजस्थान में बेकार नहीं जाय। लेकिन पिछले सालों के अनुभव से हमें मालूम है और हम इस बात को भली प्रकार जानते हैं, और उसका नतीजा भी हमारे सामने है। इस रकम का अधिकांश भाग राजस्थान सरकार बिना सोचे-समझे खर्च कर देती है। सभापति महोदय, इस रकम में से कुछ भाग राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह, टी० ए०, डी०ए० पर खर्च किया जाता है। यह रकम जो उनकी तनख्वाह में खर्च की जाती है, उसकी देख-रेख करने में राजस्थान सरकार सब तरह की नुक्ता चीनी करती है। अगर किसी ने भूल से या किसी के पास एक रुपया भी अधिक रकम चली जावे तो वह उससे वापिस ली जाती है और उनके टी० ए०, डी० ए० के बिलों की जांच करने के लिए हर तरह से कोशिश की जाती है कि राज्य सरकार का एक पैसा भी राज्य कर्मचारियों की जेब में न चला जाय। मैं चाहता हूँ कि जो देख–रेख इस पैसे को खर्च करने के लिए राज्य सरकार कर रही है, वैसी ही और उससे भी अधिक देख–रेख इस बजट की उन मदों में खर्च की जाने वाली रकम पर को जानी चाहिए, जो राजस्थान के विकास के लिए खर्च की जाती है या राजस्थान के डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट के लिए खर्च की जाती है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने उस तरफ से बिल्कुल आंखें बन्द कर रखी हैं। मैं इसकी सत्यता के लिए आपको कोई दूसरी मिसाल नहीं देना चाहता। यह मार्च का अन्तिम महीना बजट के साल का है और यह उसका अन्तिम सप्ताह है। इस वक्त राजस्थान

(श्री रामचन्द्र)

सरकार के दफ्तरों में जो रकम मन्जूर की जा रही है और मन्जूर करने के साथ साथ जो राज्य कर्मचारियों को

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हिदायत दी जा रही है कि जो रकम हम तुमको दे रहे हैं, इसका एक एक पैसा खर्च किया जाना चाहिये, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि रकम साल भर तक खर्च नहीं की गई, उसे एक महीने में नहीं बल्कि एक सप्ताह में सरकार खर्च करना चाहती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैंने प्राय: यह देखा है कि राजस्थान सरकार के विभागीय ऑफिसरों को तो खर्च करना है, यह किसी तरह से भी खर्च करना अगर कुर्सी की जरूरत नहीं है तो मेज ही उसकी एवज में खरीद ली जाती है, यदि मेज नहीं मिली है तो किताबें ही खरीद ली जाती हैं।

श्री सभापति : I am sure you have heard the bell.

श्री रामचन्द्र : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : पंचायत समिति का बजट लेप्स नहीं होगा।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री रामचन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी बेदर्दी, इतनी बुरी तरह खर्च करने का कारण यह है कि राजस्थान सरकार ने यह नियम बनाया है कि ३१ मार्च के पहले पहले रकम खर्च नहीं की जायगी तो वह लेप्स हो जायगी। इस कारण से यह रकम बुरी तरह से खर्च की जाती है। मैं राजस्थान सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि लैप्स करने की आपकी पॉलिसी है, इसको दूर रखिये, इस पर अमल नहीं किया जाना चाहिये। जो रकम किसी विभाग की बाकी बच रहे वह उस विभाग के नाम अगले साल तक क्रेडिट कर दी जाय, वह चाहे उसे अगले साल खर्च करें ताकि उसका उपयोग समझ सोच कर हो और उसको बुरी तरह नष्ट न किया जावे। इसलिए अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और लैप्स करने की पॉलिसी पर अमल न किया तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया जो इस महीने के अन्दर अन्दर वेस्ट होता है वह वेस्ट होने से बच जायगा आयन्दा। यही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जो जन–शक्ति और साधन काम में लिये जा रहे हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम आने वाले हैं, मेरा सवाल एक ही था सिर्फ कि जब व्हाइट कॉलर जॉब्स में हम जितने एम्प्लाय करते हैं तो एक पोस्ट के लिए उसमें चालीस दर्ख्वास्तें मेट्रिक्यूलेट और इन्टरमीजिएट पढे हुओं की आती हैं। लेकिन जब हम टेक्नीशियन, कार्पेन्टर, मेकेनिक चाहते हैं तो वे नहीं मिलते हैं। जो आंकड़े हमें मिले हैं, उनसे मालूम होगा कि हमारे हिन्दुस्तान में सात लाख मेट्रिक्यूलेटस निकलते हैं और वे निकलते ही नौकरी चाहते हैं और जॉब्स आपसे मांगने

(श्री मूलचन्द डागा)

आते हैं; वे होती हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स, उसको इस नाम से पुकारा गया है। हम चाहते हैं कि टेक्नीशियन, कॉर्पेन्टर, मेकेनिक्स पैदा किये जायं और राजस्थान में सबसे ज्यादा बढ़ाने चाहिए। ऐसी जॉब्स के लिए, सर्विसेज़ के लिए हमें बहुत बातें सोचनी चाहिए, कि क्या हम जिस तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं उस तरफ बढ़ाने के लिए उस तरह के लोग मिल सकेंगे या नहीं। मुझे दुःख है कि उस तरह के लोग बहुत कम उपलब्ध होते हैं और वे लोग ज्यादा उपलब्ध होते हैं।

दूसरी बात यह है कि कॉलेज में शिक्षा बढ़ रही है लेकिन शिक्षा बढ़ाने का यह मतलब नहीं कि बी. ए., लॉ ग्रेजुएट, जो निकलें कालेजेज़ से, जिससे ज्यादा बेकारी हो और लोग चाहें कि हम केवल नौकर हो जायं, उनको नौकरी मांगने के लिए पैदा करें क्योंकि उनका ध्यान उन टेक्नीकल जॉब्स की तरफ नहीं जा रहा है।

तीसरी बात मैं कह रहा था वह यह है कि गांवों में आज ५० प्रतिशत लोग प्रोस्पेरिटी लाइन के नीचे हैं। उसका कारण यह है कि दो बातें हो रही हैं; हमने भूमि–सुधार कर लिये हैं, लेकिन उनको अमली रूप नहीं देने के कारण कुछ गांवों में ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जिसे कहना चाहिए असामाजिक तत्व, जिस समाज के पास से कर कम वसूल किया जाता है, जिनके पास जमीन ज्यादा है, ज्यादा सुविधाएं हैं, वह वर्ग दूसरे वर्गों पर अधिकार जमाता है और इस प्रकार हमारी प्रणाली है, हमारा उद्देश्य है, वह पीछे रह जाता है उस वर्ग के कारण। उनसे करोड़ों रुपया कर का नहीं वसूल करते हैं, उनके पास हजारों बीघा जमीन जमा है, इसलिए गांव में दो पार्टीज़ हो रही हैं; एक सरकारी अधिकारी राज्य अधिकारी जो होते हैं, उसके पास कोई लेबर पॉलिसी, कोड या लॉ नहीं है, उसकी श्रम नीति है वह ढिलमिल नीति है। मैं कहता हूँ कि वेजेज़ बोर्ड का फैसला नहीं निकला। छः महीने हो चुके हैं, उसका फैसला नहीं निकला। उसके अलावा हमारा शॉप्स एन्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट निकला है, उसके कारण दुकानों का समय सुबह आठ बजे से लेकर शाम के १० बजे तक कर दिया है, सुबह ८ से शाम के १० बजे तक का मतलब है कि मेरे ख्याल से गुमाश्ते या मुनीम को एक घंटे का समय भी दोपहर को नहीं दे सकते हैं, इतना लम्बा समय नहीं होना चाहिए और सुबह नौ से लेकर शाम के नौ तक का समय होना चाहिए। इसलिए सुबह ८ बजे से शाम के १० बजे तक का समय निर्धारित किया है वह गलत किया है।

दूसरी बात मैं बता रहा था कि हमारे यहां पर खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए लेकिन मालूम हुआ है, जो रिपोर्ट दी है कि ४ लाख ५४ हजार रुपये आपने मशीन खरीदने के लिए लोगों को कर्ज पर दिये। यह नहीं मालूम कि उसमें से ३ लाख ५५ हजार ६१३ रुपये की मशीनें नहीं खरीदी गई और १६५६ से बराबर रिकवरी चालू है। जहां ४ लाख ५४ हजार रुपयों की मशीन खरीदने के लिए, खेती की उन्नति के लिए दिये, उसमें से, मुझे मालूम हुआ, ३ लाख ५५ हजार रुपयों

(श्री मूलचन्द डागा)

की मशीनें नहीं खरीदी गई और जो पैसा है वह रिकवर नहीं हुआ है १९५६ से लेकर। फिर हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी खेती की तरक्की होगी ?

दूसरी बात उन्होंने बतलाई खेती के मामले में कि ३,७७७ मन बीज हम बेच नहीं सके, उसके कारण हमें ४४ हजार का नुकसान, खेती के ऑफिसर के कारण भुगतना पड़ा।

तीसरी बात है एज्यूकेशन के मामले में कि हमारी बुक्स टाइम पर पब्लिश नहीं हुई, उससे ११ हजार का नुक्सान हुआ है.... "This would have saved an extra expenditure of about Rs. 61,000 calculated on the basis of the lowest tenders received earlier in the year."

यह एज्यूकेशन के मामले में भुगतान बताया है। बांसों का भाव, ३०) रु० में १०० बांस मिलते थे, पर हमारे अधिकारी ने २) रु० में १०० बांस के भाव से बांस बेचे हैं और दो लाख का नुकसान बता दिया। तो ऑडिट एफिशियेन्सी होनी चाहिये। गांवों में भूमि सुधार के कानून पास कर दिये हैं, उनको सुधारना चाहिये। लेबर पॉलिसी के बारे में कहूँ कि कोई कोडिफाइड लॉ नहीं किया है, उसको करना चाहिये। बस समयाभाव से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि सदन में एक ही दिन के अन्दर डिबेट की दृष्टि से एक घंटा, फिर १० मिनट और फिर केवल ५ मिनट अलॉट किये जाते हैं, इसके लिये कांग्रेस पार्टी के व्हिप पर जिम्मेदारी है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : जनसंघ के नेता सवा घण्टा बोले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनसंघ के सभी नहीं बोलते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ५ मिनट में कोई शकुन नहीं साधते हैं। बोलें चाहे ४ आदमी ही, मैं यह नहीं कहता कि हमारे लोगों को चान्स दें, पर डिबेट को इस तरह से रेगुलेट करना चाहिये कि इतने अहम मसले पर कोई अच्छी तरह से रोशनी डाल सकें। ५ मिनट में तो शकुन साध सकते हैं। ऐसी दशा में ज्यादा नहीं कहते हुए एक–दो बातों की ओर माननीय मुख्यमन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

दुर्भाग्य तो इस बात का है कि एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स की ऑडिट रिपोर्ट कम्प्ट्रोलर एन्ड ऑडिटर जनरल, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया, ने राजस्थान सरकार को कभी की देदी उसको आज सदन में रखा जाता है। यदि हमें यह पहले ही मिल जाती तो बहुत सी गम्भीर बातों की ओर ध्यान दिलाया जा सकता था। यह ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आई, इसमें बहुत गम्भीर बातें हमने देखीं, उनकी ओर सदन का गम्भीर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

इस रिपोर्ट के पेज २६ पैरा ४६ पर है । हमारे यहां ग्रान्ट इन एड दी जाती है वह टोटल आब्जेक्शन्स. आउटस्टेन्डिग १. ७. ६० को थी ६. ५८ कोर्स राजस्थान सरकार प्राइवेट एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को लोकल बोडीज को ग्रान्ट-इन-एड देती है, उनके अकाउन्ट्स पेश नहीं किये गये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : थोड़ा स्पष्ट कर दें, ग्रान्ट—इन—एड की आउट स्टेन्डिग कैसे है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बता दूं पेज २४. पैरा ४६ है ।

"During the year 1959-60 the State Government paid a total sum of Rs. 1, 85, 42, 025 as grants-in-aid in 5,976 cases which included grants-in-aid to Local bodies and private institutions."

दूसरा पैराग्राफ यह है, मैं पढ़ देता हूँ :

"With the apse of time, it becomes more difficult for the Departments to settle the objections mainly on account of the difficulty in locating the relevant records. Further, the delay in the clearance of objections is also likely to perpetuate the irregularities."

(४ २२ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रान्ट-इन-एड के सम्बन्ध में बिना ऑडिट करवाये, बिना युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हासिल किये, बिना हिसाब किये ग्रान्ट-इन-एड एज्यूकेशन डिपार्टमेंट की ओर से दी जाती है । मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मैं ग्रान्ट—इन—एड देने का विरोधी नहीं, पर आज जिस प्रकार इसका दुरुपयोग होता है जितनी तनख्वाह दी जाती है, उनका फोर्ज्ड, अकाउन्ट सरकार को पेश करते हैं लोग-बाग । लगभग ५० लाख रुपये की धन-राशि जो इन्स्टीट्यूटशन्स सरकार से ग्रान्ट-इन-एड के रूप में लेते हैं अगर मुख्य मन्त्री जानकारी चाहें तो पेश कर सकता हूं । एक इन्स्टीट्यूशन है जिसने अपने खर्चे का हिसाब गवर्नमेंट को १०००) रु० का पेश किया है, ५८५) रु० हर महीने के हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा ६ हजार रुपये साल के होते हैं पर वह संस्था सरकारको एक हजार रुपये का खर्चा पेश करता है कि प्रिंसिपिल को ३००)रु., हैड मास्टर को १५०) रु० और मास्टर को १२०) रु० । जब कि उपाध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल को ३००) रु० के बजाय १००) रु० दिया जाता है, हैड मास्टर को १५०) रु० के बजाय ५०) रु० और मास्टर के १२०) रु. की बजाय ४०) रु० माहवार दिया जाता है । इस तरह एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स भी टैक्स इवेज़न की दृष्टि से; जैसे व्यापारी डबल अकाउन्ट रखते हैं, फोर्ज्ड अकाउन्ट रखते हैं उसी तरह फोर्ज्ड अकाउन्ट, डबल अकाउन्ट रखते हैं । माननीय मुख्य मन्त्री चाहें तो इस तरह के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फोर्ज्ड अकाउन्ट की ओरीजिनल कॉपीज पेश कर सकता हूं, ओरीजिनल कॉपी मेरे पास है। इतना ही नहीं उन सारे आउन्ट्स को देखने के बाद पता चलता है कि ५००) रु० की ग्रान्ट-इन-एड देते हैं, वहां ३५०) रु० का खर्चा इस तरह के सैकड़ों इन्स्टीट्यूशन्स हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि सारी जानकारी मेरे पास हैं, ओरीजिनल अकाउन्ट्स मेरे पास हैं, एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करें। यह मिसयुटिलाइजेशन होता है इसका कारण यह है कि इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स में जो हैड हैं वे बड़े बड़े पोलिटिकल हैड्स हैं, बड़े बड़े पोलिटिकल कार्यकर्त्ता हैं। इस इन्स्टीट्यूशन के हैड वे हैं जो हमारी केबिनेट के मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के बहुत बड़े फिगर हैं, वे चान्सलर हैं, जो हमारे राज्य के गृह मन्त्री हैं। शायद मुख्य मन्त्री इस कारण जांच नहीं करायें तो और बात है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर): नाम नहीं बताया, यह तो कुछ समझ में नहीं आया साहब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संस्था के नाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं नाम बताये देता हूँ। वह है जयपुर की साहित्य सदाव्रत संस्था, जिसके चान्सलर हैं राजस्थान के गृह मंत्री, श्री रामकिशोर व्यास और चेयरमैन श्री दामोदरलाल व्यास। इस तरह यह संस्था डबल और फोर्ज्ड अकाउन्ट्स रखती है, जो अकाउन्ट्स गवर्नमेंट को पेश किये जाते हैं वे अलग हैं और एक्च्युअल खर्चा है, उसके अकाउन्ट्स अलग हैं, जिसका हिसाब अभी मैंने सामने रखा है।

श्री हरिप्रसाद यादव : कोई संस्था काम करती है तो उसके लिये इस तरह से नहीं कहना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में जांच करें। एक कन्स्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहूँगा कि जितनी ग्रान्ट-इन-एड इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को दी जाती है, इसके लिये राजस्थान सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि वह ग्रान्ट-इन एड संस्था को सीधे न देकर इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में जितने अध्यापक पढ़ाते हैं, उनको तनख्वाह ट्रेजरी से दे दें और इस तरह का प्रबन्ध करने के लिये हमें रूल्स में अमेंडमेंट करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यही बात रखते हुए एक बात आपकी अनुमति से कहना चाहूँगा। वह बात बड़ी गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस सम्बन्ध में जानकारी करें। वह मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में है। मेडिकल पर्चेजेज़ के बारे में गत साल १० लाख की पर्चेजेज़ का सदन में रखा था....

श्री उपाध्यक्ष : You will please conclude within a minute.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; मैं बहुत शोर्ट में कहूँगा। Within a minute it wouid not be possible.

श्री उपाध्यक्ष : Then I am sorry.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेडिकल की पर्चेजेज़ इस साल की जाने वाली थीं, वे ११ महीने बीत जाने के बाद, ७ महीने बाद तो टेन्डर कॉल किये, फिर ५ महीने चुप बैठे रहे, अब यह फाइनेन्शियल इयर खत्म हो गया है तब पर्चेजेज़ होने वाली हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में कितना डिसएप्रोइन्टमेंट है, डाक्टरों की क्या हालत है, यह किसी से छिपा नहीं। हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट रूस से भी आगे बढ़ गया है। रूस में एक्सपेरिमेंट किये जाते हैं, वे चूहों और कुत्तों पर किये जा रहे हैं; लेकिन हमारे यहां राजस्थान में चूहे, कुत्तों और बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट नहीं किये जाते हैं, हमारे यहां पर एक्सपेरिमेंट किये जाते हैं इन्सानों पर। जयपुर में एक व्यक्ति के चक्षु का प्रयोग किया गया और अजमेर में हार्ट का ऑपरेशन किया गया। अगर आप उनके नाम और टिकट नम्बर चाहें तो वे भी मेरे पास हैं और मैं आपको बता सकता हूँ। हार्ट के ऑपरेशन में एक २५ साल के युवक की मृत्यु हुई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आप यह कह रहे हैं कि वह ऑपरेशन किया था, वह एक्सपेरिमेंट के लिये किया गया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां पर भी कहा गया कि मुर्दे की आंख लगा दी जावेगी, मगर उस व्यक्ति की आंख खराब हुई और वह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। मगर आपने अखबारों में प्रकाशित करा दिया कि इसमें सफलता प्राप्त हुई और एक्सपेरिमेंट सफलता पूर्वक हुआ। उस बेचारे की असली आंख थी वह भी चली गई।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : वह अपनी असली आंख कढ़वाने गया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों की प्रेक्टिस के बारे में कहूँगा कि डॉक्टर लोग हॉस्पिटल के बाहर पेशेंन्ट्स को देखते हैं और उनसे फीस लेते हैं। वे ही लोग हॉस्पिटल में एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे जो उनको प्राइवेट रूप से पहले मकान पर बुला कर दिखा देंगे और उनको फीस दे देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये सारी बातें राजस्थान की प्रजा में असंतोष पैदा करती हैं और हम इसको छिपा नहीं सकते और जनता की आवाज को चुप नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : The Government will make a reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य ने बतलाया कि ९ करोड़ की ग्रान्ट–इन एड बाकी है, किसमें निकल रही है ? ५८-५९ के लिये १ करोड़ ७ लाख दूसरी तरफ ८ लाख है। यह मैं समझ नहीं पाया।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह ऊपर का नीचे और नीचे के ऊपर को पढ़ लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेज नं० २६ पर लास्ट पेरा है।

मैं नम्बर ऑफ ऑब्जेक्शन में स्पष्टीकरण करूं।

यह ५९-६० की रिपोर्ट के पेज ४६ पर है।

आप देखेंगे कि १ करोड़ २६ लाख बिना युटिलाइज किये दिये। हर साल के फिगर्स हैं जो नीचे स्टेटमेंट में इयरवाइज़ दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह। आप पांच मिनट में ही समाप्त कर दें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से कल भी जब बोलने का विचार कर रहा था तो गुलेटीन लग गया और अब मैं ५ मिनट ही बोलूंगा; पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मेरा एक कटमोशन जोबनेर की सड़क के बारे में था........

श्री उपाध्यक्ष: वह तो समाप्त हो गया। अब सिद्धान्तों का सवाल है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वह इसलिए आता है कि वहां ३० मील का फर्क पड़ता है। कालख सागर, जोबनेर, फुलेरा, सांभर, मेड़ता, नागोर, जोधपुर, व बीकानेर की दूरी में।

मै यह निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिए प्रश्न चल रहा है कि उदयपुर में चालू की जावे। मैं पहले ही इस पर बोल रहा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि युनिवर्सिटी उदयपुर में या कहीं भी स्थापित की जावे। यह कहां का न्याय है कि कृषि संस्था उदयपुर शहर में ही हो। इसके लिए शहर ही ज्यादा उपयोगी होता है? क्या यह विडम्बना नहीं है? खैर। लेकिन यह अर्ज करना है कि जो इन्स्टीट्यूशन जोबनेर में है वह आज चल रही है। उसके लिए मैं इतना ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहेब से जानना चाहूंगा कि उनका ताल्लुक इस युनिवर्सिटी से रहेगा या नहीं; इसके सम्बन्ध में वे या माननीय मुख्य मंत्री जवाब देते समय कह दें कि इसका क्या होगा कि वह इन्स्टीट्यूट, जो एक दिन एम० एससी० की क्लास खोलने के लिए ७ वर्ष पहले से तैयार हो रहा था वह बिल्कुल कटैल हो जावेगा? इसके लिए मुझे बराबर जानने की उत्सुकता है। क्योंकि जिसने इन्स्टीट्यूट चलाया है और जो भुक्त–भोगी होगा वही जान सकता है कि उसको कितनी खटपटाहट हो सकती है। आज से ७ वर्ष पहले वहां एम० एससी० क्लासेज़ खोले जाने का आयोजन था। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि पहले इसको बहुत से एक्सपर्ट और बड़े बड़े लोग देख चुके हैं और उन्होंने इस स्थान को फिट स्थान बताया है। इसके लिए पहले युनिवर्सिटी के भेजे कमीशन ने कहा है और यह कहा है कि इन्डिया में इस प्रकार का इन्स्टीट्यूट और स्थान बहुत कम हैं। इसके लिए अगर कोई नहीं देखे तो वह दूसरी बात है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे यह कह दें कि वह इन्स्टीट्यूशन वैसा, वहां की जो जनता है उसकी यही भावना है कि अगर वह चले तो राजस्थान की युनिवर्सिटी उसके तत्वावधान में हो। इस तरह से दूसरे कॉलेजों के नीचे वह रह कर करीब करीब खत्म होने

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

के दर्जे तक न पहुँचे, यह मेरा कहना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एप्रोप्रिएशन बिल के बहस के दौरान में कुछ जरूरी काम होने की वजह से सुबह जल्दी उपस्थित नहीं हो पाया, इसका तो मुझे दुःख है, लेकिन मैंने जो यहां बहस हुई उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही अपनी बात कह कर इसको समाप्त करूंगा।

सबसे पहले श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान की सम्प्रदायिक स्थिति और लॉ एन्ड ऑर्डर से सम्बन्धित बातों पर कहा और कुछ घटनाओं का जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी घटनाएं हुई हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह कहूंगा कि इन घटनाओं के बारे में राज्य सरकार स्वयं सतर्क है और हर घटना के बारे में जांच करने के कदम उठाये जा रहे हैं और किसी भी कारण से, किसी साम्प्रदायिक कारणों की वजह से या जाति की वजह से, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिसने इस प्रकार की कार्यवाही की होगी उसके प्रति कमजोर रूख दिखाने का प्रश्न नहीं आता। इसमें जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी जरूरी है की जावेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन घटनाओं के पीछे कुछ व्यक्ति समाज के अन्दर ऐसे हैं जिनको हम असामाजिक तत्व कहें उनके होने की वजह से सारे वातावरण को किसी प्रकार से बिगड़ने दिया जावे, इसको उचित नहीं कहा जा सकता और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी इस प्रकार की घटना है उसके बारे में हमको जानकारी है उसे देने में मदद करें, बजाय इसके कि किसी सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदायों को भड़का कर स्थिति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जावे। अगर ऐसा होता है तो इसको रोका जाना चाहिये। हमारी परम्परा और स्थिति है उसकी दृष्टि से किया जाना चाहिये और मैं कह सकता हूं कि जैसा मैंने कहा कि किसी भी सम्प्रदाय की तरफ से गलती होगी तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जावेगी; इसमें किसी प्रकार की शंका का प्रश्न खड़ा नहीं होता।

दूसरी बात, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया, कुछ बलात्कार के केसेज़ हुए। मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे जोधपुर के हों, चाहे वे नवलगढ़ की घटनाएं हैं; इस प्रकार के एफर्ट्स हुए, कुछ लोग पहुंचे, जैसे जोधपुर की घटना के बारे में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। कुछ गुण्डे पहुँचे। पहुँचने पर शोर-गुल हुआ। उनको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया और मुकदमों का चालान कर दिया गया।

उसी प्रकार नवलगढ़ के अन्दर भी कुछ कार्यवाही की गई। दूसरी जगह भी एक-दो घटनायें सामने आयीं तो तुरन्त चालान करके कार्यवाही की जा रही है। जहां भी पता चला है वहां पर सरकार की ओर से कोई रियायत करने की बात नहीं आयी है और कार्यवाही करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जोधपुर में पुलिस की तरफ से जो महिला ले जाई गई उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, यह कहा गया। तो उसके लिए जांच पहले कर चुके हैं, उसकी रिपोर्ट आयी है कि थाने में ऐसी कार्यवाही की गई हो, यह साबित नहीं होता है। यह जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ और ऐसा करने से कई बार कई चीजों को बढ़ा चढ़ा कर सामने रखा जाता है, उनसे दूर रह कर तटस्थता के साथ उन बातों को करना होगा। जिस किसी व्यक्ति को, उदाहरण के लिए एक-दो बातें सामने आयीं, इन्टरोगेशन के लिए पुलिस द्वारा बुलाया जाय, आसानी से लोग कह देते हैं कि उसके साथ मारपीट हुई। यदि किसी महिला को जांच के लिए बुलाया जाय तो कह दिया जाता है कि ज्यादती की गई उसके साथ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जायगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी बात को कहने से पूर्व उसकी वास्तविकता की जांच करें और आगे बढ़ें, नहीं तो पुलिस के जो जरूरी फन्क्शन्स हैं उनमें मुश्किलें डालेंगे।

साथ ही यह भी निवेदन करूं कि पुलिस के बारे में भाषण के दौरान यह कहा गया कि राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं कह सकता हूँ, वे आंकड़े और दूसरी चीजें तो मैं लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ, लेकिन पिछले वर्षों में राजस्थान की जो स्थिति थी उसके मुकाबले में निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। स्वाभाविक तौर पर जब बड़ी २ घटनायें कम हो जाती हैं तो यह स्वाभाविक है कि चोरी हो जाती है या और कोई हो, उन घटनाओं की ओर विशेष ध्यान जाने लगता है कि डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं और वे घटनायें जो कि प्रमुख तौर पर डकैतियों की रही हैं वे बदल कर आज चोरियों के रूप में बढ़ा-चढ़ा कर बता दी जाती हैं। उस पर मुझे कहने की आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन ये बातें बहस के ट्रेन्ड के दौरान में आयीं। वे भी न हों, इसके लिए लेटेस्ट साइन्टिफिक मेथड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उनके प्रोसिक्युशन के लिए भी गजग हैं, काफी प्रयत्नशील हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कोर्ट्स में केसेज असफल होते हैं तो उनको ठीक किया जा सके, उस माने में कार्यवाही करने के लिए सतर्कता के साथ इन चीजों को देख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, कल यहां पर अलवर और भरतपुर के पुरूषार्थी भाई कुछ आये थे और आने के बाद एक एडजोर्नमेंट मोशन पर माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अपनी तरफ से बयान दिया था और उसके बाद अभी सदन में उसी सम्बन्ध में कुछ चर्चायें की गईं। मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि उस डेपुटेशन से कल मैं भी मिला था और मिलने के बाद हमने उनसे कहा था कि जो प्रश्न उठे हैं, क्लेम्स के बारे में, लोन्स के बारे में, कीमत के बारे में, उन सब प्रश्नों के बारे में काफी चर्चायें पहले हो चुकी हैं लेकिन फिर भी उनके पास कोई डॉक्युमेन्ट्स हों या और कोई नयी चीज़ सामने आयी हो, जो पहले चर्चा में नहीं आयी थी, जिनसे साबित करने की स्थिति में हों कि क्लेम्स इसलिए नहीं दिये गये कि उनकी एवज में जमीन देने की बात थी, लोन्स के बारे में कमेटी एस्टेब्लिश की और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसको राइट ऑफ करने की बात थी, हमने उनको कहा कि उन बातों की फिर बैठ कर चर्चा हो सकती है, जिनके लिए पहले कई बार चर्चा हो चुकी थी । जहां तक सवाई जमा कराने की बात है, यह एक ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान में और दूसरी जगह पर दुगुना जमा किया है । यहां सवाई जमा कराने में मना करते हैं तो इस प्रश्न की तार्किक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, औचित्य की दृष्टि से बात करना चाहिये । सवाई है, वह जमा करा दें और दूसरी बातों पर बैठ कर बातें करें। उन्होंने कहा कि यह भी जमा नहीं करा सकते । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य स्वयम् ही अनुभव करेंगे कि राजस्थान में दूसरे शरणार्थी भाई हैं, गंगानगर और दूसरे इलाकों में जो गये हैं, उन्होंने दुगुना लगान दिया है । दूसरी तरफ सवाया के बारे में कहते हैं, उसको देने की भी बात नहीं करते हैं । कल बताया जा चुका है सारी बहस के बाद, भारत सरकार का यह निर्णय है जिसको राजस्थान सरकार क्रियान्वित कर रही है । उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ कर ही कुछ बात कह सकते हैं । सवाई जमा के विषय में भी इस दलील और तर्क से नहीं बैठ सकती कि हम यह करें कि यह नहीं हो सकता तो वास्तविकता से दूर हट जाते हैं ।

माननीय उपाध्यक्षजी, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों और बड़े कर्मचारियों के बीच का भेद दूसरी जगह बहुत कम है और वह राजस्थान में बढ़ता जा रहा है । समाजवाद के दृष्टिकोण को मानते हुए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । मैं उनकी जानकारी के लिए यह निवेदन कर सकता हूँ कि इस सरकार ने इसकी ओर पूरी सतर्कता रखी है । सरकार इस ओर प्रयत्नशील रही है कि आपने आज यह प्रश्न रखा है । उस प्रश्न पर आज नहीं पहले से ही समय समय पर चर्चा करते रहे हैं, विस्तार से भी पहले इसके बारे में चर्चा की है । केवल एक उदाहरण देकर, १६५५ में, पांच साल का डिफरेंस बताता हूँ, ५५ में क्लास ४ के मेग्ज़िमम को लें कि किस पर पहुँच सकता है और ऊंचे से ऊंचा अफसर किस पर पहुंच सकता है । तो उनके मेग्ज़िमम के डिफरेन्स को एक बेस बना कर चलें तो सन् ५५ में क्लास ४ का मेग्ज़िमम ४५) रुपये है, बजाय उसके सन् ६० में मेग्ज़िमम ७०) रुपये हैं । इसका मतलब यह हुआ कि लोएस्ट का मेग्ज़िमम और दूसरों का मेग्ज़िमम २,५००) रुपये है। उसके बीच में सन् ५५ में ४५ और सम टाइम्स का डिफरेन्स था वह सन् ६० में ३५ पर आ गया । यह उदाहरण इसलिए रखा कि उससे जाहिर हो कि जब जब मौका मिला है हमने चाहे डियरनैस अलाउन्स हो या दूसरा हो, उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया है और उस गैप को कम कर सकें, उसकी ओर हमारा बराबर ध्यान रहा है और यह मानना नहीं चाहिये कि हमारी उस ओर दृष्टि नहीं है । हम बराबर उसको सुधारने के लिए प्रयत्नशील हैं । इस डिफरेन्स के अलावा उस तरह के स्टाफ के लिए एज्युकेशनल, मेडीकल फेसीलिटीज़ इन वर्षों में और बढ़ायी गई हैं, जिससे उनको और सहायता प्राप्त हो, जो रुपया आना पाई में रिफलेक्ट नहीं होती है । उससे डिफरेन्स और कम होता है । तो मैंने यह आप से कहा कि बराबर उस ओर ध्यान रखा गया है ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पेन्शर्न्स के बारे में भी सन् ५६ के अन्दर जिनको १२) रुपया मिलता था उनके पेन्शन्स में दुगुना किया गया है, जो पहले मिलता था उसके मुकाबले में। हो सकता है, उनमें से कइयों को दिक्कतें हो सकती हैं। बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के ये तथ्य हैं, जिन जगहों पर जिनके लिए सहायता की जरूरत है उसके लिए सरकार का लक्ष्य रहा है और उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड मेडीकल कॉलेज उदयपुर में शुरु होने वाला है। उसके लिए बताया गया कि जब बीकानेर मेडीकल कॉलेज में ही कमियां हैं तो फिर तीसरा मेडीकल कॉलेज शुरू करके बीकानेर की दिक्कतों को और बढ़ा दिया जायगा और तीसरा मेडीकल कॉलेज खोलने से उसको नुक्सान होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बीकानेर मेडीकल कॉलेज में स्टाफ की कमियां हैं। उसकी ओर पूरी तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और उसको ध्यान में रख कर ही तीसरे मेडीकल कॉलेज की व्यवस्था की जायगी। यह कतई बात नहीं है कि एक जगह तो मेडीकल कॉलेज फन्क्शन ठीक न कर पाये और तीसरा शुरू करके उसको दिक्कतों में डाला जाय।

इस प्रकार मैं यह निवेदन करता हूँ कि पोलीटेक्निक का एक ही पेटर्न सब जगह है, कोई अन्तर नहीं। बिल्डिंग इक्विपमेन्ट आदि में स्टाफ आदि में सब्जेक्टस में कहीं फर्क हो सकता है, लेकिन पैटर्न सभी जगह एक सा ही है। इस पर भी यदि यह एन्टीसिपेट किया जाता है कि इसके कारण बीकानेर या अन्य स्थानों के बारे में भेद है, ऐसा मान कर नहीं चलना चाहिये।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर की सड़कों के बारे में भी कहा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर तो नेशनल हाइ-वे से जुड़नेवाला है। इसलिये यह कहना कि बीकानेर का ख्याल नहीं, यह बात नहीं, वह तो नेशनल हाईवे से जुड़ जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकनेर सिटी) : बीकानेर से गंगानगर कैसे मिलेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : थर्ड प्लान में काफी प्रोविज़न रखा जा रहा है, जो बीकानेर और गंगानगर के जोड़ने के लिये भी खर्च किया जायगा।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि बजट ऑफिस वालों को १३ महीने का वेतन मिलता है। यह सिस्टम सारे हिन्दुस्तान में है, केवल हमारे यहां ही दिया जाता हो, यह बात नहीं। दूसरी जगह जो किया जा रहा है वह हम भी कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा सेकन्डरी बोर्ड के चेयरमैन हैं वे जब अजमेर में बोर्ड में थे उस वक्त भी उनके समय में वहां पेपर्स आउट हुए थे और जब युनिवर्सिटी के अन्दर आये तब भी ऐसे मौके आये हैं; सभी जगह जहां वे रहे पेपर्स आउट हुए हैं। यह एक घटना हमारे यहां हुई। किस वजह से हुई, यह सब सदस्यों को जानकारी है, लेकिन मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि किसी भी बात को रखा जाय तो उसकी सीमा होती है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किसी की इन्टीग्रिटी पर रिफ्लेक्शन करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। आखिर व्यक्ति को भी देखा जाता है। क्या वे पेपर आउट कराने वाले व्यक्तियों में हो सकते हैं ? अगर हम किसी भी बात को रखते हैं, उसमें जरा भी वजन मालूम न हो तो उन बातों को नहीं रखा जाना चाहिये। किसी के भी व्यक्तित्व पर बिना सोचे आरोप करना, मैं समझता हूं कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। आखिर उनका पेपर आउट कराने में क्या हित हो सकता है ?

फिर माननीय उपाध्यक्षजी, आज भी सदन में चर्चा के दौरान में फिर ऊन की गांठों का प्रश्न खड़ा हो गया। जिस बारे में पिछली बार चर्चा हो चुकी थी मैं सोचता था कि वह सवाल फिर सामने नहीं आयेगा। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा। इस सेल्स टैक्स के बारे में पूरे विचार विनिमय के बाद समय समय पर परिवर्तन होने के कारण के पीछे जो भूमिका रही है वह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। जब सेल्स टैक्स लागू करने के बारे में पहले निर्णय हुआ उसके बाद यह बात सामने आयी। जो वूल का ट्रेड है उसमें यह है कि वूल ज्यादातर एक्सपोर्ट होती है, उससे राजस्थान को इन्कम नहीं हो पायगी। दूसरा इसके अकाउन्ट आदि रखने में पेचीदगियां पैदा होंगी, इसके बारे में जगह जगह से डेप्युटेशन आये, उनकी बात सुनी गई। यहां पर वूल एसोसियेशन की रिपोर्ट भी पढ़ी गई। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस एसोसियेशन की प्रोसीडिंग्ज़ को पढ़ कर सुनाया। उसमें सब बातें दी हुई हैं। किस प्रकार से डेप्युटेशन मिला और किस किस समय क्या सर्क्युलर्स इश्यु हुए। यह मान कर चलना चाहिये; कि डेप्युटेशन मिला और यह भी मान कर चलना चाहिये, बहुत से निर्णय होते हैं, डेप्युटेशन के मिलने के बाद भी बहुत सी बातें सामने आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णयों में रद्दोबदल भी होता है। यह बात सही है कि डेप्युटेशन मिला और उसके मिलने के बाद निर्णय नहीं हुए हों, यह बात नहीं। निर्णय हुआ है, लेकिन यह बात उससे मेल नहीं खाती। ऐसा कई बार मौका आया है कि सेल्स टैक्स लागू कर दिया गया, माननीय सदस्यों को पता होगा, लागू करने के बाद कई बातें हमारे सामने आयीं, उनके अनुसार फैसला किया गया। इसी प्रकार का सवाल इसमें भी था सारे वूल के ट्रेडर्स ने मिल कर एप्रोच किया और जो भी दिक्कतें उनको थीं वे सब प्रस्तुत करने की कोशिश की। किसी एक व्यक्ति के कहने पर या किसी एक व्यक्ति से मिलने का सवाल हो, यह बात नहीं। सारे एसोसियेशन्स ने, अलग अलग जगहों के व्यापारियों ने इस बारे में एप्रोच किया : उन्होंने कहा, यह एक्सपोर्ट ट्रेड है, इसके अलावा जब लाभ नहीं होने वाला है तो हमने इसकी जानकारी के लिये असिस्टेन्ट कमिश्नर टैक्सेशन ब्यावर भेजा गया, वे जाकर सारी बातों को सुन कर अपनी तरफ से इस मामले के बारे सुझाव दें।

जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, उनके सुझाव देने के बाद सेल्स टैक्स के लिये, रजिस्ट्रेशन वूल ट्रेडर्स के लिये तय कर दें, उससे डेफीनेट इन्कम हो जायगी। जहां वे एक्सपोर्ट डाइरेक्ट कर देते थे वहां हमारी इनकम होने का सवाल नहीं। रजिस्ट्रेशन का तरीका

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चालू किया जाय तो राजस्थान गवर्नमेन्ट को आय हो सकती है और उनके कहने पर यह तरीका यहां लागू किया गया। यह १६५६ तक मार्च तक के लिये किया गया । जब पीरियड समाप्त हुआ उसके एक्सटेन्शन के लिये नोटिस निकला; वह प्रोसीजर चला, अक्टूबर के अन्दर तय किया गया। इन्हीं लाइट्स पर इसको वर्क आउट किया जायगा। मैं यह भी निवेदन करूं, हमने यह सोचा कि क्या इस बारे में और आय के चान्सेज हैं? क्या इसको पर्चेज़ टैक्स के अन्दर ले सकते हैं, इस पर और फीस लगाई गई। इसमें किसी प्रकार का आदान प्रदान हुआ हो, यह बात इसमें आती नहीं। लेकिन ये बातें इसलिये की गई कि उन्होंने चन्दा दिया। रजिस्ट्रेशन का जब फैसला हुआ वह यह मान कर कि इससे गवर्नमेंट को इन्कम हो सके, इस बारे में निर्णय किया गया। यह सब ऑफिसर्स द्वारा जांच करवाने के बाद, उनकी रिपोर्ट के आने के बाद सब लोगों के फायदे के लिये फैसला किया गया। इसलिये निवेदन करूंगा कि इसके लिये किसी प्रकार का इन्टरप्रिटेशन लगाना नहीं चाहिये और कोई मतलब निकालने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये।

इसके अलावा ग्रान्ट-इन-एएड के बारे में भी कहा गया। विज्ञान भवन की बात लेकर कहा गया कि उसके लिये ८८ हजार का सर्टिफिकेट विज्ञान भवन के नाम से पेश किया गया....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैंने निर्माण खाते की बात कही थी जिसमें साइन्स ब्लॉक के लिये रकम ली गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पहले यह निवेदन कर दूं, जो जानकारी मैं इतने थोड़े समय में प्राप्त कर सका। विज्ञान भवन के नाम से....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Would the Hon'ble Chief Minister like to have more time ? It is practically finished.

क्या सदन की अनुमति है कि दस मिनट कार्यवाही और चलाई जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विज्ञान भवन, विज्ञान मन्दिर जो निर्माण हुआ है, उसके लिये कहा गया। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कोई ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी गई। जो भवन बनाया गया है वह एक बिल्डिंग है। उसके लिये जो जानकारी मैं अलग अलग तरीके से कर पाया हूँ वह इस प्रकार है। जिस बिल्डिंग के लिये गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से ग्रान्ट-इन-एड दी गई वह इस तरह से है :

"स्टेट गवर्नमेंट द्वारा १६५६-५७ में ४६,२०० रुपये व २५ हजार रुपये ५६-६० में लोन दिया गया। और ६०-६१ में भी लोन दिया गया बोर्डिंग हाउस के लिये था। जहां तक मैं जानकारी प्राप्त कर पाया हूँ, इसके अलावा ६५ हजार २०० रुपया करीब

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नोन रेकरिंग ग्रान्ट दी गई मल्टीपर्पज़ स्कूल बिल्डिंग के लिये। उसी के अन्दर विज्ञान कक्ष आ जाता है। इसके लिये ऑडिट अकाउन्ट्स गवर्नमेंट के सामने पेश किये गये। उन्हीं अकाउन्टस् की बेसिस पर आगे भी ग्रान्ट–इन–एड दी जाती है और मैं इसके बारे में माननीय सदस्यों के पास और विस्तृत जानकारी हो जिससे यह मालूम हो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा दी गई है और ठीक से उपयोग नहीं हुआ, तो इसके बाद कह सकता हूँ। वरना आज जितनी जानकारी प्राप्त की गई है उसके आधार पर किसी प्रकार का दुरुपयोग हुआ हो, ऐसी कोई बात कहीं नहीं हुई है। इसलिये मैं समझता हूँ कि कोई दुरुपयोग या गलती हुई है, ऐसा कोई सुबूत सामने नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ सड़क और दूसरी बातों के बारे में जो सवाल आये, और और भी प्रश्न उठे, उनके उत्तर में गये बिना उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वे पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर २) बिल, १६६१ विचारार्थ लिया जावे।

अनेक माननीय सदस्य : पारित किया जावे, ऐसा कहें।

श्री उपाध्यक्ष : The Question is to be put विचारार्थ लिया जावे। आपने कर लिया, पर सदन पुष्टि अब करेगा। I think the Hon'ble members should first assess the position and then object.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पहले इस प्रकार की आपकी रूलिंग्स हो गई हैं, इसलिये निवेदन किया गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर २) बिल, १६६१ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मन्त्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर २) बिल, १६६१ को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर २) बिल, १६६१ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर २) बिल, १६६१ पारित किया गया।

(विराम)

Hon'ble Shri Harish Chandra.

विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन की मेज पर रखना

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री): मैं इण्डियन इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट १६४८ की धारा ६१

(राजा श्री हरिश्चन्द्र)

(३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) १९६१–६२, को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

We adjourn now to meet to-morrow at 11.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. ५ बज कर २ मिनट पर ३१ मार्च, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २९ मार्च, १९६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	५५५९	एम्प्लॉयमेण्ट एक्सचेन्ज सेन्टर्स ।	
जोधपुर म्युनिसिपल कौंसिल में झाड़ू लगाने का कार्य करने वाला मैट्रिक पास वाल्मिकी व्यक्ति ।		जोधपुर म्युनिसिपल कौंसिल के स्वच्छकार ।	
नशाबन्दी ।		कोटा सिंचाई बान्ध से सिंचित भूमि ।	
चने के व्यापारियों से नियम विरुद्ध वसूल की गई धनराशि की अदायगी ।		केन्द्र एवं राज्य कर्मचारियों के समानुकूल वेतन की अपेक्षा ।	
पंचायत समिति, पाली द्वारा हेमावास बांध के पानी का वितरण ।		चौकड़ी तोपखाना देश व मोदीखाना में पक्की सड़कों का निर्माण एवं प्रकाश की व्यवस्था करना ।	
सरपंच, पंचायत नगर द्वारा खरीदे गये एन्जिन और मशीनें ।		कस्बा दौसा में कम्पाउन्डर्स व नर्सेज़ का अभाव ।	
पैकेज कार्यक्रम (प्रोग्राम) ।		बीमा विभाग में ड्रामा करने वाले कर्मचारी ।	
ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार ।		पाली शहर में ड्रेनेज स्कीम की क्रियान्विति ।	
आबावास (सीकर) में औषधालय खोलने की मांग ।		बीमा विभाग के अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।	
बूसी ग्राम पंचायत के सरपंच, जसवन्तसिंह की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही ।		अजमेर शहर में थड़ी मालिकों को पक्का निर्मित करने सम्बन्धी	

अनुमति ।

बाड़मेर नगरपालिका का चुनाव ।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

कार्य–सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया :—

'यह सदन कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।'

सदन की मेज पर रखे गए पत्र ५६२४

निम्नांकित लेखे एवं उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे गए :—

१. राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, १९५९–६० एवं उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६१ ।

२. राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, १९५९–६० एवं उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६० ।

विधायी कार्य—

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ ५६३०

श्री पूनमचन्द विश्नोई, उप–मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये :–

१. श्री भैरोंसिंह (१४)
२. श्री पी. के. चौधरी ।
३. श्री अर्जुनदास ।
४. श्री जनार्दनराय नागर ।
५. श्री मुरलीधर व्यास ।
६. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
७. श्री तनसिंह ।
८. श्री गोकुलचंद ।
९. श्री मोतीलाल चौधरी ।
१०. श्री दयाकृष्ण विजय ।
११. डॉ० चन्द्रकला ।

१२. श्री भैरवलाल काला बादल ।

१३. श्री रामचन्द्र ।

१४. श्री मूलचन्द डागा ।

१५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

१६. रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

सरकार की ओर से श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की मेज पर रखा गया विवरण

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत् मंत्री ने इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १६४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय–व्ययक), १६६१–६२, को सदन की मेज पर रखा।

सदन की बैठक ५ बज कर २ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ३१ मार्च, १६६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ३१ मार्च, १६६१ की कार्य–सूची

राजस्थान समाज शिक्षा बोर्ड विधेयक, १६६१ (खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१४ का उत्तर देखिये)

नाम ग्राम	नहरी बापी—गेबाही		बारानी ग्रा०—गे०		सवेज बा०—गे०		चाही बा०—गे०		मिस्लेनियस बा०—गे०		मीजान (बीघों में)
१	२		३		४		५		६		७
१. मूलीयावास	—	—	२०२—१६	४६०—१७	—	—	—	—	—	—	६६३—१३
२. मंडीया	५११८-१६	३६—१२	१७१—७	—	—	—	३४—११	—	३—१७	—	५३५८—३
३. मांडली	२६८१-१६	२२१—११	२२८—२	—	१६—८	—	३५१—६	—	—	—	३७६६—१६
४. मानुपुरीया	—	—	४१६—७	—	—	—	४१—४	—	—	—	४५७—११
५. रामावासीया	—	—	—	११—०	—	—	—	—	—	—	११—००
६. पाली बेवटा	१४८७—७	—	२५१—१६	—	—	—	६१—१२	—	—	—	१८००—१५
७. कान्तराजागीर	७५०—८	३४—८	२५—१७	१२—११	६५४—१	—	५—५	—	२५—२	२०६	१७१६—१२

१		२		३		४	५			६	७
८. कान्तराजागीर	१४७६–१२	११३–४	–	–	–	–	–	–	–	–	१५८६–१६
जोड़											
९. जूना मठ :	–	–	१५–३	–	–	–	–	–	–	–	१५–३
१०. गीरादडा सा०	१३४१–१२	६७३–६	१५२६–१६	४१६–१७	–	–	११८–१७	–	५–०	–	४०८०–११
११. गीरादडा जा०	१६६६–३	७७–५	७६३–१	१८८–०	–	–	–	–	४–६	–	२६६८–११
१२. गुरडाई	२३४३–१५	–	२८५–१२	–	९७६–१३	१५	३–४	–	४६–१६	–	३६७४–०
१३. रूपावास	–	–	२६६२–६	१५२–६	५४५–५	–	८४–७	–	–	–	३४४३–४
मीजान	१७१६६–९	११४९–६	६५४९–६	१२७३–११	२१९२–७	१५	७००–९	८३–३	२०९		२९३३८–२१

तलोडीया की जमीन में चौथी	
पालन पानी दिया	२५०–००
सरदार समन्द फार्म को पानी दिया	२८०–००
	२९८६९–११

कुल ३०,००० बीघों में

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ का उत्तर देखिये)

राजस्थान के नियोजन कार्यालयों द्वारा सन् १९५७–५८, ५८–५९ और १९५९–६० में दर्ज किये गये और नौकरी दिलाये गये व्यक्तियों तथा इन कार्यालयों पर किये गये खर्चे का विवरण।

नम्बर	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	पंजीकरण किया गया (अप्रैल से मार्च) १९५७–५८	५८–५९	५९–६०	नौकरियां दिलवाई गई (अप्रैल से मार्च) १९५७–५८	५८–५९	५९–६०	वार्षिक खर्च (रुपयों में) (अप्रैल से मार्च) १९५७–५८	५८–५९	५९–६०	विशेष
१	२	३			४			५			६
१.	अजमेर	८८२९	९२९४	११५२४	९१४	९६४	१२६१	४७३४९	४३९७७	५४३६४	
२.	अलवर	२७८३	४०९७	५५८२	३००	८५४	९७७	९२३८	१२३७४	१३९४६	
३.	भरतपुर	३१०७	४३२०	५२७३	७०४	७७२	८६७	११३९९	११७२३	११६३७	
४.	भीलवाड़ा	१२१५	३२२१	३५७८	१४४	४७८	१०४०	४१२१	१०६७९	९६४०	कार्यालय दिसम्बर, ५७ से शुरू किया गया।

परिशिष्ट

१	२	३			४			५			६
५. बीकानेर		४६०४	६०३३	६६१२	५७६	१०८३	१३२४.	६८२१	११६२४	१४१५४	
६. जयपुर		१०४०६	१७६०३	२६६७०	७२१	१६६६	३८१३	२४६३८	४५८५८	४५३७०	
७. जोधपुर		११२२१	११८५३	१३५११	१८१६	२२२४	२८६४	१४६१०	१७६२३	२२१००	
८. कोटा		४७६१	७२३७	१०२१५	५६७	१४८६	१८३१	८७७७	१२२६८	६७०७	
६. पाली		६४४	१६४२	२७६६	१०८	४७२	६८७	५०६७	६२६६	६६७४	कार्यालय नवम्बर, ५७ से शुरू किया गया।
१०. श्री गंगानगर		२३६७	३८५८	५७५५	५५३	८६३	१२७५	१०३०६	११२६३	११६००	
११. सवाई माधोपुर		१०६८	२३१७	२६४६	११६	३३१	३८१	८३१२	६१७५	६१७६	
१२. सिरोही		—	—	२०११	—	—	४६६	—	—	७८३६	कार्यालय अप्रेल, ५६ से शुरू किया गया।
१३. टौंक		—	—	२२८२	—	—	३६३	—	—	५२७६	कार्यालय अप्रेल, ५६ से शुरू किया गया।

१	२		३		४			५		६
१४. उदयपुर	७३६५	११०७६	१२२०८	२२४६	२४५६	२६७७	११०८२	१७२६८	१५७७५	
१५. झुंझुनू	—	—	१०८६	—	—	३२	—	—	१४४०	कार्यालय मार्च,६० से शुरू किया गया।
१६. नागौर	—	—	८०१	—	—	५०	—	—	१६६२	कार्यालय फरवरी, ६० से शुरू किया गया।
७. बांसवाड़ा	—	—	५४८	—	—	६७	—	—	५०३	कार्यालय फरवरी, ६० से शुरू किया गया।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE KATCHI GALIES & RASTAS CHOWKERI MODIKHANA

1. Gali Kavishoweran.
2. „ Chorukan.
3. „ Chobdaron.
4. End portion of Rasta Maniaran.
5. Chowk Ex. Rasta Harsukh Lal Kasliwal.
6. Small lane Ex. Rasta Lalji sand.
7. Narrow lane Ex. Rasta Natanian.

CHOWKARI TOPKHANA DESH

1. End of Rasta Kalyanji.
2. End of Rasta Tikkiwalon.
3. Nathu Lal Tlkkiwalon Ka Chcwk.
4. Small lane Rasta Kalyanji near Masjeed.

   Small lane near Jobner House, Rasta Bhindon.
6. Chowk end of Rasta Tikkiwalon crossing Rasta Kalyanji.
7. Small lane on east side of Rasta Kalyanji.
8. Chowk & lane in Ghar Bhanbhajya.
9. Small lane near Bagichi Kayasthan.
10. Rasta infront of Normal School, Ex. Rasta Khuntetan.
11. Chowk Khawasji Rasta Kalyanji.
12. Chowk Baboo Seth, Rasta Tikkiwalon.
13. Chowk Bajorion Rasta Kalyanji.
14. Gali Narsinghji Rasta Needar Raoji.
15. End of Rasta Needer Raoji.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING NAMES OF PARTIES TO WHOM PAYMENTS MADE

1.	M/s.	Sarv Sukh Motilal	Kotah.
2.	,,	Rajasthan Industries	Ganganagar.
3.	,,	Sukhlal Babu Lal.	,,
4.	,,	Ram Bhagat Suraj Mal	,,
5.	,,	Kaniya Lal Ghamadi Ram	,,
6.	,,	Sukh Lal Ganpat Rai	,,
7.	,,	Satya Narain & Co.	,,
8.	,,	Gurbux Rai Jagan Nath	,,
9.	,,	Talwaria Bros.	,,
10.	,,	Laxmichand C/o Motilal Jain, Kotah.	,,
11.	,,	Heeralal Hazarilal, Baran	,,
12.	,,	Srimati Basanti Devi firm Panthulal Porwar, Baran	,,
13.	,,	Satya Narain Hardeo Das.	,,
14.	,,	Surajmal Sagarmal.	,,
15.	,,	Manakchand Tarachand	,,
16.	,,	Shantilal Sankalchand	,,
17.	,,	Heeralal Hazarilal	,,
18.	,,	Sarv Sukh Motilal, Kotah	,,
19.	,,	Bhagwan Dass Chiranjilal	,,

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FROM:—

The Administrative Officer.
Civil Supplies, Rajasthan, Jaipur.

To:—

M/S. Shri Ram Ayodhya Prasad,
Shri Karanpur.

No. 5003/F. Jaipur, the 19/6/1956.

Subject:—Refund of S. A. C. recovered by the Government in 1953 on export permits of gram @ Rs. 2/- per month.

Reference:—Your Applications dated Nil.

Dear Sir,

The Government have decided to consider your claims for refund of S. A. C. deposited during the free movement period i. e. from 5-2-53 to 18-3-53. In connection with the above you are directed to please send your duly authorised representative to this office to meet the undersigned on any working day with all documents or informations in support of your claims with particular reference to the following points:—

1. Original receipt of the amounts deposited.
2. Original permits issued to your favour bearing relevancy with the amount deposited.
3. When the goods against the permits were exported outside Rajasthan.
4. Any other information relevant to the subject.

Yours faithfully,
Sd/- Administrative Officer,
Civil Supplies, Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६११ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING CONSUMPTION OF EXCISE-ABLE ARTICLES IN RAJASTHAN

(1958-59 to January, 61)

Year	Country Liquor (L. P. Gallon)	Opium (Seers)	Bhang (Seers)	Ganja (Seers)
1958-59	820977	7053	79836	1301
1959-60	902957	1167	79459	—
1960-61 Upto Jan , 1961.	727321	367	63525	—

Note:—The sale of Ganja has totally been prohibited since lst April, 1959. Opiun has also been prohibited to be sold since 1-4-58 except to addicts on medical grounds.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, २६ मार्च, १६६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५५५६	७—८	करा-वित्त, रोपण सिचाई	करारोपण, वित्त, सिंचाई
५५६१	२१	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	अन्तिम से २	का विराम	का वितरण
५५६६	४-५	फाइनेन्शिल	फाइनेन्शियल
,,	२२	जायेंगे	जायेंगी
५५७२	शीर्षक	समितियों के सदस्य	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२	एम्पलॉयमेन्ट	एम्प्लॉयमेन्ट
५५७२	८	हा गई	हो गई
५५८१	७	(दूदू म०)	(दूदू-सु०)
५५८२	८	हा गई	हो गई
५५८८	अन्तिम से ३	मत्री	मंत्री
५५६७	६	सीटस	सीट्स
५६१२	१६	कृपया परिशिष्ट ६ देखिये	कृपया परिशिष्ट ५ देखिये
,,	अन्तिम पंक्ति	resfricted	restricted
५६१६	शीर्ष	(अध्यक्ष)	(श्री अध्यक्ष)
५६२३	शीर्ष	—	(श्री अध्यक्ष)
५६२४	अन्तिम से ४	अग्रवाख	अग्रवाल
,,	अन्तिम पंक्ति	एकाउन्टस	एकाउन्ट्स
५६२६	शीर्षक	५६६२	[५६२६
५६२६	२६	queetion	question
५६३२	शीर्षक	४६३२	५६३२
५६३७	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
५६४७	,,	५७४७	५६४७
५६५५	१०	ज, य।	जांय।
५६५७-५८	शीर्षक	मार्च, ६३	मार्च, ६१
५६५८	५	त्यापारियों	व्यापारियों
,,	अन्तिम से २	(१०० म. प.)	(१.०० म. प.)
५६६४	२२	कॉलेम्स	कॉलेम्स
५६६६	१४ व अन्तिम पंक्ति	सैन्कड	सैकन्ड

१	२	३	४
५६६७–६६	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री पी. के. चौधरी)
५६६८	२०	सेन्कड	सेकन्ड
,,	२७	duiung	during
,,	३१	thc	the
५६६८	अन्तिम पंक्ति	पाउन्डस	पाउन्ड्स
५६६६	शीर्षक	राजस्थाग	राजस्थान
,,	२	सेन्कड	सेकन्ड
५६७०	१०	इम्प्रव्ड्	इम्प्रूव्ड
,,	१४	of approaches	approaches of
,,	अन्तिम से २	1६	13
,,	अन्तिम पंक्ति	improved	of improved
५६७१	शीर्षक	विनिदोग	विनियोग
,,	८	इरिंगेशन	इर्रिगेशन
,,	२७	फर्टीलाज़र	फर्टीलाइज़र
५६७३	६	पर्फोर्मेंस	पर्फोर्मेन्स
,,	१६	स्क्रटिनी	स्क्रुटिनी
,,	२०	पर्फोर्मेन्स	पर्फोर्मेन्स
५६७४	शीर्षक	विनेयक	विधेयक
५६७५	१६	applicatton	application
५६८४	६	जाच	जांच
५६८८	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
५६६०	६	कर्मचारी	कर्मचारी
५६६६	शीर्षक	विधेयक, १६५१	विधेयक, १६६१
५७०१	शीर्षक	विनियोगा	विनियोग
५७०४	१८	चोथा	चौथा
५७०६	१	व्यक्ति	व्यक्ति
५७१६	१५	वकिंग	वर्किंग
५७२१	२०	yon	you
५७२४	८	की ओैर	की ओर
५७२७	शीर्ष	गोकुलचन्	गोकुलचन्द
५७३०	शीर्षक	(संख्या ६)	(संख्या २)
,,	१४	नही है	नहीं है
५७३६	५	डिपार्टमेंन्टल	डिपार्टमेन्टल

१	२	३	४
५७३६	१८,२८ व २६	डिपार्टमेन्टस	डिपार्टमेन्ट्स
,,	२६	हैडस	हैड्स
५७४२	१०	कला वे	कला के
५७४५	शीर्ष	श्रीं	श्री
,,	१४	खिंचकर	खिंचवाकर
५७४६	१३	श्री समध्पति	श्री सभापति
,,	१८	फैक्टस	फैक्ट्स
५७५०	१३	मिट्टी कि	मिट्टी के
५७५३	शीर्षक	२७ मार्च	२६ मार्च
,,	१७	रिकगनाइज्ड़	रिकॉग्नाइज्ड
५७५५	शीर्ष	(डॉ० चन्दकला)	(डॉ. चन्द्रकला)
५७५६	शीर्षक	विदेयक	विधेयक
५७६१	शीर्ष	कालबादल	कालाबादल
५७७१–७२	शीर्षक	मार्च, ६१८	मार्च, ६१
५७७१	२३	apse	lapse
५७७२	१	४२२ म. प.	४.२२ म. प.
,,	२६	मास्टर के	मास्टर को
५७७४	अन्तिम पंक्ति	would	would
५७७६	६	पेर्शेन्ट्स	पेशेन्ट्स
,,	१४	समाति	समाप्ति
,,	अन्तिम से २	(बाड़मेर)	(बाड़मेर)
५७८४	१६	टाइस	टाइम्स
५७८५	अन्तिम से ३	आदि में सब्जेक्टस में	आदि में, सब्जेक्ट्स में
५७८६	२५	ग्रान्ट–इन–एगड	ग्रान्ट–इन–एड
५७६१	शीर्षक	५६६१–५६६२	५७६१–५७६२
५८०६	,,	८५०६	५८०६
,,	५	Chobdaron	chobdaran
,,	१३	Tlkkiwalon ka Chcwk	Tikkiwalon ka chowk
५८०६	२–३	Exciseable	Excisable

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६५८०	स्कम्भ	६५८०	५५८०
५५८८	अन्तिम से ३	मत्री	मंत्री
५५६३	स्कम्भ	१५६३	५५६३
५६०६	१५	श्री पूमनचन्द	श्री पूनमचन्द
५६१२	१६	(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)	(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)
५६२१	४	स्वायत शासन	स्वायत्त शासन
५७०२	१५	सुखार्डिया	सुखाड़िया
५७१२	स्कम्भ	७५१२	५७१२
५७३६	अन्तिम से ६	।	जावे ।